Digital India
Power To Empower

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-21

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इंक.

रा.सू.वि.के. के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप में (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टिः

''भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।''

मिशनः

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

उद्देश्योंः

सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, सूचना विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, निकनेट व संबंध अवसरंचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र की राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसी ने जो कुछ भी विकसित किया है, उसे पूरक करने के लिए सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के आगे विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसरंचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कंप्यूटर और कंप्यूटर–संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना ।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस इंक. अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय, विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएँ प्रदान कर रही हैः–

- डेटा एनालिटिक्स
- वेबसाइट विकास
- रोलआउट सर्विसिस
- जनशक्ति सेवाएँ
- डाटा सेंटर सेवाएं
- उत्पादकता
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.टी. कंसल्टेंसी
- कॉल सेंटर सेवाएं
- प्रशिक्षण सेवाएँ

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में सलंग्न है।

निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकः ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological, social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology, Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise to supplement what NIC has developed, in order to increase NIC's revenue earning capacity.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, state governments, UTs and PSUs etc.:

- Data Analytics
- Website Development
- Rollout Services
- Manpower Services
- Data Centre Services
- Productization
- Video-conferencing
- I.T. Consultancy
- Call Centre Services
- Training Services

NICSI is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020-21

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक
नई दिल्ली
National Informatics Centre Services Inc.
New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 10

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र 31

आय व व्यय लेखा 33

नकदी प्रवाह विवरण 35

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा टिप्पणियॉ 38

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 84

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 93

CONTENTS

Board of Directors 95

Notice for 26th Annual General Meeting 97

Directors' Report 98

Balance Sheet as at 31st March, 2021 119

Income and Expenditure Account 121

Cash Flow Statement 123

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2021 126

Auditor's Report 170

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 178

निदेशक मण्डल
(31.03.2021 तक)

अध्यक्ष	:	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस अपर सचिव, एम ई आई टी वाई
निदेशक	:	सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस, एसएस और एफए, एम ई आई टी वाई
		श्री जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, एम ई आई टी वाई
		डॉ. बी.के.मूर्ति, वैज्ञानिक–जी, एम ई आई टी वाई
		श्री मती गीता कथपालिया, वैज्ञानिक–जी, एमईआईटीवाई और डीजी, ई आरनेटइंडिया (आईटी विशेषज्ञ के रूप में)
		श्री नागेश शास्त्री, उप महानिदेशक, एन आई सी
		श्री मती रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एन आई सी
		श्री पवन कुमार जोशी, उप महा निदेशक, एन आई सी
		श्री शाहिद अहमद, वैज्ञानिक–जी, एन आई सी
		श्री के. श्रीनिवास राघवन, वैज्ञानिक–जी और एस आई ओ (टीएन), एन आई सी
		श्री अजय सिंह चहल, वैज्ञानिक–जी और एस आई ओ (एचपी), एन आई सी
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल, प्रबंध निदेशक, एन आई सी एस आई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर 0604) चार्टर्ड अकाउटैट I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसी आई बैंक लि. मि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, इंडियन बैंक, कनॉट, सर्कस, नई दिल्ली।

निदेशक मण्डल
(30.09.2021 तक)

अध्यक्ष	:	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस, अपर सचिव, एम ई आई टी वाई
निदेशक	:	सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस, एसएस और एफए, एम ई आई टी वाई
		श्री जयदीप मिश्रा, सयुक्त सचिव, एम ई आई टी वाई
		डॉ. बी.के. मूर्ति, वैज्ञानिक–जी, एम ई आई टी वाई
		श्रीमति गीता कथपालिया, वैज्ञानिक–जी, एम ई आई टी वाई डीजी, ईआरएनईटी इंडिया (आईटी विशेषज्ञ के रूप में)
		श्री नागेश शास्त्री, उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्रीमती रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री पवन कुमार जोशी, उप महानिदेशक, एनआईसी
		श्री शाहिद अहमद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री के. श्रीनिवास राघवन, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (टीएन), एनआईसी
		श्री प्रकाशराव, वैज्ञानिक–एफऔरएसआईओ (एमपी),एनआईसी
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनआईसीएसआई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर 0604) सनदी लेखाकार I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं. 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसी आई बैंक लि. मि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, इंडियन बैंक, कनॉट, सर्कस, नई दिल्ली।

26वीं वार्षिक आम बैठक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान(एनआईसीएसआई) के सदस्यों को एद्त द्वारा सूचना दी जाती है कि इसकी 26वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन मंगलवार, 30 नवंबर, 2021, को अपराह्न 03:00 बजे सम्मेलनक क्षसं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, में, निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए किया जाएगाः

सामान्य कार्यव्यापारः

1. 31 मार्च, 2021 को लेखा परीक्षित तुलनपत्र (बैलेंसशीट), 31 मार्च, 2021को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के आय और व्यय खाता, निदेशक की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने औरअपनाने के लिए, एवं
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वित्त वर्ष 2021–22के सांविधिक लेखापरीक्षकों का वेतन निर्धारित करने के लिए।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक.

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22.11.2021

सेवा में,

1. डॉ. नीता वर्मा, डीजी, एनआईसी–सदस्य
2. सुश्री रचना श्रीवास्तव–सदस्य
3. श्री दीपक चंद्र मिश्रा–सदस्य
4. श्री विष्णु चंद्र–सदस्य
5. श्री नागेश शास्त्री–सदस्य
6. श्री आर.एस. मणि–सदस्य

साथ हीः

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार, एएस, एमईआईटीवाई–अध्यक्ष, एनआईसीएसआई
2. एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल के सभी सदस्य

औरः

1. मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, सांविधिक लेखा परीक्षक, एनआईसीएसआई

ध्यान दें:

1. उपस्थित रहने एवं मतदान करने का पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थित रहने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त करने का हकदार है।
2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(1) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत पंजीकृत कंपनी के सदस्य को तब तक किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा जब तक नियुक्त किया जाने वाला अन्य व्यक्ति ऐसी कंपनी का सदस्य न हो।
3. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी प्रारूप (फॉर्म) को सभी मायनों में पूरी तरह से भरने के बाद बैठक शुरु होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (''कंपनी'') के व्यवसाय और संचालन पर छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी ने 29 अगस्त 2020 को सेवा के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। एनआईसीएसआई ने 28 जनवरी 2021 को अपना रजत जयंती समारोह आयोजित किया था। समारोह में भूतपूर्व कानून और न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद उपस्थित थे।

पिछले वर्ष 2019–20 की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय नतीजे इस प्रकार हैं:

(क) वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
(क)	**आय:**		
1	संचालन से आय	1282.02	1156.28
2	अन्य आय	74.59	103.03
	कुल (क)	1356.61	1259.31
(ख)	**व्यय:**		
1	व्यापारगत माल की खरीद	119.84	178.29
2	सेवा सहायता व्यय	969.83	791.27
3	कर्मचारी लाभ व्यय	8.68	8.56
4	वित्तीय लागत	9.53	10.37
5	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	65.62	86.05
6	अन्य व्यय	51.59	51.78
	कुल (ख)	1225.09	1126.32
	कर के समक्ष आय/(हानि) (क) – (ख)	131.52	132.99
6	कर व्यय	33.29	42.23
7	**वर्ष का आय/(व्यय)**	98.23	90.76

(1) संचालन लाभ

निदेशक मंडल ने 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में सभी प्रकार की परियोजनाओं/सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई के संचालन लाभ की दरें इस प्रकार अनुमोदित की थीं:

परियोजना मूल्य	परियोजना मूल्य का %
50 करोड़ रूपये तक	7% [परियोजना के कार्यान्वय के दौरान, यदि परियोजना का मूल् कम होता है या वह 50 करोड़ रु. तक की है तो एनआईसीएसआई मात्र 7% की दर से संभावित प्रभाव से संचालन लाभ लेगी।]
50 करोड़ से अधिक	5% [परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रु. से अधिक हो जाता है तो, एनआईसीएसआई केवल 50 करोड़ रु. से अधिक की राशि पर 5% की दर से संभावित प्रभाव से संचालन लाभ लेगी।]

(2) लाभांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत कंपनी पंजीकृत है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) और धारा के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की मनाही है।

(3) आरक्षित निधि में स्थानांतरण

कंपनी ने किसी भी राशि को आरक्षित निधि यानि सामान्य आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, पूंजी मोचन आरक्षित निधि आदि में स्थानांतरित नहीं किया है।

(4) डीपीई द्वारा एनआईसीएसआई की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित आकंड़ों के आधार पर एमओयू समग्र स्कोर के अनुसार डीपीई द्वारा ग्रेडिंग
2019-20	अच्छा
2018-19	खराब
2017-18	उचित
2016-17	उत्कृष्ट
2015-16	उत्कृष्ट
2014-15	उत्कृष्ट

(5) वित्त वर्ष 2020–21 की जारी गतिविधियां

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

मार्च, 2010 में शुरू की गई, एनकेएन परियोजना को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा लगभग 5990 करोड़ रु. की लागत से 10 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। एनआईसी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि एनआईसीएसआई खरीद और आईटी सहायता प्रदान करने में सहायता कर रही है। परियोजना उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए है जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को आपस में जोड़ेगी ताकि उनके बीच ज्ञान संसाधनों के निर्माण, अधिग्रहण और स्थापना को सक्षम बनाया जा सके। यह एनआईसी जिला केंद्रों से संपर्क स्थापित करने वाली संस्थाओं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी कक्षाओं आदि की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमईआईटीवाई ने इस परियोजना को एक वर्ष के लिए यानी वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनआईसीएसआई को इस परियोजना के लिए एमईआईटीवाई से 584 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं, जिसमें 31.03.2021 तक प्राप्त कुल धनराशि 4,634 करोड़ रु. है। हालांकि एनकेएन परियोजना को एनआईटीवाई द्वारा एक और वर्ष यानी मार्च, 2021 तक उसी वित्तीय परिव्यय के भीतर बढ़ा दिया गया है।

एनआईसीएसआई विकास केंद्र

डीएमआरसी के आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली में दूसरी मंजिल पर 417 वर्कस्टेशंस के साथ विकास केंद्र परियोजनाओं के सुचारू और संतोषजनक ढंग से कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है।

(6) अन्य परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एनआईसीएसआई को 2053 नई परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैः

(i) एमईआईटीवाई की परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, एनआईसीएसआई ने एमईआईटीवाई से विभिन्न परियोजनाओं के तहत गतिविधियां जारी रखीं, जो इस प्रकार हैं:

परियोजना का नाम
ओपन गवर्नमेंट डाटा सेंटर (ओजीडी) 2.0
नेशनल डेटा हाईवे
इस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन)
इंडिया पोर्टल फेज–II
नेशनल डाटा सेंटर–उत्तर पूर्व क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश–लोक सेवा आयोग
वेब अंतर्राष्ट्रीयकरण, मानकीकरण और डब्लयू3सी इंडिया इनिशिएटिव
प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम इंप्लीमेंटेशन (प्रगति) वीसी 2.0
भारत सरकार के लिए ई–मेल समाधान
भारत सरकार के लिए ई–मेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना
एनडीएसएपी के लिए ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म का रोल–आउट और प्रचार।
नेशनल डेटा सेंटर में नेशनल ई–गॉव ऐपस्टोर।
ई–हॉस्पिटल
ई–ताल

(ii) विभागों/संगठनों से परियोजनाएं (एमईआईटीवाई के अलावा)

विभाग/संगठन	निकसी की परियोजना कोड विवरण	विवरण
सुप्रीम कोर्ट	C190040NWND	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित सुप्रीम कोर्ट परियोजना अतिरिक्त कार्यालय परिसर हेतु नेटवर्क संबंधी वस्तुओं की खरीद
न्याय विभाग	C190396GNND	ईकोर्ट्स एमएमपी के विभिन्न मदों की खरीद
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ई–पावर)	S190787GNRJ	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विभिन्न वस्तुओं की खरीद
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय (सीएजी/कैग)	C191325GNND	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नेटवर्क संबंधी वस्तुओं की खरीद
दक्षिण दिल्ली नगर निगम आईटी विभाग	C191481GNND	दक्षिण दिल्ली नगर निगम आईटी विभाग के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी	C191593GNND	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के लिए परामर्श
राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड	S191733MPRJ	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की भर्ती।
डेटा हार्मोनाइजेशन फॉर रीयलटाइम इनसाइट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट (डीएचआरआईएसटीआई), राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस)	C191952GNND	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में विभिन्न वस्तुओं की खरीद
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एकीकृत दुर्घटना डेटाबेस)	C191856GNND	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विभिन्न वस्तुओं की खरीद

(7) एनआईसीएसआई में व्यापार प्रभाग

उत्पाद व्यवसाय विभाग (पीबीडी)

पीबीडी का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं दक्षिण एशिया, अफ्रिकी, लातिन अमेरिकी आदि देशों के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एनआईसी/एनआईसीएसआई के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के उत्पादीकरण, मानकीकरण एवं प्रचार की सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक विदेशी परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय की सहमति लेनी होगी। लागत को लचीला होना होगा क्योंकि इसे एनआईसी के बजट से पूरा किया जाता है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए)

डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता का केंद्र बनाकर उन्नत विश्लेषणात्मक/मशीन लर्निंग की क्षमताओं को अपनाना शुरू करना और तेजी से ट्रैक करना। यह उपयुक्त उपकरणों, प्रौद्योगिकियों की पहचान करके, सही विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति कर एवं जटिल नीतिगत मुद्दों को हल करने में मदद कर सभी स्तरों पर सरकारी विभागों की गुणवत्तापूर्ण डेटा विश्लेषण सेवाएं प्रदान करेगा।

क्लाउड सर्विसेस और डेटा सेंटर बिजनेस डिवीजन

एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क, पुणे और भुवनेश्वर में एनडीसी से क्लाउड सर्विसेस कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान क्लाउड सर्विसेस एवं भविष्य के लिए अधिक कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नया विभाग बनाया गया है।

(8) वित्त वर्ष 2019–20 की गतिविधियों की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 की मुख्य बातें

1. प्रोफॉर्मा चालान (पीआई) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2020–21		वित्त वर्ष 2019–20	
	जारी किए गए पीआई की सं.	पीआई की कुल राशि	जारी किए गए पीआई की सं.	पीआई की कुल राशि
कर्मचारी	4055	738.42	-	-
विविध	3009	253.85	3989	718.62
नेटवर्क	170	27.05	60	49.40
रोल आउट	92	11.63	239	40.98
सुरक्षा ऑडिट	138	1.45	6	4.69
वेबसाइट डेवलपमेंट	209	81.89	68	9.44
जेम (जीईएम)	55	42.76	161	5.49
ई–ऑफिस	347	115.06	2130	109.17
ई–ग्रंथालय	259	0.93	236	115.08
सॉफ्टवेयर ओसीआई	4	116.12	77	173.63
अन्य घटक	952	849.64	-	-
वेंडर्स प्रोपोजल बेस्ड	39	129.62	-	-
कुल योग	9329	2368.42	6966	1226.50

2. कार्य आदेश (डब्ल्यूओ) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2020–21		वित्त वर्ष 2019–20	
	जारी किए गए डब्ल्यूओ की सं.	डब्ल्यूओ की कुल राशि	जारी किए गए डब्ल्यूओ की सं.	डब्ल्यूओ की कुल राशि
कर्मचारी	6535	758.13	6743	738.19
विविध	68	43.75	135	58.36
नेटवर्क	280	34.30	259	35.55
एनकेएन	158	505.12	26	181.41
रोल आउट	122	14.31	147	10.19
सुरक्षा ऑडिट	139	2.52	152	4.38
एसएमएस	1145	101.32	674	47.84
वेबसाइट डेवलपमेंट	217	97.21	167	71.78
जेम (जेईएम)	338	182.90	327	109.97
एलपीसी और अन्य	164	24.37	156	23.18
कुल योग	**9166**	**1763.93**	**8786**	**1280.85**

3. प्राप्त हुई नई परियोजनाओं का खंड–वार विवरण

	मद	**01.04.2020 से 31.03.2021**	**01.04.2019 से 31.03.2020**
(i)	हार्डवेयर की वस्तुएं	1	5
(ii)	कर्मचारी	678	677
(iii)	वेबसाइट/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	142	135
(iv)	नेटवर्क	28	45
(v)	सामान्य परियोजनाएं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कर्मचारी आदि सब मिला कर)	798	400
(vi)	अन्य परियोजनाएं (एसएमएस/बीएएस/ई–मेल आदि)	406	653
	कुल	2053	1915

4. निविदाएं

	मांगी गई निविदाएं		
(i)	खुली निविदाओं की संख्या	21	10
(ii)	सीमित निविदाओं की संख्या	1	00
	कुल	22	10

5. **एमओयू/समझौते**

विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ एनआईसी द्वार एस आई किए गए	49	55

(9) कर्मचारी

दिनांक 03.03.1998 में भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी प्रोफाइल के अनुसार, एनआईसीएसआई में कर्मचारी की नियुक्ति एनआईसी में अपने पदों के साथ अस्थायी धूर्णी प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।

31 मार्च 2021 को एनआईसी से एनआईसीएसआई में कर्मचारियों की कुल संख्या 27 थी।

(10) कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर रहा था।

(11) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (एनआईसीएसआई) एक धारा 8 वाली कंपनी (पूर्ववर्ती धारा 25 कंपनी) है। एनआईसीएसआई का उद्देश्य आईसीटी समाधानों एवं तकनीक को बढ़ावा देना और इसके लाभ, यदि कोई हों, को लागू करना या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लागू करना और अपने सदस्यों को किसी भी प्रकार का लाभांश का भुगतान न करना है।

बोर्ड ने 26 दिसंबर, 2016 को हुई अपनी 99वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया था, जिसकी संदर्भ शर्तें इस प्रकार हैं:

- बोर्ड को ऐसी सीएसआर नीति तैयार करने और सिफारिश करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनआईसीएसआई द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएगी;
- कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की समीक्षा और उसकी अनुशंसा करना;
- समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की जांच करना;
- निदेशक मंडल द्वारा मंजूर किए जाने के बाद सीएसआर समिति द्वारा उचित समझे या समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित किए जा सकने वाले अन्य मामले।

एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सीएसआर समिति की बैठक के लिए न्याय सभा (कोरम) में इस सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई सदस्य (इस तिहाई में निहित किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होंगे।

बोर्ड ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 112वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र.सं.	नाम और पद	पद
1.	डॉ. जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश शास्त्री, उप–महानिदेशक	सदस्य
3.	सुश्री रचना श्रीवास्तव, उप–महानिदेशक	सदस्य
4.	श्री पवन जोशी, उप–महानिदेशक	सदस्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और अन्य प्रावधानों के अनुसार, जैसा लागू हो, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एनआईसीएसआई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर 57.20 लाख रुपये इस प्रकार खर्च किए गए:

वित्त वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)	पिछले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)	पिछले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का 2%
2017-18	50.65	28.60	0.572
2018-19	(97.86)		
2019-20	132.99		

सीएसआर समिति के सदस्यों द्वारा 31 मार्च 2021 को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार कंपनी ने 31.03.2021 को पीएम केयर्स फंड में 57.20 लाख रुपय का योगदान दिया है और निदेशक मंडल ने 28 जून 2021 को हुई अपनी 118वीं बैठक में इसका उल्लेख किया था।

(12) कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस एक नैतिक रूप से संचालित व्यवसायिक प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। यह नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने से सुनिश्चित होता है। एनआईसीएसआई में, यह अनिवार्य है कि हमारी कंपनी के मामलों का प्रबंधन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। यह हमारे शेयरधारकों का विश्वास प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2020–21 में बुलाई गई बोर्ड की बैठकों और आम बैठकों की संख्या

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष 2020–21	दिनांक	स्थान
1.	113वीं बोर्ड बैठक	29-06-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2.	114वीं बोर्ड बैठक	24-07-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
3.	114वीं बोर्ड बैठक स्थगित	29-07-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
4.	115वीं बोर्ड बैठक	28-09-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
5.	116वीं बोर्ड बैठक	30-12-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
6.	117वीं बोर्ड बैठक	15-12-2020	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
7.	असाधारण सामान्य बैठक	28-07-2020	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
8.	25वीं वार्षिक आम बैठक	30-12-2020	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

(13) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत कंपनी (बोर्ड की बैठकें और अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, निदेशक मंडल ने 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में सुशासन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वित्तीय और लेखा परीक्षा के मामलों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईसीएसआई में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था कि एनआईसीएसआई निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन करता है। एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

बोर्ड ने 28.01.2020 को हुई अपनी 112वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों को रखते हुए लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया थाः

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पद
1	श्रीमति ज्योति अरोड़ा, एसएस और एफए, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2	डॉ. जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य
3	श्री नागेश शास्त्री, उप महानिदेशक, एनआईसी	सदस्य
4	श्री शाहिद अहमद, उप महानिदेशक, एनआईसी	सदस्य

वित्त वर्ष 2020–21 (अर्थात अप्रैल–सितंबर 2020) के लिए अर्धवार्षिक बैलेंस शीट पर विचार करने हेतु लेखा परीक्षा समिति की छठी (6) बैठक 31–12–2020 को आयोजित की गई थी। लेखा समिति की 7 वीं बैठक 26.07.2021 को हुई जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखा पर विचार किया गया और इसे निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

(14) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149(4) और नियम 4 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गई है।

(15) निदेशकों की नियुक्ति एवं वेतन पर कंपनी की नीति जिसमें योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता और धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों के निर्धारण के मानदंड शामिल हैं।

एक संपूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत नामांकन एवं वेतन समिति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के तहत शेयरधारक संबंध समिति के गठन की आवश्यकता नहीं थी।

(16) प्रपत्र एनजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष अनुलग्नक–I में दिया गया है।

(17) वित्त वर्ष के समाप्त होने और बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वास्तविक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई वास्तविक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि संबंधित है।

(18) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(19) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 का वार्षिक लेखा

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक लेखा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है।

(20) ऊर्जा संरक्षण, तकनीक अपनाना और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण और तकनीक को अपनाने पर जानकारी नहीं मिली है। विदेशी मुद्रा में आय नहीं हुई थी और वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा में व्यय भी नहीं किया था।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई भी ऋण/गारंटी/निवेश नहीं किया है।

(22) संबंधित पार्टी का लेनदेन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के एओसी–2 के रूप में धारा 688 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए थे और सामान्य व्यवसाय के रूप में थे।

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसारः

1. निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर न किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं लेन–देन का ब्यौराः शून्य

2. निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर किए गए वास्तविक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों का ब्यौराः शून्य

(23) नियामकों या न्यायलयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश जो लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्जे और कंपनी के भावी संचालनों को प्रभावित करते हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नियामकों या न्यायलयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण या वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्जे या भविष्य में उसके संचालनों को प्रभावित करता है।

सहायक कंपनी

31 मार्च 2021 तक, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं थी।

(24) लेखापरीक्षक

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के लेखा की लेखापरीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर0604), चार्टर्ड अकाउंटेंट, A–79, 7वां तल, हिमालय हाउस, 23 के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110001, को नियुक्त किया था।

(25) निदेशकों के उत्तरदायित्व का अभिकथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी), की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल एतदावारा बताते हैं किः

क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, तात्विक रूप से अनुसरण के उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, इससे वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों की और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की सच्ची और उचित जानकारी मिलती है;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड तैयार करने हेतु उचित और यथेष्ट ध्यान रखा था;

घ) निदेशकों ने लाभकारी कारोबार करने वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था; और

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी सभी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी तरीके से काम कर रही थीं।

(26) अभिस्वीकृति

बोर्ड एनआईसी और एमईआईटीवाई सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों एवं पीएसयू आदि द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षकों का, उनके सहयोग के लिए भी आभारी हैं। निरंतर समर्थन प्रदान करने वाले अपने सदस्यों, बैंकरों और ग्राहकों के प्रति भी बोर्ड आभार व्यक्त करता है। कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं उनके समर्पित प्रयासों के लिए बोर्ड उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एंव अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण तिथि	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 (अब धारा 8 कंपनी) कंपनी।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	कक्ष सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 फोन : 91–11–26105054, 26105193
vi)	सूचीबद्ध कंपनी है या नहीं	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट, यदि हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	कोई नहीं है

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बताया जाएगाः

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	–	9.66
2	सेवा और अन्य आय	–	90.34

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	शून्य				

IV. **शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)**

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमेट	वास्तवीक	कुल	कुल शेयर का %	डीमेट	वास्तवीक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(ग)राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ) निगम निकाय									
(ड़)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च)कोई अन्य									
उप–योग (क) (1)									
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्ति									
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)निकाय निगम									
(घ)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड़)कोई अन्य									
कुल–योग (क) (2)									
प्रोमोटर्स (क) कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
ख. सरकारी शेयरहोल्डिंग	लागू नहीं								
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार(रें)									
ड) उपक्रम पूंजी कोष	लागू नहीं								
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी कोष									
झ) अन्य (बताएं)									
कुल योग (ख)(1)									

2 .गैर– संस्थागत क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रु तक का सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु. से अधिक के सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (बताएं) **कुल योग(ख)(2)**	लागू नहीं								
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	लागू नहीं								
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए गिरवी/ भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए गिरवी/ भारित शेयरों का %	वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन का %
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	कुल	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के शुरू में	वर्ष 1 के दौरान श्री एस.बी. सिंह, भूतपूर्व उपदृमहानिदेशक, एनआईसी द्वारा धारित इक्विटी शेयर सुश्री रचना श्रीवास्तव, उप–महानिदेशक, एनआईसी को हस्तांतरित कर दिया गया था।			
3	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
4	वर्ष की समाप्ति पर				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) की शेयर होल्डिंग का पैटर्नः

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों)				

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिताः

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/ कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में				

V. **ऋणग्रस्तता**

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋण**
वित्त वर्ष ASQ की शुरुआत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन अदत्त iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं **कुल (i+ii+iii)**	लागू नहीं			
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन .. वृद्धि .. कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन अदत्त iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का वेतनः

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना ज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनआईसीएसआई को प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में प्रोतसाहित किया गया है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 59(i) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के महानिदेशक द्वारा एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा।

क्र. सं.	वेतन विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल धनराशि (रु. में)
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल	
1	कुल आय (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभ (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	36.88 लाख रु.	36.88 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं..		
5	अन्य, कृपया बताएं कुल (क) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

ख. अन्य निदेशकों को वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल धन राशि	
		-------	-------	-------	-------
	1. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क कमिशन अन्य, कृपया बताएं	लागू नहीं			
	कुल (1)				
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने का • शुल्क • कमिशन अन्य, कृपया बताएं				
	योग (2)				
	योग (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा				

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी कंपनी सचिव	
		श्री सन्नी जैन	कुल
1	कुल वेतन (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभ (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	10.36 लाख रु.	10.36 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं		
5	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल		

VII. **आर्थिक जुर्माना/दंड/समाधेय अपराध**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आर्थिक जुर्माना/दंड/ समाधेय अपराध पर लगाया गया शुल्क	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायलय]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
आर्थिक जुर्माना	शून्य				
दंड					
समाधेय					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
आर्थिक जुर्माना	शून्य				
दंड					
समाधेय					

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र सं. एमजीटी–8

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(2) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,
2014 के नियम के अनुसार]

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र

मैंने, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार **नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड** (''कंपनी'') के पंजियों, अभिलेखों और बहीखातों एवं कागजातों की जांच की है। मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं मेरे द्वारा की गई जांच और कंपनी, उसके अधिकारियों एवं एजेंटों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ कि:

क. वार्षिक विवरणी में पूर्वोक्त वित्त वर्ष की समाप्ति पर तथ्यों को सही और पर्याप्त रूप से बताया गया है।

ख. उक्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया है:

1. अधिनियम के तहत स्थिति;

2. निर्धारित समय में पंजियों/अभिलेखों का रखरखाव और उसमें प्रविष्टियां करना;

3. कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्र सरकार, न्यायलय, अदालत या अन्य प्राधिकरणों के साथ निर्धारित समय के भीतर/उसके बाद वार्षिक रिटर्न में बताए गए प्रपत्र और रिटर्न दाखिल करना;

4. **दिनांक 29/06/2020, 24/07/2020, 28/09/2020, 30/12/2020, और 15/03/2021** को निदेशक मंडल की बैठक बुलाना/करना/आयोजित करना या **26/06/2020, 24/07/2020, 31/12/2020 और 31/03/2021** को इसकी समितियों की बैठक बुलाना/करना/आयोजित करना, यदि कोई हो और 28 जुलाई, 2020 और 30 दिसंबर, 2020 को निर्धारित तिथि पर कंपनी के सदस्यों की बैठकें करना जैसा कि वार्षिक रिटर्न में कहा गया है, जिन बैठकों के संबंध में, उचित सूचनाएं दी गईं थीं और परिपत्र प्रस्तावों और डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रस्तावों, यदि कोई हो, समेत कार्यवाही को कार्यवृत्त बहीखाता/पंजियों में उचित तरीके से दर्ज किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

5. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को अपने सदस्यों के पंजी को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी।

6. अधिनियम की धारा 185 में निर्दिष्ट निदेशकों और/या व्यक्तियों या फर्म या कंपनियों को कोई अग्रिम/ऋण नहीं दिया गया था,

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी;

8. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों/वरीयता शेयरों के मोचन या डिबेंचरों/परिवर्तन या शेयर पूंजी में कमी/शेयरों/प्रतिभूतियों का रूपांतरण और सभी मामलों में सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने या इनके आवंटन या अंतरण या बाय बैक की कोई घटना नहीं हुई थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री एस.बी. सिंह से सुश्री रचना श्रीवास्तव को 1 (एक) शेयर हस्तांतरित किया गया था।

9. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लंबित लाभांश, शेयरों और बोनस शेयरों के अधिकारों को स्थगित रखते हुए **वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई थी**;

10. लाभांश की घोषणा/भुगतान; अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष पर लागू अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश/अन्य राशियों का अंतरण। **वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है**;

11. अधिनियम की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करना और निदेशकों की रिपोर्ट अधिनियम की उप–धारा (3), (4) और (5) के अनुसार है;

12. कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समाप्त करने के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

    वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में श्री अजय सिंह चहल (डीआईएनः 09073613) की नियुक्ति की है।

    श्री राजेन्द्र कुमार (डीआईएनः 02677079) को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 28/07/2020 को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

    कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के प्रावधानों के अनुसार श्री प्रकाश राव (डीआईएनः 08713027) और श्री सूर्यनारायण गोपालकृष्णन (डीआईएनः 00387319) का बतौर निदेशक कार्यकाल समाप्त हुआ;

    वित्त वर्ष के दौरान प्रबंधन के मुख्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया;

13. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षक की नियुक्ति

14. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार, न्यायालय, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार, अदालत या ऐसे अन्य प्राधिकरणों से किसी प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी;

15. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान जमाराशियों को स्वीकार/नवीनीकृत, पुनर्भुगतान नहीं किया था।

16. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान अपने निदेशकों, सदस्यों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से उधार नहीं लिया है,

17. कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत आने वाले अन्य निगमित निकायों या व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं दिया, निवेश नहीं किया, या गारंटी नहीं दी या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है;

18. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान 28 जुलाई, 2020 के विशेष प्रस्ताव को पारित कर निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन के लिए संस्था के अंतर्नियम में बदलाव किया है।

स्थानः नई दिल्ली

अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

यूडीआईएनः F009528C002166342

ह0/–
मनीष कुमार अग्रवाल
(स्वत्वधारी)
सी.पी. सं. 7057
सदस्यता सं.: F-9528

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणियों के उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	**एनआईसीएसआई का उत्तर**
योग्य राय के आधार	
1. कंपनी ने बाहरी स्वतंत्र एजेंसी से सिस्टम ऑडिट के माध्यम से सत्यापन कराए बिना 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2021 तक ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया। आंकड़ों की अखंडता में संभावित प्रणाली की कमियों की वजह से भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उल्लिखित संपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, के बारे में फिलहाल नहीं बताया जा सकता।	एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 में कार्यात्मक लेखा परीक्षा/सुरक्षा लेखा परीक्षा/प्रदर्शन लेखा परीक्षा से ईआरपी सत्यापन की दिशा में कार्य करने और लिए जाने वाले शुल्क की सूचना देना हेतु एसटीक्यूसी निदेशालय के सामने यह मामला उठाया था। एनआईसीएसआई और एसटीक्यूसी निदेशालय के बीच कुछ पत्राचार भी हुए, जिसके लिए एनआईसीएसआई ने एसटीक्यूसी निदेशाल को एसआरसी नियमावली भी उपलब्ध कराई थी। एसटीक्यूसी निदेशाल से मिले प्रोफॉर्मा को भी भर दिया गया था और कथित लेखापरीक्षाओं के संचालन में शामिल/निष्पादित किए जाने वाले मूल कार्यों को जानने के लिए उन पर चर्चा की जानी थी। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, एनआईसीएसआई और एसटीक्यूसी महानिदेशालय के बीच अब तक बैठक नहीं हो सकी है। मामले को फिर से उठाया गया है और आगामी लगभग 6 माह में ईआरपी सत्यापन के काम को पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
2. हमारी राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन और कट ऑफ प्रक्रियाएं (पूर्व अवधि वस्तुओं), विक्रेता/उपयोगकर्ता की शेष राशि का समायोजन/पुष्टि और बकाया राशि की वसूली के संदर्भ में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण को इसके संचालन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। (अनुलग्नक ''क'' देखें)	वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, विक्रेता/उपयोगकर्ता की शेष राशि का समायोजन/पुष्टि और बकाया राशि की वसूली से संबंधित वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, संबंद्ध के साथ इन वस्तुओं का पालन करने में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होते ही इन सभी गतिविधियों को फिर से जोरदृशोर से शुरू किया जाएगा।
3. व्यापार देय राशि (नोट 19), व्यापार प्राप्य राशि (नोट 10), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (सहायता अनुदान परियोजनाओं समेत) (नोट 21), सुरक्षा जमा देय(नोट 18) और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) से संबंधित शेष राशि और वर्ष के अंत में प्राप्त/प्राप्त हो चुकी और/या परिणामी समायोजन की पुष्टि के अधीन हैं। इस प्रकार की पुष्टि और सुलह के परिणामस्वरूप संपत्ति/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, के बारे में वर्तमान में नहीं बताया जा सकता।	31.03.2021 को शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। ये एक नियमित विशिष्टता है कि इस प्रकार के पत्र विभागों/संगठनों आदि को जारी किए जाते हैं लेकिन इनके लिए बहुत कम या नगण्य प्रतिक्रया प्राप्त होती है। एनआईसीएसआई ने इसके लिए अपने ईआरपी सिस्टम को स्वचालित कर दिया है।

4. ग्राहकों से प्राप्त 1,61,229.72 लाख रु. के अग्रिम के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 21 हेतु संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत खातों की समीक्षा से पता चला कि वर्ष के समाप्त होने पर ऐसे कई ग्राहक हैं जिन पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में ब्याज और परिपक्वता प्रोफाइल की विभिन्न दरों पर निवेश किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों से मिले अग्रिम के संबंध में इस प्रकार के निष्क्रिए फंड अप्रयुक्त रह गए हैं और सावधि जमा में निवेश किए गए हैं, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम की समीक्षा करने और प्रत्येक के साथ अनुबंध के संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर इसे वापस करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के उपलब्ध न होने पर, इस प्रकार के विवरण उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप संपत्ति/ देयताओं और/या व्यय पर पूर्ववर्ती अनुच्छेद में संदर्भित मामलों का समग्र प्रभाव फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता।	एनआईसीएसआई को विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हजारों नए खरीद आदेश मिले हैं। उन आदेशों से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के बाद, एनआईसीएसआई लेखा विवरण का अंतिम निपटान तैयार करती है और अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु या उसमें अव्ययित शेष की वापसी की सूचना देने के लिए बैंक विवरण को, संबंधित उपयोगकर्ता को भेजती है। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ता बैंक विवरण प्रदान करते हैं, कई मामलों में ये प्राप्त नहीं होते और इसलिए, अव्ययित राशि एनआईसीएसआई के पास रह जाती है। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच के अनुसार, एनआईसीएसआई बकाया देनदारों और लेनदारों एवं ऐसे अन्य संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक अलग से इकाई बनाने की प्रक्रिया में है। इकाई ऐसे मामलों की समीक्षा हेतु प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी और उपयोगकर्ताओं को जल्द–से–जल्द अव्ययित राशि वापस करेगी। एनआईसीएसआई ने मासिक आधार पर लेखा विवरणों साझा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा।
5. आय और व्यय खाता के ''पूर्व अवधि की वस्तुओं'' से संबंधित नोट सं. 63 के संदर्भ में वित्त वर्ष 2020–21 के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में विक्रेताओं द्वारा चालान प्रस्तुत न करने/देरी से जमा करने के कारण जिन व्यय को दर्ज नहीं किया गया, वे कट–ऑफ प्रक्रियाओं के गैर–अनुपालन की वजह बने। ऐसे बिलों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद की रिपोर्टिंग अवधियों में दर्ज किया जाता है। संपत्तियों/देयताओं और/या सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित आय/व्यय पर इस प्रकार व्यय दर्ज करने में हुई देरी का प्रभाव को, रिपोर्टिंग तिथि पर विक्रेताओं द्वारा बिलों की मात्रा की अनुपलब्धता क कारण विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	पिछले वर्ष दी गई सेवाओं के लिए विक्रेताओं से चालान प्राप्त करने के लिए कट–ऑफ तिथि तय करना जीएसटी जमा करने और समय पर रिटर्न दाखिल करने के कारण आवश्यक हो जाता है। हालांकि एनआईसीएसआई ने जनवरी–अप्रैल, 2021 के दौरान 31.03.2021 तक दी गई/निष्पादित सेवाओं के लिए अपने बिल तत्काल जमा करने में विक्रेताओं के साथ कार्यवाही की। इस संबंध में, एनआईसीएसआई ने विक्रेताओं को नोटिस भेजे और एनआईसीएसआई में नोटिस बोर्ड पर 11.01.2021, 09.02.2021, 19.02.2021, 04.03.2021 और 18.03.2021 को नोटिस लगाए। (प्रतियां संलग्न हैं)।
6. कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' पर, महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट 2 (vii) देखें) के संदर्भ में ''नियंत्रण'' के हस्तांतरण के समय यानी ग्राहक द्वारा माल की स्वीकृति के समय इसे पहचानने की बजाए चालान बनाते समय माल की बिक्री पर राजस्व को गलत तरीके से पहचान कर भारतीय लेखांकन मानक 115 का अनुपालन नहीं किया है। भारतीय लेखांकन मानक 115 के संदर्भ में रिपोर्ट की गई आय, हानि और कंपनी की संपत्तियों/देयता पर इसका प्रभाव वर्तमान में बताया नहीं जा सकता।	एनआईसीएसआई नीति के अनुसार, यह माल की बिक्री के लिए चालान बनाते समय अपने राजस्व को स्वीकार करता रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के दैरौन भारतीय लेखांकन मानकों के सभी लागू प्रावधानों और आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया है और वह राजस्व स्वीकरण की अवधारणा के अनुसार है। एनआईसीएसआई ने इसे अपने ईआरपी सिस्टम में स्वचालित कर दिया है और ये गतिविधियां तत्काल और उचित तरीके से लागू की जा रही हैं।

विषय मामले	
1. हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 44 की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसमें भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में भवन के संबंध में वाहन/अधिकार पत्र विलेख की 931.50 लाख रु. की राशि वर्ष के अंत में पंजीकरण हेतु लंबित है।	एनआईसीएसआई द्वारा क्रमशः वर्ष 2003 और 2000 में 2 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के छठे तल पर हॉल सं. 2 और 3 के संबंध में वाहन/अधिकार पत्र विलेख पंजीकृत कराने हेतु एनआईसीएसआई, एनबीसीसी से बातचीत कर रहा है। इस संबंध में, एनआईसीएसआई के एमडी ने दिनांक 17.07.2020 को एनबीसीसी के सीएमडी को लिखे पत्र में इसे संदर्भित किया था और उसके बाद समय–समय पर अनुस्मारक भेजे थे। इसके अलावा, एमईआईटीवाई के अतिरिक्त सचिव और एनआईसीएसआई के चेयरमैन ने भी इस संबंध में 19.07.2021 को एनबीसीसी के सीएमडी को डी.ओ. भेजा था।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट पर योग्य राय	
क. विक्रेता की शेष राशि का समायोजन/पुष्टिकरण क्योंकि इसकी वजह से बकाया शेष राशि के गलत विवरण दिए जाने की संभावना है।	31.03.2021 तक बकाया शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। यह नियमित विशिष्टता है कि इस प्रकार के पत्र विभागों/संगठनों आदि को जारी किए जाते हैं लेकिन इन पर बहुत कम या नगण्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।
ख. ग्राहकों से देय राशि की वसूली और फॉलोअप एवं विक्रेताओं को अग्रिम क्योंकि इसके कारण ग्राहकों से बकाया देय राशि और विक्रेताओं को अग्रिम की गलत बयानी हो सकती है।	लेखापरीक्षा जांच को नोट कर लिया गया है और भविष्य में ऐसी राशियों की वसूली या निपटान हेतु ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ और अधिक प्रयास किए जाएंगे।
ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतित सत्यापन जो उपरोक्त लेखांकन, वर्गीकरण और प्रकटीकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।	संपत्तियों को उनके जारी/निपटान आदि के उचित विवरण के साथ निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। साथ ही, प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने पर सभी संपत्तियों, एनआईसीएसआई मुख्यालय (एससी और एलएनडीसी समेत) और इसकी राज्य इकाईयों में से प्रत्येक का भौतिक सत्यापन 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जा रहा। वित्त वर्ष 2020–21 में भी इसे तदनुसार किया गया है।
घ. कंपनी ने आय और व्यय बिल को दर्ज करते समय कट ऑफ प्रक्रियाओं और मिलान अवधारणा का पालन नहीं किया है।	पिछले वर्ष दी गई सेवाओं के लिए विक्रेताओं से चालान प्राप्त करने के लिए कट–ऑफ तिथि तय करना, जीएसटी जमा करना और समय पर रिटर्न दाखिल करने के कारण आवश्यक हो जाता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31.03.2021 बैलंस शीट

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	परिसंपत्तियां			
1	**गैर– तात्कालिक परिसंपत्तियां**			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2,377.57	4,692.75
	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	4	17,227.19	18,924.70
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	8,682.03	4,356.78
	वित्तीय परिसंपत्तियांः			
	(क) ऋण	6	108.34	107.08
	(ख) अन्य वित्तीय संपत्तियां	7	534.64	494.59
	आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	8	3,167.11	4,309.46
	अन्य गैर–तात्कालिक संपत्तियां	9	2,316.68	1,164.64
2	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	वित्तीय परिसंपत्तियांः			
	(क) व्यापार प्राप्य	10	26,360.57	18,987.52
	(ख) नकद और नकद समकक्ष	11	75,247.95	74,608.42
	(ग) उपरोक्त '(ख)' के अलावा बैंक बैलेंस	12	1,04,355.89	76,137.47
	(घ) अन्य वित्त परिसंपत्तियां	13	3,678.34	4,060.72
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	14	13,830.45	14,148.29
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	15	28,149.64	29,515.90
	कुल परिसंपत्तियां		**2,86,036.40**	**2,51,508.32**
	इक्विटी और देयताएं			
	इक्विटी			
	इक्विटी शेयर पूंजी	16	200.00	200.00
	अन्य इक्विटी	17	69,368.66	59,014.02

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	देयताएं			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	वित्तीय देयताएं			
	(क) अन्य वित्तीय देयताएं	18	15,781.21	16,669.42
	वर्तमान देयताएं			
	वित्तयी देयताएं:			
	(क) व्यापार देय	19		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2,668.91	817.14
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य कुल बकाया राशि		27,898.71	23,591.47
	(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	20	3,893.63	3,804.85
	अन्य वर्तमान देयताएं	21	1,66,150.76	1,47,336.90
	प्रावधान	22	74.52	74.52
	कुल इक्विटी और देयताएं		**2,86,036.40**	**2,51,508.32**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

संलग्न टिप्पणियाँ (1–67) वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता सं. 542976

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2021

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एंव व्यय लेखा

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
	आय			
I	संचालन से राजस्व	23	1,28,202.26	1,15,628.59
II	अन्य आय	24	7,458.93	10,302.89
III	**कुल आय (I+II)**		**1,35,661.19**	**1,25,931.48**
IV	व्यय			
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	25	11,983.57	17,829.00
	सेवा सहायता व्यय		96,983.33	79,126.55
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	867.72	856.31
	वित्त लागत	27	953.23	1,037.41
	मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय	28	6,561.78	8,605.14
	अन्य व्यय	29	5,159.50	5,177.70
	कुल व्यय (IV)		**1,22,509.13**	**1,12,632.11**
V	**कर पूर्व (III–IV) आय/ (हानि)**		13,152.06	13,299.37
VI	कर व्ययः		**3,329.11**	**4,223.17**
	(1) वर्तमान कर		3,504.78	4,820.17
	(2) आस्थगित कर		1,142.35	(792.63)
	(3) पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन/(बट्टा खाता में डालना)		(1,318.02)	195.63
VII	**निरंतर संचालन से वर्ष में हुई आयध (हानि) (V–VI)**		**9,822.95**	**9,076.20**

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
VIII	**अन्य व्यापक आय**		**-**	**-**
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (आय/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित)		**9,822.95**	**9,076.20**
X	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर सांकेतिक मूल 100 रु.):			
	(1) बेसिक	30	4,911.47	4,538.10
	(2) डाइलूटेड	30	4,911.47	4,538.10

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय कथनों का अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता सं. 542976

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2021

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

₹ लाखो में

विवरण	समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2021	समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2020
संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अधिशेष/(घाटा)	13,683.75	13,299.37
के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय	6,561.79	8,605.14
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.28)	(2.37)
वित्त लागत	953.23	1,037.41
ब्याज आय	(7,001.70)	(8,161.28)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(वसूली योग्य)	-	(1,454.25)
अग्रिमों के खिलाफ प्रावधान/(वसूली योग्य)	283.65	(451.32)
बिक्री कर और टीडीएस एवं डब्ल्यूसीटी के लिए प्रावधान	-	0.41
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन अधिशेष/(घाटा)	**14,480.44**	**12,873.11**
के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(7,373.05)	(135.20)
ऋणों और अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	247.15	(4,322.32)
व्यापार प्राप्यों और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	22,543.87	(8,405.61)
संचालन से उत्पन्न नकद	**29,898.41**	**9.98**
आयकर का भुगतान	(3,504.78)	(4,820.17)
पिछले वर्षों के लिए आयकर	1,318.02	(195.63)
जीआईए परियोजना से संबंधित पिछले वर्ष का ब्याज	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (क)	**27,711.65**	**(5,005.82)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	(6,198.19)	(2,823.15)
एफडीआर में निवेश	(28,218.41)	11,212.70
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.44	2.63
प्राप्त हुआ ब्याज	7,344.04	8,543.63
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) (बी)	**(27,072.12)**	**16,935.82**

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
वित्तीय गतिविधइयों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (ग)	-	-
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(वृद्धि) (क़ख़ग)	**679.58**	**11,930.00**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**74,608.42**	**62,678.42**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**75,247.95**	**74,608.42**

टिप्पणी

1) नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण को अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय लेखांकन मानक –7,'' नकद प्रवाह विवरण'' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2) वर्ष के अंत में नकद और बैंक शेष में बैंकों के पास बची नकद और शेष राशि शामिल होती है। इनका विवरण इस प्रकार हैः

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
नकद और नकद समकक्ष		
बैंकों में शेष	29,226.99	32,287.27
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	46,020.46	42,320.65
	75,247.95	**74,608.42**

3) नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण में सीएसआर गतिविधि से संबंधित 57.20 लाख रु. (40 लाख रु. का भुगतान) भी शामिल हैं। नोट सं. 59. देखें।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता सं. 542976

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2021

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. जारी, अभिदान और चुकता इक्विटी शेयर की इक्विटी शेयर पूंजी 100/– रु. प्रत्येक

₹ लाखो में

ब्यौरवार विवरण	टिप्पणी	धन राशि
1 अप्रैल 2019 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2020 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2021 तक	16	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 17 देखें)

₹ लाखो में

ब्यौरवार विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष प्रतधारित आय	अन्य कुल इक्विटी
31 मार्च 2019 तक	49,937.82	49,937.82
वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	9,076.20	9,076.20
31 मार्च 2020 तक	**59,014.02**	**59,014.02**
पूर्व अवधि आय (कर्मचारी)'	531.69	531.69
31 मार्च 2020 तक (पुनः प्रकाशित)	**59,545.71**	**59,545.71**
वर्ष के लिए कुल अधिशेष	9,822.95	9,822.95
31 मार्च 2021 तक	**69,368.66**	**69,368.66**

*नोट सं. 65 देखें

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता सं. 542976

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2021

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

कॉरपोरेट सूचना

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक ('संस्था') की स्थापना 29 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ('एनआईसी'), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी। निगम सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को संपूर्ण आईटी सॉल्यूशन प्रदान करने का काम करता है।

वित्तीय विवरण 3. जुलाई 2021 को निदेशक मंडल के प्रस्ताव के अनुसार जारी किए जाने को अधिकृत थे।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

i. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (अभी के बाद से 'भारतीय लेखांकन मानक') के अनुसार तैयार किए गए हैं जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के तहत जारी नियमों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाएगा।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कुछ वित्तीय संपत्तियां और देयताएं उचित मूल्य पर मापी जाती हैं (वित्तीय साधनों के संबंध में लेखा नीति देखें)।

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लाभकारी कारोबारी संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी धनराशि को, जब तक अन्यथा न कहा जाए, अनुसूची ।।। की आवश्यकताओं के अनुसार, लाख रु. के सबसे करीब पूर्णांकित किया गया है। पूर्णांकित करने में हुई त्रुटियों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

ii. संत्तियों और देयताओं का वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरणः

एक संपत्ति को वर्तमान तब कहा जाता है जबः

- सामान्य परिचालन चक्र में जिसके वसूल किए जाने या बेचे जाने या उपभोग करने की मंशा हो;
- मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर साधित किए जाने की उम्मीद हो;
- नकद या नकद समकक्ष जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम बारह माह के लिए विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने को प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैरदृवर्तमान रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को वर्तमान तब कहा जाता है जबः

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से इसे व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर साधित किए जाने की उम्मीद हो, या

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैरदृवर्तमान श्रेणी में रखा गया है।

आस्थगित कर संपत्तियां एवं देयताओं को गैर–वर्तमान संपत्तियां एवं देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र–प्रसंस्करण हेतु संपत्तियों के अधिग्रहण एवं नकद और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच का समय होता है। निगम ने अपने परिचालन चक्र के रूप में 12 माह की अवधि स्वीकार की है।

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

(क) स्वीकृति एवं आरंभिक माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके अधिग्रहण लागत पर लिखा गया है। भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी वहन मूल्य (डीम्ड लागत) पर अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने का विकल्प चुना था।

लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत शामिल होगी, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे होते हैं और संपत्ति को इच्छित उपयोग हेतु अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लागत शामिल है। खरीद मूल्य निकालने में किसी भी प्रकार की व्यापारिक छूट को कम कर दिया जाता है। बाद की लागत को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या जैसा उचित हो, अलग संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसे केवल तभी होता है जब वस्तुओं से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलने की संभावना हो। जब संयंत्र और मशीनरी के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियमित अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग–अलग मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब मुख्य जांच की जाती है, तो इसकी लागत को संयंत्र की वहन राशि में स्वीकार किया जाता है और यदि मान्यता मानदंड पूरे हो जाते हैं तो उपकरण को बदल दिया जाता है। मरम्मत और रख–रखाव संबंधी सभी लागत को लाभ या हानि विवरण में लिखा जाता है।

(क) अनुवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

पीपीई की वस्तुओं पर मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित दरों पर किया गया है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के अनुसार पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन निर्धारित किया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा की जाती है।

(ख) मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु और आरंभ में मान्यताप्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से के निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा न हो, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को तब आय विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुकत हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि विवरण में तब लिखा जाता है जब संपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है।

iv. अमूर्त संपत्ति और ऋणमुक्ति

अमूर्त संपत्ति को आरंभ में लागत पर मापा गया है। बाद में अमूर्त संपत्ति को लागत में से संचित ऋणमुक्ति और संचित हानि को घटा कर मापा गया है। अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन परिमित या अपरिमित हो सकता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियां रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार परिमित जीवन के साथ उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया गया

है। परिमित उपयोगी जीवन के साथ ऋणमुक्ति अवधि और अमूर्त संपत्ति के लिए ऋणमुक्ति विधि की समीक्षा कम–से–कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जानी चाहिए। अपेक्षित उपयोगी जीवन या संपत्ति से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ के अपेक्षित खपत की पैटर्न में परिवर्तन ऋणमुक्ति अवधि या पद्धित को, जैसा उचित हो, के रूप में संशोधित किया जाता है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर ऋणमुक्ति व्यय को आय एवं व्यय विवरण में दर्ज किया जाता है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य को वहन करने का हिस्सा न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागत को क्रमशः तीन साल और छह साल के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागतों को दस वर्ष के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धित पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है।

V. वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय संपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय संपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन (नियमित तरीके से व्यापार) द्वारा स्थापित एक समय सीमा के भीतर संपत्ति की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानि, वह तिथि जब कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ख) संपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन–देन की लागतें, जो आय या व्यय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है। आरंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग कर परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या प्रीमियम और ईआईआर के अभिन्न अंग शुल्क या लागत को ध्यान में रख कर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि विवरण में वित्तीय आय के रूप में शामिल है। हानि के कारण होने वाला नुकसान को लाभ या हानि में लिखा जाता है।

फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम (एफवीटीओसीआई/FVTOCI) पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई (FVTOCI) के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय संपत्तियों को बेच कर, दोनों तरीकों से प्राप्त किए गए हों; और

ख) संपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई (SPPI) को दर्शाता हो।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में होने वाले उतारदृचढ़ाव को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, कंपनी पीएंडएल में ब्याज आय, हानि एवं उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को दर्ज करती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से स्वीकृत प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पीएंडएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल/FVTPL)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन जो परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, एफवीटीपीएल के रूप में नामित कर सकती है। हालांकि, इस प्रकार के चयन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो ('लेखांकन असंतुलन' देखें)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी भी ऋण साधन को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल किए जाने वाले ऋण साधनों को पीएंडएल में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार और आकस्मिक विचार हेतु रखे गए इक्विटी साधन व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्वीकृत, जिस पर भारतीय लेखांकन मानक एएस103 (व्यापार संयोजन) लागू होता है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तो लाभांश को छोड़कर साधन पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में स्वीकृत हैं। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पीएंडएल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती हैं।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पीएंडएल में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

स्वीकृति समाप्त करना

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्तियों के समूह का हिस्सा) प्राथमिक रूप से तब अमान्य हो जाती है जबः

संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या

संबंधित कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को बिना किसी भौतिक देरी के तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिए हों या 'पास–थ्रू' समझौते के तहत प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व स्वीकार कर लिया हो। और

या कंपनीः

(क) संपत्ति से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को बहुत हद तक हस्तांतरित कर दिया हो, या

(ख) संपत्ति से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया हो न ही अपने पास रखा हो लेकिन संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या पास–थ्रू समझौता कर लिया हो तो यह इस बात का आकलन करता है कि क्या और किस सीमा तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभ को अपने पास रखा है। जब कंपनी ने सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही अपने पास रखा हो, संपत्ति का नियंत्रण भी हस्तांतरित न किया हो, तब कंपनी हस्तांतरित संपत्ति को कंपनी के निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता देना जारी रखती है। ऐसे मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को स्वीकार करती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर हानि से होने वाले नुकसान को मापने और उसे स्वीकार करने के लिए अपेक्षित क्रेड लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती हैः

क) वित्तीय संपत्ति जो ऋण साधन हैं और परिशोधन लागत जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष, पर मापे जाते हैं।

कंपनी अपनी प्रारंभिक स्वीकृति से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर नुकसान हानि भत्ता को स्वीकार करती है।

अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल नुकसान हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में आयध व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

vi. उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि संपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन इनमें से होता होः

- संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार की अनुपलब्धता में, संपत्ति या देयता के सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा सुलभ होना चाहिए।

किसी संपत्ति या देयता का उचित मूल्य इस धारणा का उपयोगह कर मापा जाता है कि बाजार सहभागी संपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। एक गैर–वित्त संपत्ति का उचित मूल्य माप बाजार सहभागी संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग कर या किसी अन्य बाजार सहभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो संपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुकूल होती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी संपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा जाता है, उन्हें मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित हैं, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैंः

- स्तर 1–समान संपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है

- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, देखने योग्य नहीं है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने संपत्तियों या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों एवं उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर संपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी का प्रबंधन संपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर स्वीकृत संपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, संपूर्ण रूप से)।

यह नोट उचित मूल्य निर्धारण हेतु लेखांकन नीति का सार प्रस्तुत करता है। अन्य उचित मूल्य संबंधी प्रकटीकरण संगत नोटों में इस प्रकार हैं:

- महत्वपूर्ण अनुमानों और धारणाओं के लिए प्रकटीकरण
- उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण
- वित्तीय साधन (ऋणशोधन लागत पर किए गए समेत)

vii. उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ हो और राजस्व को मजबूती से मापा जा सके, चाहे भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। राजस्व को स्वीकृत करने से पहले निम्नलिखित विशिष्ट स्वीकरण मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए : –

वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ निगम को मिलेगा और राजस्व को मजबूती से मापा जा सकता है। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, भुगतान की संविदात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को छोड़कर।

वस्तुओं/स्टॉक या बिक्री योग्य वस्तुओं की बिक्री के संबंध में राजस्व को चालान के बनाए जाने के समय या उस समय स्वीकार किया जाता है जब सामान का नियंत्रण खरीददारों को दिया जाता है, सामान्य रूप से वस्तु की डिलीवरी और डिलीवरी के प्रमाण पर। वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते के शुद्ध, व्यापार छूट और मात्रा छूट पर मापा जाता है।

सेवा की बिक्री के संबंध में राजस्व को चालान के निर्माण के समय या उस समय जब खरीददारों को सेवा पूरी की जाती है, सामान्य रूप से सेवा के प्रमाण पर स्वीकार किया जाता है। सेवा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

निगम समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली स्लैब दरों पर परियोजना लागत के आधार पर परिचालन लाभ को स्वीकार करता है। आम तौर पर संचालन लाभ दरें परियोजना लागत के विपरीत आनुपातिक होती हैं यानि परियोजना लागत जितनी अधिक होगी, परिचालन लाभ दर उतनी ही कम होगी। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ दर में किसी भी प्रकार की आगामी कमी का हिसाब वर्ष के अंत में या परियोजना के समाप्त होते समय संबंधित क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है। इस प्रकार जारी किए गए क्रेडिट नोट आय के संबंधित शीर्षों से निवल कर दिए जाते हैं।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों को या तो परिशोधन लागत या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग कर दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो भविष्य के अनुमानित नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या कम अवधि में, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय संपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की

परिशोधित लागत पर छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (जैसे, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती हैं, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है।

viii. सरकार के विभिन्न मंत्रलयों/विभागों से परियोजना में अनुदान हेतु अग्रिम

एनआईसीएसआई ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वस्तु और सेवा की बिक्री हेतु अग्रिम प्राप्त किया है। ये लेनदेन इकाई के सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। वित्तीय विवरणों में मंत्रालयों के प्रकटीकरण के लिए प्राप्त अग्रिम को अन्य वर्तमान देनदारियों मद के तहत 'ग्राहकों से प्राप्त सहायता अनुदान' के रूप में अलग से लिखा गया है क्योंकि ये सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। इन अग्रिमों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना की समाप्ति पर एनआईसीएसआई के पास शेष राशि उपलब्ध है, तो उसे ब्याज (यदि कोई हो) के साथ अनुदानकर्ता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। सभी सहायता अनुदान राशि केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाती है।

एनआईसीएसआई हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद और कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों/संगठनों से मिले विभिन्न ऑर्डरों को पूरा करती है। यह प्रत्येक ऑर्डर की कुल लागत पर, समय–समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार, संचालन लाभ लेती है। एनआईसीएसआई को उन ऑर्डरों के खिलाफ विभागों/संगठनों से अग्रिम में फंड मिलता है। एनआईसीएसआई द्वारा किसी अन्य रूप में सरकारी मदद नहीं मिलती, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो। एनआईसीएसआई को रियायती दर या मुफ्त में किसी प्रकार की मौद्रिक या गैर–मौद्रिक संपत्ति अनुदान भी नहीं मिलता।

एनआईसीएसआई मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहायता अनुदान जारी करने के प्रशासनिक अनुमोदन/स्वीकृति से संबंधित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करती है।

ix. इनवेंटरीज (वस्तुसूची)

इनवेंटरी की लागत में इनवेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए खरीद की सभी लागत, रूपांतरण लागत और अन्य लागत शामिल होते हैं। इनवेंटरी (सॉफ्टवेयर की सूची समेत) का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट (फीफो) पद्धति पर, जो भी कम हो। उपभोग्य भंडार नगण्य होने के कारण क्रय के वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया गया है।

x. सेवानिवृत्ति लाभ

एनआईसी के साथ व्यवस्था के अनुसार, छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान की राशि की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड पे पर की जाती है और एनआईसी को दी जाती है। कंपनी कर्मचारियों को किसी भी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कि भविष्य में पूरी तरह से एनआईसीएसआई द्वारा वहन किया जाएगा।

xi. पूर्व अवधि वस्तु

पूर्व अवधि वस्तुएं संस्थान के पहले की अवधि के वित्तीय विवरणों में, बैलेंस शीट गलत वर्गीकरण समेत चूक/गलत विवरण होता है। भारतीय लेखांकन मानक 8 को पूर्व अवधि की गलतियों को पूर्वव्यापी रूप से सुधारने की आवश्यकता है, वित्तीय विवरणों के पहले सेट में, उनकी पहचान के बाद, पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत कर, जिसमें गलती हुई थी। हालांकि, यदि ऐसे पुनर्कथन अव्यवहारिक हों यानि जब कोई संस्था ऐसा करने के लिए प्रत्येक उचित प्रयास करने के बाद भी इसे लागू नहीं कर सके तो भारतीय लेखांकन मानक को पहले की अवधि की तुलना में ऐसी पूर्व अवधि की वस्तुओं के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है।

xii. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निगम को, प्रत्येक वर्ष में, रिपोर्टिंग अवधि के बाद रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित कुछ व्यय चालान मिलते हैं। एक रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय चालान, जो निगम द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के बाद लेकिन प्रबंधन द्वारा अनुमोदित कट–ऑफ तिथि से पहले प्राप्त किए जाते हैं या निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन को रिपोर्टिंग के बाद की घटनाओं को समायोजित करने के रूप में माना जाता है। इस प्रकार के व्यय चालानों पर संबंधित आय को भी उसी रिपोर्टिंग अवधि में शामिल किया जाता है।

एक रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय चालान, जो निगम द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्राप्त किए जाते हैं और यहां तक कि प्रबंधन द्वारा अनुमोदित कट–ऑफ तिथि या निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद भी, गैर–समायोजन के रूप में माने जाते हैं और जिस रिपोर्टिंग अवधि में प्राप्त होते हैं उसी में उनका हिसाब लगाया जाता है। संबंधित आय को उस रिपोर्टिंग अवधि में भी शामिल किया जाता है जिसमें व्यय चालान प्राप्त किए जाते और हिसाब लगाया जाता है।

xiii. पट्टा

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी फिर से नहीं दी गई है और भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टा शुरू होने की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा देयता को स्वीकार करती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित संपत्ति को हटाने और हटाने या अंतर्निहित संपत्ति या उस स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए लागत का अनुमान, जिस पर यह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को कम करना शामिल है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बाद में सीधी रेखा विधि का उपयोग कर प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरण के आधार पर। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय–समय पर हानि, यदि हो, से कम किया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः माप हेतु समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो कि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, ब्याज दर (यानी सरकारी बॉन्ड की औसत ब्याज दर–7.75%) का उपयोग कर छूट दी जाती है।

पट्टा देयता के माप में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित होते हैं:

– पदार्थ में निश्चित भुगतान समेत निश्चित भुगतान।

– परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, प्रारंभ में प्रारंभ तिथि के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;

– अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशियां; और

– खरीद विकल्प के तहत एक्सरसाइज प्राइस, कंपनी वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में भुगतान करने के लिए उचित रूप से निश्चित है अगर कंपनी विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निश्चित हो और पट्टे को शीघ्र समाप्त करने के लिए जुर्माना जब तक कि कंपनी यथोचित रूप से निश्चित न हो कि इसे जल्द समाप्त करना है।

पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग कर परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि कंपनी के अनुमान में अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की आशा की राशि में परिवर्तन होता है या यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

जब इस प्रकार पट्टा देयता को मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की वहन राशि के लिए समान समायोजन किया जाता है या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि को कम कर शून्य कर दिया गया हो।

कंपनी उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां प्रस्तुत करती है जो बैलेंस शीट में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश संपत्ति की परिभाषा और 'अन्य वित्तीय देयताओं' में पट्टा देयताओं को पूरा नहीं करती हैं।

अल्प–कालिक पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे

कंपनी ने अचल संपत्ति के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे की देयताओं को मान्यता नहीं देना चुना है, जिनकी पट्टा अवधि 12 माह की है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

एक पट्टा को स्थापना तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक हस्तांतरित करता है उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का उचित मूल्य या यदि कम हो तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतानों को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त हो सके। लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे अर्हक संपत्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है। हालांकि, अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तो संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के कम होने पर संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

संचालन पट्टा भुगतान को लीज अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

यह निर्धारित करना कि क्या पट्टा की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित कोई व्यवस्था है (या इसमें शामिल है)। व्यवस्था, या शामिल है, पट्टा, यदि व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, चाहे वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टे वाली व्यवस्थाओं का मूल्यांकन संक्रमण की तिथि यानि 1 अप्रैल 2016 को भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण हेतु भारतीय लेखांकन मानकों के भारतीय लेखआ मानकों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक आधार पर संक्रमण की तिथि के अनुसार विद्यमान तथ्य और परिस्थितियों पर किया गया है।

xiv. आय कर

वर्तमान आय कर

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को उस राशि पर मापा जाता है जिसकी वसूली या कराधान अधिकारियों को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकृत प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन कर उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान बनाते हैं।

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है यदि इन्हें सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद हैं।

आस्थगित कर

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग कर आस्थगित कर की गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताएं सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर संपत्तियां सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है आस्थगित कर संपत्ति के सभी या उसके हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता प्राप्त होती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

ऐसा स्थितियों में जहां कपनी भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961, के तहत कर अवकाश की हकदार है, अस्थायी अंतर के संबंध में कोई आस्थगित कर (संपत्ति या देयता) मान्य नहीं है जो कर अवकाश अवधि के दौरान उलट जाता है।

अस्थायी अंतरों के संबंध में आस्थगित कर, जो कर अवकाश अवधि के बाद उलट जाते हैं, उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें, अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं।

हालांकि, कंपनी आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता को इस सीमा तक प्रतिबंधित करती है कि वह यथोचित रूप से निश्चित हो गया हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति साधित होती है या देयता का निपटान कर दरें (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या ओसीआई या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर मदों को ओसीआई में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं के खिलाफ वर्तमान कर संपत्ति को सेट करने के लिए वर्तमान हैं और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई एवं एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट/MAT) का भुगतान कर कानूनों के अनुसार किया जाता है, जो भविष्य की आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ प्रदान करता है, यदि कंपनी द्वारा सामान्य आयकर का भुगतान करने का ठोस प्रमाण उपलब्ध हो तो इसे संप्तति माना जाता है। तदनुसार, मैट को बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब इस बात की संभावना होती है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

xv. गैर वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या नकद–उत्पादक इकाईयों (सीजीयू/CGU) में से उचित मूल्य के निपटान लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों या संपत्ति के समूह से बहुत हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी संपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और वसूली योग्य राशि को बट्टा खाता में डाल दिया जाता है।

उपयोग में मूल्यांकन का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेनदृदेन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

साख (गुडविल) को छोड़कर संपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए एक मूल्यांकन किया जात है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यताप्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद हो तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि काअनुमान लगाती है। पहले से मान्यताप्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि की पहचान होने के बाद से संपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। रिवर्सल (उलट) सीमित है ताकि संपत्ति का वहन इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यह्रास के शुद्ध, पिछले वर्षों में संपत्ति के कोई हानि की पहचान नहीं की गई थी। इस तरह के उत्क्रमण को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं ले जाता जाता है, इस मामले में उत्क्रमण को पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

xvi. खराब और संदिग्ध ऋणों के कारण वित्तीय संपत्तियों/प्रावधानों की क्षति

व्यापार प्राप्य के लिए 5% की दर से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है जो बैलेंस शीट की तिथि में तीन साल से अधिक समय से बकाया हो।

xvii. प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायलूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित कर इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और साथ ही जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर। यदि इक्विटी शेयर वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किए गए थे तो प्राप्त होने वाली आय के लिए डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि बाद की तिथि में आंकड़े जारी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए डायलूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित किसी भी शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के मुद्दों के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या पूर्वव्यापी रूप से समायोजित की जाती है।''

xviii. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब किसी उद्यम की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। उचित जोखिम समायोजित रियायती दर पर दीर्घकालिक प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जा सकती है। अल्पकालिक प्रावधानों को छूट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। रचनात्मक दायित्वों के संबंध में प्रावधान भी बनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि में निगम का कोई रचनात्मक दायित्व नहीं था।

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

xix. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और अल्पकालिक जमा में बैंकों की नकदी और हाथ में नकदी एवं तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

नकद और नकद समकक्षों में बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है जो कंपनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग है।''

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और धारणाओं का लगातार मूल्यांकन किया जाता है एवं प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होता है जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। इन धारणाओं एवं अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित संपत्तियां या देयता की वहन राशि के लिए वास्तविक समायोजन की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और धारणाओं की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखांकन नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे वर्णित हैं और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में भी हैं। अनुमानों में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

आकस्मिक व्यय

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच और अन्य दावों सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभावित रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग और भविष्य की घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

अनुमान और धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं जिनमें अगले वित्त वर्ष के भीतर संपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों के लिए वस्तु समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

(क) गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि कोई संकेत हो या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम होता है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशइ से अधिक हो जाती है, वहां संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग कर उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार का आकलन को बताता है। निपटान लागत को घटाकर उचित मूल्य निकालने में हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयरकों के मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

(ख) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिए बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापा जा सकता तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

(ग) वित्तीय संपत्तियों की हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता–जिस सीमा तक आस्थगित कर संपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

2.2 मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") ने नए मानक या वर्तमान मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01 अप्रैल 2021 से लागू होती हो।

हाल में की गई घोषणाएं

24 मार्च 2021 को, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची ।।। के खंड ।, ।। और ।।। में संशोधन करते हैं और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होते हैं। खंड ।। से संबंधित प्रमुख संशोधन जो उन कंपनियों से संबंधित हैं जिनके वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हैं:

बैलेंस शीट:

- पट्टा देयताओं का उल्लेख 'वित्तीय देयता' मद के तहत अलग से किया जाना चाहिए, विधिवत रूप से चालू या गैर–चालू के रूप में बताया जाना चाहिए।
- इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण जैसे पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन और वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष राशि।
- प्रोमोटरों की शेयरधारिता के प्रकटीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रारूप।
- व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रगतिशील कार्य पूंजी और विकासाधीन अमूर्त संपत्ति की एजिंग शेड्यूल हेतु निर्दिष्ट प्रारूप।
- यदि किसी कंपनी ने उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए उसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया था तो इसका उपयोग कहां किया गया है, इसका प्रकटीकरण।
- 'अतिरिक्त नियामक आवश्यकता' के तहत विशिष्ट प्रकटीकरण जैसे व्यवस्था की अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन, कंपनियों की स्तरों की संख्या का अनुपालन, कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के अधिकार पत्र विलेख, प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) एवं संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम, धारित बेनामी संपत्ति आदि का विवरण।

लाभ और हानि का विवरण:

- निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), अधोषित आय और क्रिप्टो या आभासी मुद्रा से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणों में 'अतिरिक्त जानकारी' मद के तहत निर्दिष्ट।

  संशोधन व्यापक हैं और कंपनी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाखो में

विवरण	भवन	फर्नीचर और फिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
लागत						
1 अप्रैल 2019	**1,985.85**	**1,591.71**	**7.02**	**4,298.60**	**6,929.55**	**14,812.73**
संवर्धन	-	7.96	-	37.06	70.52	115.55
निपटान	-	-	-	0.46	4.91	5.37
31 मार्च 2020 तक	**1,985.85**	**1,599.67**	**7.02**	**4,335.20**	**6,995.16**	**14,922.90**
संवर्धन	-	3.82	10.61	45.87	293.63	353.93
निपटान	-	-	-	-	5.43	5.43
31 मार्च 2021 तक	**1,985.85**	**1,603.49**	**17.63**	**4,381.07**	**7,283.36**	**15,271.40**
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2019 तक	**1,060.26**	**1,214.79**	**6.52**	**2,921.47**	**4,203.88**	**9,406.92**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	45.28	97.33	0.17	545.78	139.78	828.34
हानि क्षति	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	0.43	4.67	5.10
31 मार्च 2020 तक	**1,105.55**	**1,312.12**	**6.68**	**3,466.82**	**4,338.98**	**10,230.15**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	43.06	72.63	1.75	324.11	370.65	812.20
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	-	-	-	-	1,856.74	1,856.74
निपटान	-	-	-	-	5.26	5.26
31 मार्च 2021 तक	**1,148.61**	**1,384.75**	**8.43**	**3,790.93**	**6,561.11**	**12,893.83**
शुद्ध अंकित मूल्यः						
31,मार्च 2021 तक	**837.24**	**218.74**	**9.20**	**590.14**	**722.25**	**2,377.57**
31 मार्च 2020 तक	**880.31**	**287.55**	**0.33**	**868.38**	**2,656.18**	**4,692.75**

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सूत्र हेतु प्रकटीकरण या पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट सं. 37 देखें।

2. वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान ''कंप्यूटर'' पर 1856.74 लाख रु. के मूल्यह्रास को गलती से ''अन्य अमूर्त संपत्ति'' मद से कम कर लिया गया था। इसे चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ''अन्य समायोजन'' के माध्यम से पुनर्समूहित/पुनःकथन किया गया है। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के तहत निर्धारित दरों के आधार पर कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास की गणना उचित तरीके से की गई थी, इसलिए कथित पुनर्समूहन/पुनर्कथन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

4. परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

₹ लाखो में

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	कुल
31 मार्च 2019 तक	**21,285.61**	**21,285.61**
संवर्धन		-
निपटान	-	-
31 मार्च 2020 तक	**21,285.61**	**21,285.61**
संवर्धन	694.52	694.52
अधिकारों में संशोधन	**18.18**	**18.18**
निपटान	842.06	842.06
31 मार्च 2021 तक	**21,119.89**	**21,119.89**
ऋणपरिशोधन		
31 मार्च 2019 तक		
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	2,360.92	2,360.92
31 मार्च 2020 तक	**2,360.92**	**2,360.92**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	2,373.84	2,373.84
हानि क्षति	-	-
निपटान	842.06	842.06
31 मार्च 2021 तक	**3,892.70**	**3,892.70**
शुद्ध अंकित मूल्यः		
31 मार्च 2021 तक	**17,227.19**	**17,227.19**
31 मार्च 2020 तक	**18,924.70**	**18,924.70**

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**सॉफ्टवेयर**	**कुल**
लागत		
1 अप्रैल 2019 तक	**14,875.70**	**14,875.70**
संवर्धन	2,707.60	2,707.60
निपटान		-
31 मार्च 2020 तक	**17,583.30**	**17,583.30**
संवर्धन	5,844.26	5,844.26
निपटान	-	-
31 मार्च 2021 तक	**23,427.56**	**23,427.56**
ऋणपरिशोधन		
1 अप्रैल 2019 तक	**7,810.65**	**7,810.65**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	5,415.88	5,415.88
हानि क्षति	-	-

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
निपटान	-	-
31 मार्च 2020 तक	**13,226.53**	**13,226.53**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	3,375.74	3,375.74
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	(1,856.74)	(1,856.74)
हानि क्षति	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2021 तक	**14,745.53**	**14,745.53**
शुद्ध अंकित मूल्यः		
31 मार्च 2021 तक	**8,682.03**	**8,682.03**
31 मार्च 2020 तक	**4,356.78**	**4,356.78**

1. अन्य अमूर्त संपत्तिों के सूत्र हेतु प्रकटीकरण या पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट सं. 37 देखें।

2. वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान ''कंप्यूटर'' पर 1856.74 लाख रु. के मूल्यह्रास को गलती से ''अन्य अमूर्त संपत्ति'' मद से कम कर लिया गया था। इसे चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ''अन्य समायोजन'' के माध्यम से पुनर्समूहित/पुनःकथन किया गया है। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के तहत निर्धारित दरों के आधार पर कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास की गणना उचित तरीके से की गई थी, इसलिए कथित पुनर्समूहन/पुनर्कथन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

6 – ऋण

लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2021 तक	**31 मार्च 2020 तक**
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा	108.34	107.08
कुल	108.34	107.08

7 – अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2021 तक	**31 मार्च 2020 तक**
सावधि जमा		
12 माह* से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा	291.60	291.60
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज	243.04	202.99
कुल	**534.64**	**494.59**

*बैंक गारंटी के नामे गिरवी रखी गई सावधि जमा।

8. आस्थगित कर

वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक

क. आय और व्यय खाते में दर्ज राशि

₹ लाखो में

	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(i)	आय या हानि खंड		
	वर्तमान आयकर शुल्क	3,504.78	4,820.17
	पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	(1,318.02)	195.63
	आस्थगित करः		
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	1,142.35	(792.63)
	आय और व्यय खाते में सूचित आयकर व्यय	**3,329.11**	**4,223.17**
(ii)	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में दर्ज वस्तुओं से संबंधित आस्थगित करः	-	-
	कुल	**3,329.11**	**4,223.17**

ख. 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलानः

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखांकन आय	13,152.06	13,299.37
बंद परिचालन से कर पूर्व आय	-	-
आयकर से पूर्व आय की गणना	13,152.06	13,299.37
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% पर (31 मार्च 2020: 34.944%)	3,310.11	4,647.33
पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	(1,318.02)	195.63
कर मुक्त सरकारी अनुदान	-	-
आयकर दर में परिवर्तन के कारण	1,337.02	-
अन्य परिसंपत्तियां	-	(646.70)
कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय	-	26.90
24.33% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2020: 31.75%)	3,329.11	4,223.17
आय और व्यय खाते में सूचित आयकर व्यय	3,329.11	4,223.17
बंद परिचालन के कारण आयकर	-	-
कुल	**3,329.11**	**4,223.17**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ठ।।, उक्त धारा में परिभाषित प्रावधानों/शर्तों के अनुसार कम दरों पर आयकर का भुगतान करने के लिए कंपनियों को एक विकल्प प्रदान करता है और तदनुसार, कंपनी ने उक्त खंड में निर्धारित दर के आधार पर आयकर हेतु नई कर दर और मान्यता प्राप्त प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया है और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी आस्थगित कर संपत्ति/देयताओं का पुनर्माप किया है।

ग. आस्थगित करः

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित हैंः

₹ लाखो में

विवरण	बैलेंस शीट		आय और व्यय कथन	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	183.02	455.88	272.86	(475.98)
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	2,387.43	3,387.86	1,000.43	67.56
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	11.50		(11.50)	-
परिसंपत्तियों की शुद्ध पट्टा देयताओं के उपयोग का अधिकार	585.16	465.72	(119.44)	(465.72)
सुरक्षा जमा (परिसंपत्तियां) का वर्तमान मूल्यांकन	-	-	-	81.51
आस्थगित कर व्यय/(आय)			**1,142.35**	**(792.63)**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**3,167.11**	**4,309.46**		

बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखता हैः **₹ लाखो में**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,167.11	4,309.46
आस्थगित कर देयताएं		-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं), शुद्ध	**3,167.11**	**4,309.46**

9 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,211.07	1,164.64
पूंजी अग्रिम*	1,105.61	-
कुल	**2,316.68**	**1,164.64**

*वर्ल्ड ट्रेड टावर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद हेतु अग्रिम

10 . व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	26,360.57	18,987.52
असुरक्षित को संदिग्ध माना जाता है*	8,508.75	8,435.35
घटा लें: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(8,508.75)	(8,435.35)
कुल	**26,360.57**	**18,987.52**

* वित्त वर्ष 2019–20 में 8435.35 लाख रु. के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उलट दिया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए बैलेंस शीट तिथि पर 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया पर 5% की बजाए 8508.75 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। नोट सं. 56 देखें।

11 – नकद और नकद समकक्ष

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों में अधिशेष		
बचत खाता	29,226.99	32,287.27
अन्य		
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
सावधि जमा (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)*	46,020.46	42,320.65
कुल	75,247.95	74,608.42

* स्वीप जमा खातों के बैंक शेष भी शामिल हैं।

12 – उपरोक्त के अलावा बैंक अधिशेष

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
सावधि जमा	1,03,253.45	73,239.18
बैंक गारंटी पर गिरवी रखा गया सावधि जमा	1,102.44	2,898.29
कुल	**1,04,355.89**	**76,137.47**

13 – अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2021 तक	**31 मार्च 2020 तक**
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज	3,678.34	4,060.72
कुल	**3,678.34**	**4,060.72**

14 – वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
भुगतान किया गया आयकर (कुल प्रावधान 6973.96 लाख रु. (पिछला वर्ष 7877. 62 लाख रु.)	15,666.33	15,951.21
घटावः –		
आयकर का प्रावधान (रिफंड प्राप्त नहीं हुआ)	(1,835.88)	(1,802.91)
(लेखा सं. 61 के लिए नोट देखें)		
कुल	**13,830.45**	**14,148.29**

15 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पूंजी अग्रिम के अलावा		
कर्मचारियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	24.31	33.12
कुल (क)	24.31	33.12
अन्य अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
अग्रिमों और अन्यों पर जीएसटी	27,246.47	28,559.12
प्रीपेड व्यय	1.52	2.41
कुल (ख)	27,247.99	28,561.53
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
वसूली योग्य कार्य अनुबंध पर बिक्री करध् डीवीएटी और टीडीएस*	120.45	120.45
घटावः –		
बिक्री कर/वैट के लिए प्रावधान (वापस नहीं किया गया है)	117.91	117.91
डब्ल्यूटीसी पर टीडीएस हेतु प्रावधान (वापस नहीं किया गया)	2.54	2.54
(लेखा सं. 61 के लिए नोट देखें)		
कुल (ग)	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	877.34	921.25
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	977.22	1,260.88
घटावः –		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम हेतु प्रावधान (समायोजित/निपटान नहीं)	977.22	1,260.88
(लेखा सं. 57 के लिए नोट देखें)		
कुल (डी)	**877.34**	**921.25**
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**28,149.64**	**29,515.90**

16 – इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अधिकृत		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
कुल	200.00	200.00

क. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक*: –

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	प्रतिशत (%)
डीजी, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
श्रीमती रचना श्रीवास्तव	1	0.0005	-	-
श्री श्याम बिहारी सिंह	-	-	1	0.0005
श्री नागेश शास्त्री	1	0.0005	1	0.0005
श्री दीपक चंद्र मिश्रा	1	0.0005	1	0.0005
श्री विष्णु चंद्र	1	0.0005	1	0.0005
श्री आर एस मणि	1	0.0005	1	0.0005
कुल	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

*भारत सरकार की तरफ से धारित 5: से अधिक शेयर रखने के बावजूद सभी शेयरधारकों को शेयरधारिता की जानकारी दी गई है।

ख. रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया चुकता शेयरों का समायोजन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
शामिल करें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर/(बाईबैक)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग. इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसका मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ. 31 मार्च 2021 से ठीक पहले के पांच वर्षों की अवधि में, न तो कई बोनस शेयर जारी किए गए और न ही नकद के अलावा अन्य किसी शेयर को प्रतिफल हेतु आवंटित किया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान कोई शेयर वापस नहीं लाया गया था।

17 – अन्य इक्विटी

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष		
प्रारंभिक जमा	59,014.02	49,937.82
पूर्व अवधि आय (कर्मचारी)*	531.69	-
ओपनिंग बैलेंस रीस्टेट किया गया	**59,545.71**	**49,937.82**
शामिल करें: वर्ष के लिए अधिशेष (कमी)	9,822.95	9,076.20
कुल	**69,368.66**	**59,014.02**

* नोट संख्या 65 देखें

18 – अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सुरक्षा जमा देय	39.46	39.46
पट्टा देयता (नोट सं. 35 देखें)	15,741.75	16,629.96
कुल	**15,781.21**	**16,669.42**

19 – व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया*	2,668.91	817.14
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों का कुल बकाया	27,898.71	23,591.47
कुल	**30,567.62**	**24,408.60**

* नोट सं. 46 देखें

20 – अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2021 तक	**31 मार्च 2020 तक**
देय बयाना जमा	983.27	1,193.26
कर्मचारी लाभ देय	208.80	207.87
व्यय देय	139.36	0.00
पट्टा देयताएं (नोट सं. 35 देखें)	2,319.17	2,161.34
प्रतिधारण राशि (प्रदर्शन बैंक गारंटी)*	243.03	242.38
कुल	**3,893.63**	**3,804.85**

*प्रदर्शन बैंक गारंटी पर विक्रेता से प्रतिधारण।

21 – अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सांविधिक बकाया और कर	4,106.17	8,587.10
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	1,41,188.48	1,24,647.66
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	20,856.11	14,102.14
कुल	**1,66,150.76**	**1,47,336.90**

22 – प्रावधान

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2021 को	**31 मार्च 2020 को**
स्टाम्प शुल्क का प्रावधान (नोट सं. 44 देखें)	74.52	74.52
कुल	**74.52**	**74.52**

23–संचालन से राजस्व

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन से राजस्व		
व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	12,383.61	18,908.56
सेवा आय	1,15,125.37	96,192.85
कुल (ए)	**1,27,508.98**	**1,15,101.41**
प्रशासनिक शुल्क	693.28	527.19
कुल (ख)	**693.28**	**527.19**
संचालन से कुल राजस्व (क)+(ख)	**1,28,202.26**	**1,15,628.59**

24 – अन्य आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
ब्याज आय*	7,220.98	8,530.90
घटावः –		
सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	190.30	397.49
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (सहायता अनुदान)	28.97	27.87
अन्य गैर–परिचालन आय	173.57	291.78
संदिग्ध ऋण (नोट सं. 56)	-	1,454.25
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (समायोजित/निपटान नहीं) (नोट सं. 57 देखें)	283.65	451.32
	7,458.93	**10,302.89**

*आयकर की वापसी पर ब्याज के लिए 226.02 लाख रु. (भुगतान शून्य) शामिल है

25 – खरीद

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
खरीदः –		
हार्डवेयर	9,043.86	16,476.12
सॉफ्टवेयर	2,939.71	1,326.09
डिस्ट्रिक्ट बुनियादी ढांचे का विस्तार	-	26.79
कुल	11,983.57	17,829.00

26 – कर्मचारी लाभ योजना

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
वेतन और प्रोत्साहन	842.98	824.43
कर्मचारी कल्याण	24.74	31.87
कुल	**867.72**	**856.31**

27 – वित्त लाभ

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयता को समाप्त करने पर ब्याज व्यय	953.23	1,037.41
कुल	**953.23**	**1,037.41**

28 – मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट सं. 3 देखें)	812.20	828.34
संपत्ति के उपयोग का अधिकार (नोट सं. 4 देखें)	2,373.84	2,360.92
अन्य अमूर्त संपत्तियां (नोट सं. 5 देखें)	3,375.74	5,415.88
कुल	**6,561.78**	**8,605.14**

29 अन्य व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क (नोट सं. 39 देखें)	9.98	9.97
बैंक शुल्क	1.74	12.00
बोर्ड बैठक व्यय	-	0.43
खाताबही और पत्र–पत्रिकाएं	12.95	2.67
व्यापार संवर्धन	3.86	8.15
जीएसटी (गैर–सेनवाटेबल)	29.56	18.95
सम्मेलन संगोष्ठी कार्यशाला व्यय	67.46	41.28
उपभोग्य भंडार	37.92	48.29
वाहन व्यय	4.83	3.94
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	57.20	40.00
डी.जी. सेट के लिए डीजल	1.69	1.17
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (नोट सं. 56 देखें)	73.40	-
बिजली और पानी शुल्क	821.18	706.78
किराया शुल्क	7.24	3.08
हाउस कीपिंग और साफ–सफाई शुल्क	352.88	377.24
मकान पट्टा शुल्क	4.66	4.40
सदस्यता और अंशदान शुल्क	0.92	1.03
विविध व्यय	8.70	9.70
कार्यालय व्यय	2,570.99	2,569.28
कार्यालय किराया	0.57	30.21
मुद्रण और स्टेशनरी	4.32	5.71
पेशेवर और परामर्श शुल्क	349.61	234.33
किराया दरें और कर	10.18	9.94
मरम्मत और रख–रखाव	352.56	363.73
टैक्सी किराया शुल्क	276.69	308.27
टेलीफोन शुल्क	42.51	38.70
यात्रा शुल्क	54.56	326.46
वाहन–पेट्रोल	1.34	1.59
बिक्री कर/वैट प्रावधान	-	0.21
डब्ल्यूसीटी पर टीडीएस प्रावधान	-	0.20
कुल	**5,159.50**	**5,177.70**

30 – प्रति शेयर आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों के कारण अधिशेष	9,822.95	9,076.20
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,00,000	2,00,000
प्रति शेयर मूल आय	**4,911.47**	**4,538.10**
प्रति शेयर डाइलूटेड आय	**4,911.47**	**4,538.10**
प्रति शेयर अंकित मूल्य	100.00	100.00

31. उचित मूल्य पैमाइश

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	-	26,360.57	-	18,987.52
नकद और नकद समकक्ष	-	75,247.95	-	74,608.42
अन्य बैंक शेष	-	1,04,355.89	-	76,137.47
अर्जित ब्याज (वर्तमान)	-	3,678.34	-	4,060.72
सुरक्षा जमा	-	108.34	-	107.08
सावधि जमा	-	291.60	-	291.60
अर्जित ब्याज (गैर–वर्तमान)	-	243.04	-	202.99
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	2,10,285.73	-	1,74,395.80
वित्तीय देयताएं				
व्यापार देय	-	30,567.62	-	24,408.60
अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)	-	3,893.63	-	3,804.85
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)	-	15,781.21	-	16,669.42
कुल वित्तीय देयताएं	.	**50,242.46**	**-**	**44,882.87**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

सभी वित्तीय साधन जिनके लिए उचित मूल्य को मान्यता दी गई है या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार वर्णित हैं, निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वहीन है।

स्तर 1 : एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) मूल्य

स्तर 2 : मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर के इनपुट जिनका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जिसका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित तालिका कंपनी की संपत्ति और देयताओं के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती है, उनके अलावा जिनके उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के करीब अनुमान हैं।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

नकद एवं नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्यों, अन्य प्राप्यों, अल्प–कालिक ऋण, व्यापार देय एवं अन्य चालू वित्तीय देयता के लिए प्रबंधन के आकलन के अनुसार इनके उचित मूल्य इनके रख–रखाव लागत के लगभग बराबर है जो बहुत हद तक इन साधनों के अल्प–कालिक परिक्वता के कारण है।

कंपनी के दीर्घ–कालिक ब्याज–मुक्त सुरक्षा जमा का उचित मूल्य का निर्धारण छूट नकद प्रवाह (डीसीएफ) विधि को लागू कर किया गया है, इसमें छूट दर का प्रयोग किया जाता है जो रिपोर्ट किए जाने की अवधि के समाप्त होने पर बाजार ऋण दर को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम समेत अप्रमाणित आदानों के समावेश के कारण इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य वर्ग में रखा जाता है।

32. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी के प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय, सुरक्षा जमा, बयाना धन जमा और कर्मचारी देयताएं आती हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, सावधि जमा, इसके संचालन से सीधे मिलने वाले नकद एवं बैंक शेष शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के अधीन है। कंपनी प्रबंधन इन जोखिमो का प्रबंध करती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल का समर्थन प्राप्त होता है जो वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उचित वित्तीय जोखिम प्रशासन रूपरेखा पर परामर्श देते हैं। मंडल कंपनी के प्रबंधन को आश्वस्त करता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा संचालित हैं और कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिमों को पहचाना, उन्हें मापा और उनका प्रबंध किया जाता है। प्रबंधन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है और अपनी सहमति देता है।

I. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक जोखिम है जो बताता है कि एक वित्तीय साधन का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य में बाजार मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम होते हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम एवं अन्य मूल्य जोखिम। वित्तीय साधन सावधि जमाओं समेत बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित होते हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी द्वारा बैंकों में किए गए सावधि जमाओं से संबंधित है। कंपनी की सावधि जमा निश्चित दर पर की जाती है। इसलिए भारतीय लेखांक मानक (Ind AS) 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन होने के कारण न तो रख–रखाव राशि न ही भावी नकद प्रवाह में किसी प्रकार का बदलाव होगा।

ख. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता के कारण कंपनी का कर पूर्व लाभ प्रभावित होता है। कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा नहीं क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की कोई भी विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्ति या देयता नहीं है।

II. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकद एवं नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्य एवं ऋणशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित है। कंपनी लगातार उपभोक्ताओं एवं अन्य प्रतिपक्षों के दोषों पर नजर बनाए रखती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम उपायों में शामिल करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान करती हैः

ऋण जोखिम	वर्गीकरण का आधार	अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान
ऋण जोखिम कम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा एवं अन्य बैंक शेष	12 माह के ऋण हानि की उम्मीद
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या 12 माह के ऋण हानि की उम्मीद

कारोबारी माहौल के आधार पर जिसमें कंपनी संचालित होती है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट पर विचार किया जाता है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियां के बीच अंतर पर विचार करने पर आधारित हैं।

जब वसूली को कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, तो संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे कि दिवालिया घोषित करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी। कंपनी उन पार्टियों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और पुनर्भुगतान को लागू करने का प्रयास करती है। की गई वसूली को आय और व्यय खातों में लिखा जाता है।

₹ लाखो में

ऋण जोखिम	विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
न्यून ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष	1,83,816.82	1,55,301.20
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय संपत्तियां	26,468.91	19,094.60

व्यापार प्राप्यों की सांद्रता

व्यापार प्राप्तियों में भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल होते हैं जिनमें ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेंद्रण नहीं होता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए ऋण जोखिम एक्सपोजर प्रावधान। कंपनी निम्नलिखित वित्तयी परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों का प्रावधान करती है–

₹ लाखो में

विवरण	सकल वहन राशि	अपेक्षित ऋण हानि	अपेक्षित ऋण हानियों की शुद्ध वहन राशि
31 मार्च 2021 तक			
व्यापार प्राप्य	34,869.32	(8,508.75)	26,360.57
31 मार्च 2020 तक			
व्यापार प्राप्य	27,422.87	(8,435.35)	18,987.52

हानि प्रावधान का समायोजन–आजीवन अपेक्षित ऋण हानि

₹ लाखो में

हानि भत्ते का समायोजन	व्यापार प्राप्य
31, मार्च 2019 तक हानि भत्ता	**9,889.60**
वर्ष के दौरान दर्ज/(प्राप्त) हानि क्षति	(1,454.25)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2020 तक हानि भत्ता	**8,435.35**
वर्ष के दौरान दर्ज/(प्राप्त) हानि क्षति	73.40
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2021 तक हानि भत्ता	**8,508.75**

III. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में बाधा डालती है जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय संपत्तियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तरलता के प्रबंधन हेतु कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त तरलता होगी जब वे देय हों। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता की स्थिति और नकदी एवं नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नजर रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है।

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाले भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सार प्रस्तुत करती है

₹ लाखो में

	मांग पर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	कुल
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2021 को						
व्यापार देय	30,567.62	-	-	-	-	30,567.62
अन्य वित्तीय देयताएं	1,574.46	709.87	1,609.30	3,720.80	12,060.41	19,674.84
कुल	**32,142.08**	**709.87**	**1,609.30**	**3,720.80**	**12,060.41**	**50,242.46**
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2020 को						
व्यापार देय	24,408.60	-	-	-	-	24,408.60
अन्य वित्तीय देयताएं	1,643.51	540.33	1,621.00	6,479.55	10,189.87	20,474.27
कुल	**26,052.11**	**540.33**	**1,621.00**	**6,479.55**	**10,189.87**	**44,882.88**

33 . पूंजी प्रबंधन

''कंपनी की पूंजी प्रबंधन संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबद्ध कार्य कायक्रमों को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त तरलता बनी रहे। कंपनी, उद्देश्योंक पूरा करने और लचीलेपन को बनाए रखने हेतु पूंजी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए व्यवसाय की दीर्घकालिक नकदी प्रवाह आवश्यकताओं की निगरानी करती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, पूंजी वापस कर सकती है, नकदी हेतु नए शेयर जारी कर सकती है, ऋण चुका सकती है, नई ऋण सुविधाएं स्थापित कर सकती है या ऐसी अन्य पुनर्गठन गतिविधियां कर सकती है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ऋण		
व्यापार देयताएं	30,567.62	24,408.60
अन्य देयताएं	1,85,900.12	1,67,885.69
घटावः नकद और नकद समकक्ष	(75,247.95)	(74,608.42)
निवल ऋण	**1,41,219.79**	**1,17,685.88**
कुल इक्विटी	**69,568.66**	**59,214.02**
पूंजी और निवल ऋण	**2,10,788.45**	**1,76,899.89**
गियरिंग अनुपात (%)	**67.00%**	**66.53%**

34. लेखा नीति में परिवर्तन

नीचे निर्दिष्ट के अलावा, कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लेखा नीतियों को लगातार लागू किया है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 के प्रारंभिक आवेदन तिथि के साथ भारतीय लेखांकन मानक 116 को लागू किया है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पट्टा अनुबंधों हेतु अपनी लेखा नीति में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बदलाव किए हैं।

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 116 को लागू किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2019 को प्रतिधारित आय में प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

₹ लाखो में

31 मार्च 2019 को पट्टा प्रतिबद्धताएं	28,674.62
जोड़ें/(घटाएं): पट्टा अनुबंधों के रूप में पुनर्मूल्यांकित अनुबंध	-
जोड़ें/(घटाएं): विस्तार/समाप्ति के कारण समायोजन	874.32
1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताएं	29,548.94
वर्तमान पट्टा देयताएं	2,296.97
गैर–वर्तमान पट्टा देयताएं	27,251.97

21,285.61 रु. के संपत्ति के उपयोग के अधिकार और 20,050.86 रु. के पट्टा देयताओं को 1 अप्रैल 2019 को स्वीकार किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक 116 को अपनाने पर लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है :

₹ लाखो में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में कमी	-
पट्टा देयताओं में वृद्धि	18,791.30
उपयोग के अधिकारों में वृद्धि	18,924.70
आस्थगित कर संपत्तियों में वृद्धि / कमी	465.72
वित्त लागत में वृद्धि / कमी	1,037.41
मूल्यह्रास में वृद्धि / कमी	2,360.92

35. पट्टे

पट्टेदार के रूप में

(क) संपत्ति के उपयोग के अधिकार में संवर्धन

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
निवेश संपत्ति को छोड़कर, उपयोग की जाने वाली संपत्तियां	694.52	18,924.69

(ख) श्रेणी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का वहन मूल्य

₹ लाखो में

विवरण	**श्रेणी 1**	**श्रेणी 2**	**कुल**
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि		21,285.61	21,285.61
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,360.92	2,360.92
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि		18,924.69	18,924.69
संवर्धन		694.52	694.52
अधिकारों में संशोधन		18.18	18.18
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,373.84	2,373.84
31 मार्च 2021 को शेष राशि		17,227.19	17,227.19

(ग) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
रोकड़ जमा	18,791.30	20,050.85
संवर्धन	694.52	-
ब्याज	953.23	1,037.41
अधिकारों में संशोधन	(18.18)	-
देयताओं का भुगतान	(2,359.96)	(2,296.97)
जमा शेष	18,060.91	18,791.30

₹ लाखो में

परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक बिना छूट वाला नकदी प्रवाह	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
एक वर्ष से कम	2,319.17	2,161.34
एक से पांच वर्ष	10367.95	9,552.17
पांच वर्षों से अधिक	12,060.42	15,021.93
बिना छूट वाली कुल पट्टा देयताएं	**24,747.54**	**26,735.44**

बैलेंस शीट में शामिल पट्टा देयताएं	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
वर्तमान	2,319.17	2,161.34
गैर–वर्तमान	15,741.75	16,629.96
कुल	18,060.92	18,791.30

(घ) लाभ या हानि में स्वीकृत राशि

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष**
पट्टा देयताओं पर ब्याज	953.23	1,037.41
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टा देयताओं की पैमाइश में शामिल नहीं है	-	-
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के उप–पट्टे से आय	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	0.57	30.21
कम मूल्य वाली संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर कम–मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

(ङ) नकद प्रवाह विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	2,359.96	2,296.97

36. आकस्मिक देयताएं

बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई ऑफसाइट वारंटी के संबंध में आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किए गए सभी उपकरण वारंटी अवधि के बाद समय–समय पर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से एएमसी के तहत कवर किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, अन्य आकस्मिक देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं: –

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	99.66	104.58
गारंटी	691.10	1864.94
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2012–13)	-	14.89
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2014–15)	206.29	-
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2015–16)	350.60	350.60
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2018–19)*	2434.58	-
कुल	3782.23	2335.01

*आईटीआर में दावा किए गए रिफंड के समायोजन के बाद उपरोक्त मांग को नेट ऑफ कर दिया गया है।

उपरोक्त के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में भी कोई वास्तविक देय/मांग नहीं होगी।

37. प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने खरीद आदेश और आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद और बाद की अवधि में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्धता की है। उन प्रतिबद्धताओं को सहमत शर्तों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, 31 मार्च 2021 को कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की राजस्व प्रतिबद्धताओं की राशि 509.70 लाख रुपये (पीवाई 116.68 लाख रु.) है। इसके अलावा, "आरक्षित निधि/रिजर्व्स" में से पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता इस प्रकार हैं:–

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
नेशनल डेटा सेंटर, भुवनेश्वर	22501.31	3594.88
एनआईसी क्लाउड सर्विस का संवर्द्धन	1874.07	3779.52
डिस्ट्रिक्ट 2.0–डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का विस्तार	1380.21	1380.21
डीएमआरसी–सीपीडब्ल्यूडी से पट्टा किराया, दूसरा तल, ब्लॉक–1, शास्त्री पार्क, दिल्ली–(डेटा सेंटर के लिए इंटीरियर फर्निशिंग– 1305.68/डेवलपमेंट शीट्स– 875.00)	2280.68	शून्य
वर्ल्ड ट्रेड टावर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद (इकाई सं. ए–300) (कुल लागत 13043.31 में से 2020–21में 1105.61 का भुगतान, दोनों राशियां करों को छोड़कर)	11937.70	शून्य
कुल	39973.97	8754.61

38. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत दिए गए आय और व्यय खाते को तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 5(viii) के अनुसार सूचना।

i. सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्यः शून्य (पीवाई रु. शून्य)

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भवन आधार पर):

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष
यात्रा–स्टाफ (विदेश)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा में आय (प्रोद्भवन के आधार पर): शून्य रु. (पीवाई रु. शून्य)

39. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक*

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष
कर लेखा परीक्षा शुल्क समेत लेखा परीक्षक शुल्क	6.36	6.36
आयकर लेखा परीक्षा	0.85	0.85
जीएसटी लेखापरीक्षा	0.85	0.85
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	1.91	1.91
कुल	9.97	9.97

* लागू करों को छोड़कर। इसके अलावा, जीएसटी को छोड़ कर 1.80 लाख रु. (पीवाई रु. 1.91 लाख) विभिन्न परियोजनाओं में प्रमाणन कार्य हेतु प्रदान किए जाते हैं जो सीधे संबंधित परियोजनाओं में नामे लिखे (डेबिटेड) जाते हैं।

40. भारतीय लेखांकन मानक 19 – 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण

i. भविष्य निधि में योगदान

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर कंपनी के पास कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपने पदों के साथ एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। भविष्य निधि के लिए निर्धारित दर और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भविष्य निधि को उनके वेतन से हर महीने काट लिया जाता है और एनआईसी को दे दिया जाता है क्योंकि इसका पूरा लेखा–जोखा एनआईसी ही देखती है। इस प्रकार, भविष्य निधि खाते पर कर्मचारियों को किसी भी भुगतान हेतु कंपनी की कोई देयता नहीं है।

ii. छुट्टी वेतन

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर चूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन योगदान, (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), की गणना कंपनी द्वारा हर महीने की जाती है और एनआईसी को भेज दी जाती है। इस प्रकार कंपनी पर छुट्टी वेतन/छुट्टी के बदले नकद भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।

iii. पेंशन योगदान

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर चूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, पेंशन योगदान, (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), की गणना कंपनी द्वारा हर महीने की जाती है और एनआईसी को भेज दी जाती है। इस प्रकार कंपनी पर पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।

iv. उपदान (ग्रेच्युटी)

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर चूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, कंपनी किसी भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

41. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों की सूची

पक्ष का नाम	संबंध
श्री मनोज कुमार मिश्रा (प्रबंध निदेशक)	प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी (14.02.2020 तक)
श्री प्रशांत कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक)	प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी 17.02.2020 से अब तक
श्री गिरीश कुमार (कंपनी सचिव)	प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी (04.08.2019 तक)
श्री सनी जैन (कंपनी सचिव)	प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी 16.12.2019 से अब तक

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः –

₹ लाखो में

पक्ष का नाम	लेन–देन का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
श्री मनोज कुमार मिश्रा	प्रबंधकीय वेतन	-	36.81
श्री प्रशांत कुमार मित्तल	प्रबंधकीय वेतन	36.88	4.10
श्री गिरीश कुमार	प्रबंधकीय वेतन	-	3.48
श्री सनी जैन	प्रबंधकीय वेतन	10.36	2.87
	कुल	47.24	47.26

31 मार्च 2021 तक संबंधित पक्षों को देय राषि शेषः 3.39 लाख रु. (पीवी 2.19 लाख रु.)

42. भारतीय लेखांकन मानक–108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी केवल दिल्ली में स्थिति केंद्रीकृत कार्यालय से 'सूचना प्रौद्योगिकी' खंड में सेवाएं प्रदान कर रही है। इसे केवल एक खंड मानते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक–108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

43. शेष राशि की पुष्टि

विभिन्न शीर्षों के तहत शेष राशि पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

44. वाहन/अधिकार पत्र का निष्पादन न करना

कंपनी ने मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से वर्ष क्रमशः 2003 और 2001 में हॉल सं. 2 और 3 के छठे तल, एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, में खरीदा था। हालांकि, कंपनी द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी इसके लिए वाहन विलेख/अधिकार पत्र विलेख 931.50 लाख रु. (पीवाई 931.50 लाख रु.) को एनबीसीसी द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया है। इसलिए, स्टाम्प शुल्क के तौर पर 74.51 लाख रु. (पीवाई 74.51 लाख रु.) का प्रारंभिक प्रावधान वित्तीय विवरणों में रखा गया है और अंतर राशि, यदि हो, उस वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी, जिसे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में एनआईसीएसआई ने समय–समय पर विभिन्न अवसरों पर इस मामले को एनबीसीसी के समक्ष उठाया है।

45. प्रबंधन की राय में, चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम एवं व्यापार प्राप्य व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में वसूली पर कम–से–कम उस राशि के बराबर है जिस पर उन्हें बताया गया है।

46. एनएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
1	मूलधन और उस पर देय ब्याज किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है	2668.91	817.14
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ	शून्य	शून्य

3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज राशि, लेकिन सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
4	अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में भी शेय देय और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज बकाया वस्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

47. भारतीय लेखांकन मानक–36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक–36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लक्ष्मी नगर में डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र के संबंध में संपत्ति की हानि का आकलन किया गया है, 'एनआईसी क्लाउड सर्विसेज के संवर्धन' पर निवेश के लिए शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र और शास्त्री पार्क स्थानों पर विकास केंद्र, जो कंपनी की नकदी पैदा करने वाली इकाईयां हैं और उन पर कोई हानि की पहचान नहीं की गई है।

48. डीओटी लाइसेंस सं. 815–100/एनआईसीएसआई/2009–डीएस दिनांक 20.11.2009 के खिलाफ वीसैट परियोजनाओं से राजस्व सृजन (जीआर/एजीआर) (एनआईसीएसआई द्वारा 31.03.2017 को समर्पण किया गया और डीओटी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया) और इसके लिए डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान

एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 को डीओटी लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और डीओटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। डीओटी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार, एआईसीएसआई ने 31.03.2017 तक केवल इस गतिविधि से संबंधित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम शुल्क की पूर्ण राशि का भुगतान किया है। साथ ही, एमएचए/एनडीआरएफ से भी राशि प्राप्त होती है। हालांकि, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए कार्यालय, डीओटी ने पूरी कंपनी का राजस्व लेकर एनआईसीएसआई पर ब्याज/आर्थिक जुर्माना लगाया था, जिसके लिए एमईआईटीवाई ने इस मामले को डीओटी के सामने उठाया था।

कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए डीओटी, दिनांक 17.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित एनआईसीएसआई के खिलाफ सभी मांग नोटिस (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.06.2020 के निर्णय और डीओटी के ओएम सं. 12–25/2019–एलएफपी दिनांक 17.07.2020 के आधार पर) वापस ले लिया था। पीएंडटी लेखा परीक्षा कार्यालय को तदनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा पत्र सं. एनआईसीएसआई/फिन/इंस्प. पीएंडटी एड./2018–19/289 दिनांक 20.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया और तदनुसार, उस कार्यालय ने, पत्र सं. एएमजी–II/एनआईसीएसआई/एफ–2516/2019–20/323 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट से पैरा को स्वीकार/बंद कर दिया था।

हालांकि, एनआईसीएसआई ने उपरोक्त कुल 92 लाख रु. के लिए डीओटी के पास 4 बैंक गारंटी (बीजी) जमा की थी, जिसे समय–समय पर नवीनीकृत किया जाता था। एनआईसीएसआई ने 10.08.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से डीओटी से इन सभी बीजी को वापस करने को कहा था। इसके लिए 09.11.2020 को अनुस्मारक भी भेजा था। प्रत्युत्तर में, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए, डीओटी, पत्र सं. 50–4/2018–स्पष्टीकरण और नियम/पीआर.सीसीए/दिल्ली/1413 दिनांक 05.02.2021, ने डीओटी (एलएफपी विभाग) से गैर–दूरसंचार पीएसयू के संबंध में एलएफ/एसयूसी के पुनर्मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, जैसा कि डीओटी द्वारा उठाई गई मांग को उसके आदेश संख्या 12–25/2019–एलएफपी दिनांक 13.07.2020 के तहत वापस ले लिया गया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 11.03.2021, 27.05.2021 और 22.06.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से अनुस्मारक भी भेजा लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बीजी भी डीओटी के ही पास हैं।

49. नेशनल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, शास्त्री पार्क दिल्ली पर आय/व्यय

नेशनल डेटा सेंटर शास्त्री पार्क, दिल्ली की स्थापना एमईआईटीवाई और एनआईसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया था और जुलाई 2011 से यह काम कर रहा है। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के अनुसार, एनआईसीएसआई को प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से परिचालन व्यय का वहन करना था। अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए लिए,

एनआईसीएसआई स्वयं को आवंटित 60 रैक्स से आय अर्जित करनी थी। हालांकि एनआईसीएसआई ने 2 वर्षों के बाद भी परिचालन व्यय को पूरा करना जारी रखा, एमईआईटीवाई ने 01–04–2014 से मंजूरी दे दी थी कि, एनआईसीएसआई नेशनल डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर परिचालन व्यय मद पर 800 लाख रुपये तक किराया और रख–रखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना के रख–रखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना ओएंडएम कर्मचारी पर खर्च करेगा और एनआईसी अपने बजट से व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। इन सभी शुल्कों के 3% तक बिजली और डीजल शुल्क/भौतिक सुरक्षा और हाउसकीपिंग शुल्क/जल शुल्क/रसद सहायता/आकस्मिक शुल्क के लिए एनआईसीएसआई को प्रावधान, इन व्यय के बाद शुरू में एनआईसीएसआई द्वारा वहन किया जाता है। भुवनेश्वर में नेशनल डेटा सेंटर की स्थापना के साथ, एनआईसीएसआई और एनआईसी ने उसी के संचालन एवं प्रबंधन हेतु शास्त्री पार्क, दिल्ली के नेशनल डेटा सेंटर हेतु भी समझौता किया था। एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 27.12.2018 को आयोजित हुई अपनी 108वीं बैठक में इस पर विचार किया था और 01 अप्रैल 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया थाः –

- एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डेटा सेंटरों के लिए अलग परियोजना पूल खाता बना सकती है
- इन दोनों डेटा सेंटरों पर सह–स्थान सेवाओं के माध्यम से होने वाली आय को प्रस्तावित परियोजना मदों के तहत जमा किया जाएगा।
- आय का उपयोग इन दोनों डेटा सेंटरों पर ओएंडएम व्यय और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई द्वारा शास्त्री पार्क में सह–स्थान सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वर्तमान 60 रैक के अलावा, एनआईसी आगामी वर्षों के लिए ओएंडएम खर्चों को पूरा करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु और अधिक रैक शामिल कर सकता है।
- वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से एनआईसीएसआई ने शास्त्री पार्क में ओएंडएम व्यय के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. खर्च नहीं करेगी। कथित 60 रैकों से होने वाली आय और एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले अन्य रैकों से होने वाली आय का उपयोग ओएंडएम व्यय और बुनियादी संरचना के उन्नयन को पूरा करने में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से कथित ओएंड एम व्यय पर अपना 7% संचालन लाभ और से बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर वसूल करेगी।

तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 में अपने आय और व्यय को नेशनल डेटा सेंटर–शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर में बुक किया है।

एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 29.07.2020 को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में एनआईसी से एक निदेशक से एनडीसी–एसपी और भुवनेश्वर के लिए व्यय और आय (क्लाउड को छोड़कर) के बीच घाटे की बैठक से संबंधित मद पर गौर करने और सलाह देने का अनुरोध किया था। मामला अभी विचाराधीन है।

50. एनआईसी से एनआईसीएसआई में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को एलटीसी

कंपनी ने वित्त वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई के बने कर्मचारियों को एनआईसीएसआई की सेवा नियमों के आधार पर एलटीसी के लिए 189 लाख रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की थी। कंपनी ने इस राशि की प्रतिपूर्ति 17.05.2006 को आयोजित निदेशक मंडल की 49वीं बैठक में अनुमोदित सेवा नियमों और 24.09.2010 को आयोजित 69वीं बैठक में किए गए संशोधनों के आधार पर की थी, ये नियम डीपीई/डीओपीटी दिशानिर्देशों और सीसीएस एलटीसी नियमों के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद इन सेवा नियमों के अनुसमर्थन हेतु एनआईसीएसआई ने एनआईसी/एमईआईटीवाई को भेजा था। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, एनआईसीएसआई ने मई, 2015 में कर्मचारियों के वेतन से राशि को किश्तों में वसूल कर लिया था। इसके खिलाफ, कर्मचारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और अदालत ने दिनांक 09.06.2015 को दिए ''आदेश'' के माध्यम से, कर्मचारियों से राशि की वसूली पर ''रोक'' लगाने की अनुमति दे दी थी, मामले पर न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित है। अंत में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायाल ने दिनांक 18.03.2016 को दिए अपने फैसले में कहा कि, ''सेवा की शर्तें जो वर्तमान अपीलकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति के लिए एनआईसीएसआई के लिए आवेदन करने को प्रेरित करती हैं और एक उदारीकृत एलटीसी विकल्प को जारी रखती हैं। उस विकल्प का लगातार लाभ उठाया गया था। एलटीसी नियमों में संशोधन किया गया–इसमें कोई विवाद नहीं है कि एनआईसीएसआई के मूल नियम और संशोधन जारी हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सेवा की शर्तों में बदलाव किए बिना की जाने वाली वसूली जारी नहीं रखी जा सकती थी। तदनुसार, प्रतिवादियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तों से अधिक भुगतान की गई राशियों को ही वसूलने की

अनुमति दी जाती है, या तो 2010 से पहले कुछ कर्मचारियों के साथ मौजूदा संगठन में शामिल हो चुके थे या जो 2010 के संशोधनों के विपरीत हैं। अपील उस सीमा तक स्वीकार की जाती है।''

एमईआईटीवाई ने, दिनांक 14.07.2016 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई को यह निर्देश दिया था कि वह उन कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली जारी रखें जिन्होंने अनियमित रूप से एलटीसी लिया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 29.07.2016 को लिखे पत्र के माध्यम से एमईआईटीवाई को सूचित किया कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार एनआईसीएसआई ने एलटीसी के कारण कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है दिनांक 29.07.2016 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया था जिसमें इस बात की सूचना दी गई थी कि अगस्त, 2016 के माह के वेतन से वसूली शुरू हो जाएगी। मामले को एनआईसीएसआई द्वारा 16.08.2016 को एमईआईटीवाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसके बाद प्रभावति कर्मचारी उक्त एनआईसीएसआई के दिनांक 29.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन, जिसमें एनआईसीएसआई और एमईआईटीवाई दोनों को प्रतिवादी बनाया गया था, के अनुसार वसूली की पुनः आरंभ प्रक्रिया के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर कर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचे। एमईआईटीवाई ने मामले पर फिर से विचार किया और एनआईसीएसआई को, दिनांक 17.03.2017 को लिखे पत्र के माध्यम से सलाह दिया कि, इस मामले में वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2016 को दिए गए आदेश का पालन करे। एमईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनआईसीएसआई ने दिनांक 21.03.2017 को कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें '' एनआईसी/एनआईसीएसआई कर्मचारियों द्वारा एलटीसी दावों की वसूली को प्रभावित नहीं करना और यह भी कि की जा चुकी वसूली राशि को संबंधित अधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा। तदनुसार, प्रतिवादियों ने दिनांक 23.03.2017 की सुनवाई में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिनांक 23.03.2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति सौंपकर अपने निर्णय की जानकारी दी। इस प्रकार अवमानना याचिका को संतुष्ट माना गया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 23.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से लागू करें। एनआईसीएसआई ने तदनुसार कार्रवाई की और प्रत्येक व्यक्ति को उनसे वसूल की गई राशि वापस कर दी गई।

इस बीच, मामले को कैग कार्यालय द्वारा ''मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट–केंद्र सरकार (संचार और आईटी क्षेत्र)–2015 की सं. 55'' में संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास है।

एमईआईटीवाई ने उक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय सहित उपरोक्त के अनुसार कैग कार्यालय को सूचित किया था। इसके बाद कैग कार्यालय ने माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति और एनआईसीएसआई सेवा नियमों के अनुसमर्थन हेतु सरकार की मंजूरी भी मांगी थी। जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति कैग कार्यालय को प्रदान की गई थी, यह सूचित किया गया था कि एनआईसीएसआई सेवा नियमों के अनुसमर्थन का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है। मामले की स्थिति पिछले वर्ष की तरह ही है। हालांकि, कैग संगठन (वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय) ने पत्र सं. एएमजी–।।/एनआईसीएसआई/एफ–3126/2008 दिनांक 10.01.2020 ने पैरा को निरीक्षण रिपोर्ट से हटा दिया था।

51. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई आए कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन

पीएंडटी लेखा परीक्षा कार्यालय से एक लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर, एनआईसीएसआई ने नवंबर 2014 में एनआईसी/एमईआईटीवाई को अनुसमर्थन के लिए अपने ''परियोजना प्रोत्साहन दिशानिर्देश'' भेजे थे। चूंकि उस पर अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, एनआईसीएसआई वित्तीय वर्ष 2013–14 के बाद से अपने कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन का भुगतान नहीं कर रहा है। हलांकि, कैग संगठन ने (वित्त और संचार लेखा परीक्षा) ने पत्र सं. एएमजी–।।/एनआईसीएसआई/एफ–3126/2008 दिनांक 10.01.2020 ने पैरा को निरीक्षण रिपोर्ट से हटा दिया था।

52. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए एनआईसीएसआई कर्मचारियों को परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता

कंपनी ने 01.07.2007 से 31.03.2014 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए एनआईसीएसआई कर्मचारियों को परिवहन भत्ते के रूप में 49 लाख रु. और मकान किराया भत्ते के रूप में 17 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया है। इस राशि का भुगतान कंपनी द्वारा निदेशक मंडल की 17.05.2006 को आयोजित 49वीं बैठक में अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर किया गया था, जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इन सेवा नियमों को संशोधन हेतु एनआईसीएसआई ने एनआईसी/एमईआईटीवाई को 11.11.2014 को भेजा था। मामले में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि, निदेशक मंडल द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से इन भत्तों से संबंधित सरकारी नियमों का पालन किया है। मामले की स्थिति पिछले वर्ष के

जैसी ही है। हालांकि कैग संगठन (वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय) ने पत्र सं. एएमजी–II/एनआईसीएसआई/एफ–3126/2008 दिनांक 10.01.2020 ने पैरा को निरीक्षण रिपोर्ट से हटा दिया था।

53. सहायता प्राप्त परियोजनाओं में अनुदान की अप्रयुक्त निधि पर ब्याज।

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 में जीआईए परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज दरों के अनुसार काम किया है जिस पर एनआईसीएसआई ने वर्ष में और वित्त वर्ष 2020–21 में इस प्रकार सावधि जमा किया थाः

₹ लाखो में

अवधि	एनकेएन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजना	कुल
वित्त वर्ष 2019–20 के लिए	27.87	397.49	425.36
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए	28.97	190.30	219.27

54. जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की वापसी पर पीएंडटी लेखा परीक्षा कार्यालय से ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा

वित्त वर्ष 2011–2012 तक, कंपनी अनुदानकर्ता संस्थान से परियोजनाओं के निष्पदान हेतु प्राप्त राशि को सहायता प्राप्त अनुदान के रूप में स्वीकार करने की बजाय, ''ग्राहक से प्राप्त अग्रिम'' के रूप में स्वीकार कर रही थी और तदनुसार, अनुदानकर्ता संस्थान को अप्रयुक्त निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था।

निदेशक मंडल ने, दिनांक 21–12–2011 की बैठक के माध्यम से सहायता परियोजनाओं में अनुदान में उपलब्ध अनुपयोगी निधि पर अर्जित ब्याज की गणना और वापसी के लिए समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याज दर के अनुसार अनुमोदित किया था। तदनुसार, कंपनी ने अनुदानकर्ता संस्थान को ब्याज की राशि की गणना और वापसी की थी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज दर जबकि अनुदानकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, वास्तविक ब्याज सहायता परियोजनाओं में अनुदान के अप्रयुक्त शेष को वापस किया जाना है। अनुदानकर्ता विभागों ने वित्त वर्ष 2016–17 तक व्यक्तिगत परियोजना में जमा ब्याज को स्वीकार कर लिया है और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उनके खातों को निपटारा हो गया है। यद्यपि, कंपनी द्वारा सरकार को जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की कम वापसी के लिए कैग कार्यालय से एक पैरा जारी है। एनआईसीएसआई ने पैरा का उत्तर दिया था और यह अभी भी कैग कार्यालय के विचाराधीन है।

इस बीच, निदेशक मंडल ने 28.03.2017 को हुई अपनी 100वीं बैठक में इस मामले पर फिर से विचार किया और एनआईसीएसआई को वास्तविक आधार पर सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज वापस करने की सलाह दी।

तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 में, एनआईसीएसआई ने जीआईए परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज दरों के अनुसार काम किया है, जिस पर एनआईसीएसआई ने अतीत में और साथ ही वित्त वर्ष 2018–19 में एफडी की थी और उसके आधार पर, 31.03.2018 तक की अवधि के लिए और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संबंधित परियोजना के प्रत्येक खाता बही में अंतर इस प्रकार हैः

तदनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 में, एनआईसीएसआई ने जीआईए परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज दरों के अनुसार काम किया है, जिस पर एनआईसीएसआई ने अतीत में एफडी की थी और उसके आधार पर, 31.03.2018 तक की अवधि के लिए संबंधित परियोजना के प्रत्येक खाता बही में अंतर ब्याज दिया है जो कुल 4766.01 लाख रु. (अर्थात् एनकेएन परियोजना में 1414.74 लाख रु. और अन्य जीआईए परियोजनाओं में 3351.27 लाख रु. है) साथ ही संबंधित अनुदानकर्ता विभाग को भी वापस किया गया या भविष्य के अनुदान में समायोजित किया गया।

पीएंडटी लेखापरीक्षा कार्यालय, पत्र सं. एएमजी–।।/रेप पीएसयू/डीएपी/9993/एनआईसीएसआई/डी–2024 दिनांक 14.01.2020 को, सहायता परियोजनाओं में अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण, "26.36 करोड़ रु. की हानि और 78.38 करोड़ रु. की देयताओं को कम करने" पर एनआईसीएसआई को ड्राफ्ट ऑडिट पैरा (डीएपी) प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा का यह कहना है कि एनआईसीएसआई ने पिछले वर्षों के दौरान अपनी जीआईए ब्याज आय पर भुगतान किए गए कॉरपोरेट कर में कटौती की है और अंतर ब्याज की वापसी करते हुए, उसने पहले से भुगतान किए गए कॉरपोरेट कर में कटौती की है और इस प्रकार इसे विभाग द्वारा पूर्व में कॉरपोरेट कर की वापसी के संबंध में मामले को सीबीडीटी/आयकर के साथ उठाना चाहिए। एनआईसीएसआई ने अपने मेमो नं. 12 दिनांक 04.12.2019 का उत्तर देते हुए दिनांक 09.12.2019 और साथ ही दिनांक 12.06.2020

को लिखे पत्र के माध्यम से पीएंडटी लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया था कि चूंकि कॉरपोरेट कर भारत सरकार यानी आय कर विभाग को वित्त वर्ष 2012–13 से लगातार दिया जाता रहा है, इसलिए इसने मामले को आयकर विभाग के सामने नहीं उठाया, एनआईसीएसआई को कॉरपोरेट कर की वापसी के बाद भी, इसे भारत सरकार (यानि अनुदानकर्ता विभागों) को फिर ले वापस करना होगा। मामले में स्थिति अभी भी पूर्ववत है।

55. व्यापार प्राप्य

एनआईसीएसआई भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, वे एनआईसीएसआई को 40% या इसके आस–पास तक अग्रिम देने को सीमित हैं, जबकि कई मामलो में मुख्य रूप से आईसीटी हार्डवेयर, एनआईसीएसआई को कार्य आदेश पूर्ण सीमा तक जारी करना पड़ता है और उन वस्तुओं के वितरण/स्थापना के बाद, एनआईसीएसआई को कार्य आदेशों में भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। यह, कई अवसरों पर, व्यापार प्राप्तियों में परिणाम, नोट सं. में खुलासा किया गया है। यह, कई अवसरों पर, व्यापार प्राप्यों के रूप में मिलता है, वित्तीय विवरण की नोट सं. 10 में प्रकटीकरण किया गया है। 31 मार्च 2021 को व्यापार प्राप्य 34869.32 लाख रु. (पीवाई 27,422.87 लाख रु.) थी जिसकी वसूली के लिए एनआईसीएसआई समय–समय पर संबंधित विभागों/संगठनों से संपर्क करती रहती है।

56. संदिग्ध ऋण राशि का प्रावधान, जिनकी वसूली की संभावना नहीं है

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, व्यापार प्राप्तियोंक लिए 5% की दर से प्रावधान को मान्यता दी गई है जो बैलेंस शीट की तिथि में 3 वर्षों से अधिक से बकाया है। पीएंडटी लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए अपनाई गई नीति त्रुटिपूर्ण है।

पीएंडटी ऑडिट के उपरोक्त अवलोकन और एनआईसीएसआई द्वारा उस कार्यालय को वित्त वर्ष 2017–18 के लिए दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संदिग्ध राशि जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम है, के लिए प्रावधान हेतु समीक्षा करने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने संदिग्ध ऋणों के लिए ''प्रावधान'' हेतु एक नीति की सिफारिश की थी (i) 10 वर्षों से अधिक बकाया के लिए 100% (ii) 5 से 10 वर्षों से बकाया के लिए 50%, (iii) 3 से 5 वर्ष से बकाया के लिए 25%। इसे एनआईसीएसआई में मंजूर कर लिया गया था और तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए अपने खातों में "प्रावधान" किया था।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एनआईसीएसआई खातों में भी समान आधार पर संदिग्ध राशि के लिए ''प्रावधान'' किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के 8435.35 लाख रु. के प्रावधान को उलट दिया गया है और वित्त वर्ष 2020–21 में 8508.75 लाख रु. के नए प्रावधान इस प्रकार हैं: –

(लाखों में)

अवधि	बकाया राशि	% में प्रावधान	वित्त वर्ष 2020–21 में प्रावधान	वित्त वर्ष 2019–20 में प्रावधान
10 वर्षों से अधिक	6300.00	100	6300.00	5,410.02
5 से 10 वर्ष	4057.00	50	2028.50	2,194.98
3 से 5 वर्ष	721.00	25	180.25	8,30.35
3 वर्षों तक	23791.32	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**34869.32**		**8508.75**	**8435.35**

57. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम का प्रावधान

पीएंडटी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय देखा था कि "आपूर्तिकर्ताओं को 984.16 लाख रु. की अग्रिम राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी है। गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और प्रावधानों को कम कर के दिखाया गया है जिससे लाभ को अधिक बताया गया है।"

उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई में समनीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के लिए किए जाने वाले प्रावधान पर विचार करने और सिफारिश करने हेतु उनकी अनुशंसा देने की संभावना नहीं थी। समिति ने 3 वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु बताया राशि का ''प्रावधान'' करने की अनुशंसा की थी। एनआईसीएसआई ने इसे मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 में प्रावधान किया था।

31.03.2021 को 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि और निपटान की संभावना नहीं होने के कारण वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खातों में 977.22 लाख रु. की (वित्त वर्ष 2019–20 के 1260.88 लाख रु. के विपरीत), एनकेएन परियोजना को छोड़कर, अग्रिम राशि का प्रावधान किया गया।

58. संपत्ति और देयताओं का वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्गीकरण

कंपनी परिचालन चक्र के भीतर वसूली/भुगतान के अनुमान के आधार पर वित्त विवरणों में संपत्तियों और देयताओं को 'वर्तमान' और 'गैर–वर्तमान' में विभाजित करती है।

59. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर व्यय

₹ लाखो में

विवरण	खर्च की गई राशि	भुगतान की जाने वाली राशि	कुल राशि
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष निर्माण/संपत्ति का अधिग्रहण उपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	- 57.20	- -	- 57.20
31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ वर्ष निर्माण/संपत्ति का अधिग्रहण उपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	- 40.00	- -	- 40.00

31 मार्च 2020 तक शेष राशि		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		31 मार्च 2021 के अनुसार शेष राशि	
कंपनी लेखा के साथ	अलग सीएसआर लेखा में		कंपनी लेखा के साथ	अलग सीएसआर लेखा में	कंपनी लेखा के साथ	अलग सीएसआर लेखा में
-	-	57.20*	57.20*	-	-	-

*एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 28.06.2021 को एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल की 118वीं बैठक में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के रूप में, जो 31.03.2021 को सीएसआर समिति की 6 बैठक में की गई अनुशंसाओं पर आधारित है, स्वीकृत 57.20 लाख रु. (पीवाई 40.00 लाख रु.) का योगदान किया।

60. डिस्ट्रिक्ट 2.0 – डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए जिला बुनियादी ढांचे का विस्तार"

28 मार्च 2017 को निदेशक मंडल ने अपनी 100वीं बैठक में परियोजना पर विचार किया था और चरण–। के लिए कुल 9,900 रु. के परिव्यय को मंजूरी दी थी जिसे पूरी तरह से एनआईसीएसआई द्वारा अपने"नकद आरक्षित निधि" से पूरा किया जाएगा। हालांकि, परियोजना में ''राजस्व'' से आय नहीं होगी, क्योंकि इसमें अनआईसी के कुल जिला केंद्रों में केवल आईसीटी बुनियादी ढांचे में विकास शामिल है। इसलिए परियोजना से कोई आय नहीं होगी, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 (पीवाई 2019–20, 26.79 लाख रु.) में व्यय के रूप में आय और व्यय खाते में वर्ष के दौरान शून्य खर्च को सीधे रूट किया है।

61. आय कर और बिक्री कर आदि का प्रावधान

पीएंडटी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय देखा गया था कि " वित्त वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक वसूली योग्य टीडीएस/आयकर के कारण 2,281.03 लाख रु. का आयकर विभाग में लंबित है। उक्त राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी होने कारण इस संबंध में प्रावधान कंपनी द्वारा बनाया जाना चाहिए था लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस राशि का प्रावधान न करने के कारण ही वर्तमान संपत्तियों को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया गया और प्रावधान को कम कर के बताया गया जिसके कारण आय को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया गया"।

उपरोक्त जांच को ध्यान में रखते हुए, आयकर रिफंड, बिक्री कर वसूली योग्य और कार्य अनुबंध पर टीडीएस की संभावना न होने कारण वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खातों में किए जाने वाले प्रावधान की समीक्षा करने और सिफारिशें देने हेतु एनआईसीएसआई में समिति का गठन किया गया था। समिति ने अनुशंसा की थी कि 3 वर्ष से अधिक से वापसी योग्य कर राशि का प्रावधान किया जा सकता है। एनआईसीएसआई ने इसे मंजूरी दे दी है और तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए प्रावधान किए गए थे।

उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्त वर्ष 2019–20 में किए गए 1923.36 लाख रु. के प्रावधान को बदलकर एनआईसीएसआई खातों में 1956.33 लाख रु. का प्रावधान किया गया था, विवरण इस प्रकार हैः –

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष
आय कर	1835.88	1802.91
बिक्री कर/वैट/डीवैट	117.91	117.91
कार्य अनुबंधों पर टीडीएस	2.54	2.54
कुल	1956.33	1923.36

एनआईसीएसआई ने समय–समय पर संबंधित कर अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क किया है और अभी भी अपने अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर प्रयास कर रहा है।

62. अप्रचलित मद

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए एनआईसीएसआई खातों की समीक्षा करते समय, पीएंडटी ऑडिट टीम ने पाया कि 31 मार्च को अप्रचलित वस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य और उसके खिलाफ अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच अंतर हेतु उस वर्ष के खातों में प्रावधान नहीं किया गया था। तदनुसार, मूल्यह्रास मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच 31.03.2019 को अप्रचलित वस्तुओं के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई खातों में किए जाने वाले ''प्रावधान'' की जांच करने और सिफारिश करने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि 31.03.2019 को अप्रचलित संपत्ति मदों के मूल्यह्रास मूल्य को अनुमानित बिक्री मूल्य के रूप में लिया जाएगा और इसलिए, उस वर्ष के खातों में इस संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्कता नहीं थी। इसे एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खातों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, संपत्ति के भौतिक सत्यापन के आधार पर, दिनांक 31.03.2020 को अप्रचलित संपत्ति मदों का मूल्य मूल्यह्रास मूल्य के अनुसार रखा गया था और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तदनुसार, 31.03.2021 को 2.06 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य (पीवाई 2019–20 3.13 लाख रु.) को अनुमानित बिक्री मूल्य के रूप में लिया गया है और इसलिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

63. पूर्व अवधि वस्तुएं

एनआईसीएसआई के पास प्रबंधन द्वारा अनुमोदित कट–ऑफ तिथि है जिस तक विक्रेताओं के चालान 31 मार्च तक उपलब्ध कराई गईं सेवाओं से संबंधित चालान जमा करने होते हैं और तदनुसार पिछले वर्ष में व्यय के रूप में इनका हिसाब रखा जाता है। 31 मार्च तक की अवधि के लिए उस तिथि तक प्राप्त आय को भी उसी वित्त वर्ष में शामिल किया जाता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 में मिलान अवधारणा सुनिश्चित की गई है।

कंपनी ने त्रुटियों और चूक को पूर्व अवधि माना है। चालू वर्ष में नोट 65 पूर्व अवधि आय के बारे में बताता है।

64. जीएसटी अधिकारियों के समक्ष अपील

नवंबर, 2017 में 4,73,37,107/– रु. की जीएसटी एनआईसीएसआई द्वारा इसी कारण से जमा किया गया था कि उस वर्ष विक्रेताओं के कई चालान बुक किए जाएंगे लेकिन कम चालान प्राप्त हुए, उस सीमा तक जीएसटी का निपटान नहीं हुआ। निर्धारण अधिकारी द्वारा 25.09.2020 को समयबाधित होने के कारण दावे को खारिज कर दिया गया। एनआईसीएसआई ने जमा किए गए अतिरिक्त कर की वापसी हेतु 18.12.2020 को आयुक्त (अपील–।।), सीजीएशटी, दिल्ली के समक्ष अपील की है। अपील की सुनवाई की तिथि प्रतीक्षित है।

65. पूर्व अवधि राजस्व की बहाली

वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित 531.69 लाख रु. का राजस्व, जिसके खिलाफ 496.91 लाख रु. का खर्च किया गया, को पिछले वित्त वर्ष यानि (2019–20) में दर्ज किया गया था। उसी राजस्व राशि को चालू वित्त वर्ष 2020–21 में ''अन्य इक्विटी–नोट सं. 17'' के तहत पूर्व अवधि आय में दर्ज कर दिया गया है।

66. कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी ने संभावित प्रभावों का आकलन किया है जो कोविड–19 महामारी से संबंधित प्राप्य राशियों, सावधि जमा और अन्य संपत्तियों/देयताओं की अग्रणी राशि पर हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि को सूचना के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। वर्तमान तिथि के अनुसार, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन अनुमानों के आधार पर कोविड–19 का प्रभाव बहुत गंभीर नहीं है। महामारी की प्रकृति के कारण कंपनी भविष्य में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं, यदि कोई हो, की पहचान करने हेतु विकास की निगरानी करना जारी रखेगी।

67. पिछले वर्ष का आंकड़ा पुनर्वर्गीकरण

कंपनी ने चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से वर्गीकृत किया है।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार/चार्टर्ड अकाउंटेट
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता सं. 542976

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2021

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य विचार

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट (तुलन पत्र) और आय एवं व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं के सारांश समेत वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स थे।

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय खंड में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. व्यापार देय राशि (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (सहायता अनुदान परियोजना सहित (नोट 21), देय सुरक्षा जमा (नोट 18) और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) वर्ष के अंत में प्राप्त हुई/प्राप्त की गई और/या परिणामी सुलह की पुष्टि के अधीन हैं। इस प्रकार की पुष्टि और सुलह के परिणामस्वरूप संपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।

2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के संबंध में 1,62,044.59 लाख रु.के संबंध में वित्तीय विवरण की नोट सं. 21 के संदर्भ में आमंत्रित किया गया। अलग–अलग खातों की जांच से ऐसे कई ग्राहकों का पता चला जिन पर वर्ष के समापन पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया है। अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ सावधि जमा में ब्याज और परिपक्वता प्रोफाइल की विभिन्न दरों पर निवेश किया गया है।

   इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों से अग्रिम के संबंध में ऐसी निष्क्रिय निधि अप्रयुक्त रह गई है और सावधि जमा में निवेश की गई है, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम की जांच करने और प्रत्येक के साथ अनुबंध के संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर इसे वापस करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के उपलब्ध न होने के कारण, इस प्रकार के विवरण उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप संपत्ति/देयताओं और/या आय/व्यय पर पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित मामलों का समग्र प्रभाव वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।

3. आय और व्यय खाते की "पूर्व अवधि मद" के संबंध में नोट सं. 63 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें वर्ष के अंत तक प्रदान की गई सामग्री/सेवाओं के संबंध में विक्रेताओं द्वारा चालान जमा न करने/देर से जमा करने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित व्यय को दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसका वर्ष के लिए व्यय पर रिपोर्ट की गई आय पर प्रभाव पड़ा है।

   ऐसे बिलों/संपत्तियों/देयताओं पर खर्च और/या समर्थित परियोजनाओं पर आय/व्यय को देर से दर्ज करने का प्रभाव रिपोर्टिंग तिथि पर विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए ऐसे बिलों की मात्रा की अनुपलब्धता के कारण विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. कंपनी ने वस्तुओं की बिक्री पर राजस्व के मद्देनजर कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा निर्धारित ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' पर भारतीय लेखांकन मानक 115 का अनुपालन नहीं किया है, महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट 2 (Vii) देखें) के संदर्भ में ''नियंत्रण'' के हस्तांतरण के समय यानी ग्राहक द्वारा माल की स्वीकृति के समय इसे दर्ज करने की बजाए चालान बनाते समय गलती से दर्ज किया जा रहा है। भारतीय लेखांकन मानक 115 के संदर्भ में राजस्व को मान्यता देने के परिणामस्वरूप कंपनी की रिपोर्ट की गई आय और परिसंपत्तियों/देयताओं पर इसके प्रभाव को फिलहाल नहीं बताया जा सकता।

उपरोक्त अनुच्छेदों (1) से (4) में उल्लिखित मामलों का वर्ष के लिए परिसंपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय और व्यय से अधिक आय पर प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम, कंपनी से स्वतंत्र हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी आचार संहिता के अनुसार जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, का पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वह हमारी योग्य राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

Emphasis of Matter (विशिष्ट मामले)

1. हम भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की नोट सं. 44 पर ध्यान दिलाया चाहेंगें जिसमें भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में भवन के संबंध में 931.50 लाख रु. का परिवहन/अधिकार पत्र का पंजीकरण वर्ष के अंत तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त अनुच्छों में रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में शामिल है–कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने के दौरान इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत हो रही है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन पर संचालन का उत्तरदायित्व है, की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों का उत्तरदायी है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन पर उचित और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव करना; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय करना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक थे जो उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और जो वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप जैसा लागू हो, प्रकटीकरण और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं कर लेता, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचता, तब तक, जैसा लागू हो, लेखांकन के उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने को जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का प्रबंध करने के भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरणों से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण हो और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेगी, जब वह गलती की गई हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की गई हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, चाहे वे धोखे से या त्रुटि के कारण किए गए हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते एवं हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण किए गए वास्तविक गलत विवरण का पता न लगा पाना गलती से किए गए गलत विवरण का पता लगाने की तुलना में अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर की जाने वाली गलती, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन की उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, का पता लगाना। यदि हमरे निष्कर्ष में महत्वपूर्ण अनिश्चितता सामने आती है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाना होगा या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें एवं क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी का पता लगाया जाना शामिल है, पर, प्रबंधन के प्रभारी लोगों के साथ बातचीत करते हैं।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को एक अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन में तैयार किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को बताने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें बताया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि कंपनी अधिनिम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनी को उपलब्ध छूट के मद्देनजर उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थीं;

   ख) उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बहीखाते की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता तैयार किया है;

   ग) उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बैलेंस–शीट (तुलन पत्र), आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का अभिकथन और नकद प्रवाह विवरण बहीखाता से मेल खाता है;

   घ) योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर उल्लिखित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) का अनुपालन करते हैं, इसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाएगा;

   ङ) योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

   च) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2), अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होती है;

   छ) बहीखाते के रख–रखाव और उससे जुड़े अन्य मामले उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद के अनुसार उचित हैं;

   ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुबंध क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर योग्य राय व्यक्त करती है;

   झ) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते;

   ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 36 देखें);

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 542976
यूडीआईएनः– 21542976AAAABO9591

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(उस तिथि पर हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताएं" खंड के तहत अनुच्छेद में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 तक नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की, उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी (''मार्गदर्शन नोट'') के अनिवार्य तत्वों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने को उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखदृरखाव किया जाना शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार व्यक्त करना है। हमने मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए हमारे द्वारा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना और इस बारे में उचित आश्वसान प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार करने एवं लेखा परीक्षा करना कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, आवश्यक है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनका परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रदर्शन प्रक्रियाएं करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि वास्तविक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और आकलन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्ति के लेन–देन और स्वभाव को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु लेन–देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर बहुत प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन उल्लंघन करना, गलती या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत विवरण करना हो सकता है और उनका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, आगामी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने निम्नलिखित मामलों के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा योग्य राय बनाई है जिसमें वर्तमान आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किए जाने की आवश्यकता हैः

क. विक्रेता की शेष राशि के समायोजन/पुष्टि से संबंधित प्रणाली के परिणामस्वरूप संभावित रूप से बकाया शेष राशि का गलत विवरण हो सकता है। (हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की उसी तिथि की रिपोर्ट की योग्य राय के आधार के तहत अनुच्छेद 1 देखें।)"

ख. संबंधित व्यय के साथ विक्रेता चालानों को दर्ज न करने से संबंधित नियंत्रण, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व अवधि के आइटम दर्ज किए गए हैं। (हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की योग्य राय के आधार के तहत अनुच्छेद 3 देखें)

एक 'वास्तविक कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का संयोजन है जैसे कि समय के आधार पर एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के एक भौतिक गलत विवरण को रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर वर्णित वास्तविक कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए 31 मार्च 2021 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

हमने उपर उल्लिखित वास्तविक कमियों की पहचान और रिपोर्ट करते समय उसकी प्रकृति, समय और 31 मार्च 2021 की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा जांच की सीमा पर विचार किया है और हमारी राय में ये वास्तविक कमियां, कंपनी के, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य मामले

क. कंपनी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग–अलग मदों के निरूपण से संबंधित वर्तमान नियंत्रणों को उनके भौतिक सत्यापन पर नियंत्रणों को शुरू करके मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे भौतिक रूप से सत्यापित सभी व्यक्तिगत वस्तुओं को संबंधित पीपीई रिकॉर्ड के साथ उनकी विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मैप किया जाता है।

ख. हालांकि कंपनी ने 01 जुलाई 2017, से ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर का प्रयोग शुरू कर दिया था, व्यक्तिगत पक्ष शेषों के निरूपण और प्रारंभिक जमा को आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ नियंत्रण कमियां को दूर करने और वर्तमान नियंत्रणों के आधार पहचाने जाने की आवश्यकता है जिसे सिस्टम ऑडिट द्वारा किया जा रहा है और सिस्टम ऑडिट का काम बाहरी स्वतंत्र एजेंसी कर रही है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 542976
यूडीआईएनः– 21542976AAAABO9591

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवम महा लेखा – परीक्षक द्वारा जारी निर्देशो पर रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।**

   कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण हेतु एक लेखा प्रणाली–ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर है, जिसे 01 जुलाई 2017 से शुरू कर दिया गया था। हालांकि, ईआरपी सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया था और वह अभी भी किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट द्वारा प्रमाणित किए बगैर काम कर रहा है। आंकड़ों की शुद्धता में प्रणाली की संभावित कमियों के कारण बहीखाते पर भारतीय वित्तीय विवरणों में उल्लिखित संपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका निश्चय वर्तमान में नहीं किया जा सकता।

   इसके अलावा, संवर्धन/विलोपन/मूल्यह्रास के संदर्भ में अचल संपत्तियों का लेखांकन वर्तमान में मैन्युअल रूप से किया जा रहा है और इसके बाद उसे ईआरपी सिस्टम में अपलोड किया जाता है क्योंकि ईआरपी में कोई ऑटोमेशन मॉड्यूल नहीं है। यह सलाह भी दी जाती है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण संभावित त्रुटियों से बचने के लिए उक्त प्रक्रिया को भी जल्द–से–जल्द स्वचालित कर लिया जाए।

2. **क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण वर्तमान ऋण की कोई पुनर्रचना की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां., तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।**

   लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी पर वर्ष 2020–21 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं था। तदनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि पर छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।

3. **क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लाए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप लेखा/उपयोग किया गया था? विसंगति के मामलों की सूची बनाएं।**

   वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी को किसी भी केंद्र/राज्य एजेंसियों से न को कई धनराशि प्राप्त हुई है और न ही प्राप्य थी। इसलिए उनके उचित लेखांकन और उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

ह0/–
भरत बंसल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 542976
यूडीआईएनः– 21542976AAAABO9591

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. (निकसी) के वित्तीय कथन पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहतम निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूप रेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (एनआईसीएसआई) के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10)के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मान कों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने को जिम्मेदार हैं। दिनांक 29.07.2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांच और कंपनी के कुछ लेखा अभिलेखों की व्यक्तिगत एवं चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

लेखानीतियों पर टिप्पणी

कंपनी ने स्वयं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के राजस्व और संबंधित व्यय के लेखांकन के संबंध में विशेष रूप से लेखांकन नीति निर्धारित और उसका प्रकटीकरण नहीं किया है, विशेष रूप से ऐसे चालान जो संबंधित वर्ष में 31 मार्च के बाद जारी/प्राप्त किए गए लेकिन वे पिछले वित्तवर्ष से संबंधित थे।

आय और व्यय खाता

आय

अन्य आय (टिप्पणी सं. 24)– 7458.93 लाख रु.

एनआईसीएसआई ने विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनआईसीएसआई के स्वयं के कोष और भारत सरकार एवं अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाले धन पर अर्जित ब्याज को अलग करने के लिए उचित प्रणाली विकसित नहीं की है। इसलिए ब्याज आय की द्धता (राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क परियोजना के अलावा अन्य परियोजनाओं से) को उचित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा स कता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा निदेशक
(वित्त एवं संचार)

तिथिः 22–10–2021
स्थानः नई दिल्ली

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2021)

Chairman	:	Dr. Rajendra Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Ms. Jyoti Arora, IAS, SS & FA, MeitY
		Shri Jaideep Mishra, JS, MeitY
		Dr. B. K. Murthy, Scientist-G, MeitY
		Smt. Geeta Kathpalia, Scientist-G, MeitY & DG, ERNET India (as IT Specialist)
		Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC
		Mrs. Rachna Srivastava, DDG, NIC
		Shri Pawan Kumar Joshi, DDG, NIC
		Shri Shahid Ahmed, Scientist-G, NIC
		Shri K. Srinivasa Raghavan, Scientist-G & SIO (TN), NIC
		Shri Ajay Singh Chahal, Scientist-G & SIO (HP), NIC
		Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Indian Bank, Connaught, Circus, New Delhi.

BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-09-2021)

Chairman	:	Dr. Rajendra Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Ms. Jyoti Arora, IAS, SS & FA, MeitY
		Shri Jaideep Mishra, JS, MeitY
		Dr. B. K. Murthy, Scientist-G, MeitY
		Smt. Geeta Kathpalia, Scientist-G, MeitY & DG, ERNET India (as IT Specialist)
		Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC
		Mrs. Rachna Srivastava, DDG, NIC
		Shri Pawan Kumar Joshi, DDG, NIC
		Shri Shahid Ahmed, Scientist-G, NIC
		Shri K. Srinivasa Raghavan, Scientist-G & SIO (TN), NIC
		Shri Prakash Rao, Scientist-F & SIO (MP), NIC
		Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Indian Bank, Connaught, Circus, New Delhi.

NOTICE
26th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 26th Annual General Meeting is scheduled to be held at shorter notice on Tuesday, 30th November, 2021, at 03:00 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2021, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March, 2021, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and
2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2021-22 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M, No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 22.11.2021

TO:

1. Dr. Neeta Verma, DG, NIC – Member
2. Ms. Rachna Srivastava – Member
3. Shri Deepak Chandra Misra – Member
4. Shri Vishnu Chandra – Member
5. Shri Nagesh Shastri – Member
6. Shri R. S. Mani – Member

Also:

1. Dr. Rajendra Kumar, AS, MeitY – Chairman, NICSI
2. All the Board of Directors of NICSI

And also:

1. M/s Agarwal & Saxena, Statutory Auditors, NICSI

NOTE:

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself.
2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his / her proxy unless such other person is also a member of such company.
3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M, No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 22.11.2021

Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Sixth Annual Report on the business and operations of National Informatics Centre Services Incorporated ("the Company") with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2021.

Your Company has successfully completed 25 years of services on August 29, 2020. NICSI has celebrated its silver jubilee event on January 28, 2021, which was graced by the Shri Ravi Shankar Prasad, Ex-Hon'ble Minister of Law and Justice, Electronics and Information Technology and Communication.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2021, as compared with the previous year 2019-20, are as under:

Financial Highlights

(Rupees in crores)

S. No.	Description	2020-21	2019-20
(A)	**Income:**		
1	Revenue from Operations	1282.02	1156.28
2	Other Income	74.59	103.03
	Total (A)	**1356.61**	**1259.31**
(B)	**Expenses:**		
1	Purchases of Stock-in-Trade	119.84	178.29
2	Services Support Expenses	969.83	791.27
3	Employees Benefits Expenses	8.68	8.56
4	Finance Cost	9.53	10.37
5	Depreciation and amortization expenses	65.62	86.05
6	Other Expenses	51.59	51.78
	Total (B)	**1225.09**	**1126.32**
	Income/(loss) before tax (A) – (B)	**131.52**	**132.99**
6	Tax expenses	33.29	42.23
7	**Income/(loss) for the year**	**98.23**	**90.76**

(1) Operating Margin

The Board of Directors in its 103rd meeting held on 29.09.2017 had approved the rates of NICSI's Operating Margin for all types of Projects / Services as under:

Project Value	% of Project Value
Up to Rs. 50 Crore	7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]
Above Rs. 50 Crore	5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]

(2) Dividend

The Company is registered under (earlier Section 25 of the Companies Act, 1956) Section 8 of the Companies Act, 2013 and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves i.e. General Reserve, Capital Reserve, Capital Redemption Reserve etc.

(4) Grading of NICSI By DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2019-20	Good
2018-19	Poor
2017-18	Fair
2016-17	Excellent
2015-16	Excellent
2014-15	Excellent

(5) Ongoing Activities in F.Y.2020-21

National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs. MeitY has extended the project for one year i.e. up to March 2021. During F.Y.2020-21, NICSI has received Rs.584 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2021 being Rs.4,634 crore. However NKN Project has been further extended by MeitY by one more year i.e. up to March, 2021 within same financial outlay.

NICSI Development Centre

The Development Centre on the 2nd floor at DMRC's IT Park, Shastri Park, Delhi with 417 workstations continued to provide services to the users towards implementation of the projects smoothly and satisfactorily.

(6) Other Projects

During F.Y. 2020-21, NICSI had received 2053 new projects for implementation, some of which are as under:

(i) Projects From MeitY

During the year, NICSI continued the activities under various projects from MeitY, as under:

Project Name
Open Government Data Centre (OGD) 2.0
National Data Highway
Establishment of National Knowledge Network (NKN)
India Portal Phase - II
National Data Centre – North East Region
Himachal Pradesh – Public Service Commission

Project Name
Web Internationalization, Standardization and W3C India Initiative.
Pro-Active Governance and Time Implementation (PRAGATI) VC 2.0
e-Mail Solution for Government of India
Securing the e-Mail Infrastructure for Government of India
Roll-out and Promotion of Open Government Data Platform for NDSAP.
National e-Gov AppStore at National Data Centre.
e-Hospital
e-Taal

(II) Projects from Departments / Organizations (Other than MeitY)

Department / Organization	NICSI Project Code	Description
Supreme Court	C190040NWND	Procurement of N/W items for Supreme court Project additional Office Complex executed by CPWD
Department of Justice	C190396GNND	Procurement of Various items at eCourts MMP
Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd (e-Power)	S190787GNRJ	Procurement of Various items at Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd
Office of Comptroller and Auditor General of India (CAG)	C191325GNND	Procurement of Network Items by Comptroller and Auditor General of India (CAG)
IT Department South Delhi Municipal Corporation	C191481GNND	Procurement of Various items for IT Department South Delhi Municipal Corporation
National Testing Agency	C191593GNND	Councelling for National Testing Agency
RajComp Info Services Ltd.	S191733MPRJ	Hiring of Manpower by RajComp Info Services Ltd.
Data Harmonization for Realtime Insights and Security Threat (DHRISTI), National Cyber Security Co-ordinator, National Security Council Secretariat (NSCS)	C191952GNND	Procurement of Various items at National Cyber Security Co-ordinator, National Security Council Secretariat (NSCS)
Ministry of Road Transport and Highways (Integrated Road Accident Database)	C191856GNND	Procurement of Various items at Ministry of Road Transport and Highways

(7) Business Divisions in NICSI.

Products Business Division (PBD)

PBD aims to facilitate Productization, Standardization & Promotion of NIC/NICSI software applications at national & international market in South Asean, African, Latin American etc. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.

Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)

Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.

Cloud Services & Data Centre Business Division

NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. New division has been set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2020-21 compared with activities in F.Y. 2019-20.

1. Proforma Invoices (PIs) Details.

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2020-21		F.Y. 2019-20	
	Number of PIs issued	Total Amount of PIs	Number of PIs issued	Total Amount of PIs
Manpower	4055	738.42	-	-
Miscellaneous	3009	253.85	3989	718.62
Network	170	27.05	60	49.40
Roll Out	92	11.63	239	40.98
Security Audit	138	1.45	6	4.69
Website Development	209	81.89	68	9.44
GeM	55	42.76	161	5.49
e-Office	347	115.06	2130	109.17
e-Granthalaya	259	0.93	236	115.08
Software-OCI	4	116.12	77	173.63
Other Composite	952	849.64	-	-
Vendor's Proposal Based	39	129.62	-	-
Grand Total	**9329**	**2368.42**	**6966**	**1226.50**

2. Work Orders (WOs) Details.

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2020-21		F.Y. 2019-20	
	Number of WOs issued	Total Amount of WOs	Number of WOs issued	Total Amount of WOs
Manpower	6535	758.13	6743	738.19
Miscellaneous	68	43.75	135	58.36
Network	280	34.30	259	35.55
NKN	158	505.12	26	181.41
Roll Out	122	14.31	147	10.19
Security Audit	139	2.52	152	4.38
SMS	1145	101.32	674	47.84
Website Development	217	97.21	167	71.78
GeM	338	182.90	327	109.97
LPC and Other	164	24.37	156	23.18
Grand Total	**9166**	**1763.93**	**8786**	**1280.85**

3. Segment-wise break-up of new projects received

	Item	01.04.2020 to 31.03.2021	01.04.2019 to 31.03.2020
(i)	Hardware items	1	5
(ii)	Manpower	678	677
(iii)	Website / Software Development	142	135
(iv)	Network	28	45
(v)	General Projects (combined of Hardware, Software, Manpower etc.	798	400
(vi)	Other projects (SMS/BAS/e-Mail etc.)	406	653
	Total	**2053**	**1915**

4. Tenders

	Tenders Floated		
(i)	No. of Open Tenders	21	10
(ii)	No. of Limited Tenders	1	00
	Total	**22**	**10**

5. MoU's / Agreements

Entered into by NICSI with different Departments/Organizations.	49	55

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2021 was 27.

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 112th Meeting held on January 28, 2020 had re-constituted the CSR Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Dr. Jaideep Mishra, Joint Secretary, MeitY	Chairman
2	Shri Nagesh Shastry, DDG, NIC	Member
3	Ms. Rachna Srivastava, DDG, NIC	Member
4	Shri Pawan Joshi, DDG, NIC	Member

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and other provisions, as applicable, the amount to be incurred on CSR activities for F.Y. 2020-21 by NICSI works out to Rs.57.20 Lakhs as per below:

(Rupees in Crore)

Financial year	Net Profit Before Tax (Rs. in Crore)	Average Net Profit in preceding 3 years (Rs. in Crore)	2% of Average Net Profit in preceding 3 years (Rs. in Crore)
2017-18	50.65	28.60	0.572
2018-19	(97.86)		
2019-20	132.99		

The Company has contributed Rs.57.20 Lakhs to PM CARES Fund on 31.03.2021 as per the recommendation given by the members of CSR Committee in their meeting held on March 31, 2021 and the same was take note by the Board of Directors in their 118th meeting held on June 28, 2021.

(12) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2020-21

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
1	113rd Board Meeting	29-06-2020	Through Video Conference
2	114th Board Meeting	24-07-2020	Through Video Conference
3	Adjourned 114th Board Meeting	29-07-2020	Through Video Conference
4	115th Board Meeting	28-09-2020	Through Video Conference
5	116th Board Meeting	30-12-2020	Through Video Conference
6	117th Board Meeting	15-12-2020	Through Video Conference

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
7	Extra Ordinary General Meeting	28-07-2020	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
8.	25th Annual General Meeting	30-12-2020	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

(13) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.

The Board in its 112th meeting held on 28.01.2020, had re-constituted the Audit Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Smt. Jyoti Arora, SS & FA , MeitY	Chairperson
2	Dr. Jaideep Mishra, Joint Secretary, MeitY	Member
3	Shri Nagesh Shastry, DDG, NIC	Member
4	Shri Shahid Ahmed, DDG, NIC	Member

The 6th meeting of the Audit Committee was held on 31-12-2020 to consider the half-yearly Balance Sheet for FY 2020-21 (i.e. April – September 2020). Further 7th meeting of the Audit Committee was held on 26.07.2021, in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2021 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the Shareholders.

(14) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(15) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(16) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Extract of Annual Return is placed at Annexure-I.

(17) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(18) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(19) Annual Accounts for the Financial Year 2020-21 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2020-21 have been prepared as per Ind AS.

(20) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(21) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

(22) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

(23) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(24) Subsidiary Company

As on March 31, 2021, the Company does not have any subsidiary.

(25) Auditors

M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2021.

(26) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(27) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2021

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	Sales of Traded Goods	-----	9.66
2	Service and other Income	-----	90.34

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	NIL				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) **Indian**									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
c) State Govt (s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks / FI									
f) Any Other....									
Sub-total (A) (1)									
(2) **Foreign**									
a) NRIs -Individuals									
b) Other Individuals	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c) Bodies Corp.									
d) Banks / FI									
e) Any Other....									
Sub-total (A) (2)									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
B. Public Shareholding									
Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
Others (specify)									
Sub-total (B)(1)									
2 .Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									

Not Applicable

b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2)**	**Not Applicable**								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	**200000**	**100**	**NIL**	**200000**	**100**	**NIL**	**NIL**

(iii) Change in Promoters' Shareholding:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning of the year	During the year 1 equity share held by Shri S. B. Singh, Ex-DDG, NIC has been transferred to Ms. Rachna Srivastava, DDG, NIC.			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	Not Applicable			
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	**Not Applicable**			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				

Net Change	**Not Applicable**
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	
Total (i+ii+iii)	

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount (in Rs.)
		Shri Prashant Kumar Mittal	
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	Rs.36.88 Lakh	Rs.36.88 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act		

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
		-----	-----	-----	-----	
	1. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable				
	Total (1)					

	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board / committee Meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable
	Total (2)	
	Total (B)=(1+2)	
	Total Managerial Remuneration	
	Overall Ceiling as per the Act	

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	**Particulars of Remuneration**	**Key Managerial Personnel Company Secretary**	
		Shri Sunny Jain	**Total**
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	Rs.10.36 Lakh	Rs.10.36 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify		

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

Form No. MGT-8

[Pursuant to section 92(2) of the Companies Act, 2013 and rule 11(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

I have examined the registers, records and books and papers of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED** ("the Company") as required to be maintained under the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder for the financial year ended on March 31, 2021. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents, I certify that:

A. The Annual Return states the facts as at the close of the aforesaid financial year correctly and adequately.

B. during the aforesaid financial year the Company has complied with provisions of the Act & Rules made there under in respect of:

1. Its status under the Act;

2. Maintenance of registers/records & making entries therein within the time prescribed therefor;

3. filing of forms and returns as stated in the annual return, with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, the Tribunal, Court or other authorities within/beyond the prescribed time;

4. Calling/ convening/ holding meetings of Board of Directors as on **29/06/2020, 24/07/2020, 28/09/2020, 30/12/2020, & 15/03/2021** or its committees as on **26/06/2020, 24/07/2020, 31/12/2020 & 31/03/2021** if any, and the meetings of the members of the company as on 28th Day of July, 2020 & 30th Day of December, 2020 on due dates as stated in the annual return in respect of which meetings, proper notices were given and the proceedings including the circular resolutions and resolutions passed by postal ballot, if any, have been properly recorded in the Minute Book/registers maintained for the purpose and the same have been signed;

5. The Company was not required to close its Register of Members, during the financial year under review.

6. There was no Advance/ loan to Directors and /or persons or firm or Companies referred in Section 185 of the Act,

7. There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review;

8. There were no event of issue or allotment or transmission or buy back of securities/ redemption of preference shares or debentures/ alteration or reduction of share capital/ conversion of shares/ securities and issue of security certificates in all instances during the Financial year ended as on 31st March, 2021. During the year under review, 1 (one) share was transferred from Shri S.. B. Singh to Ms. Rachna Srivastava

9. Keeping in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares in compliance with the provisions of the Act. **There was no such activity during the Financial Year 2020-21;**

10. Declaration/ payment of dividend; transfer of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act. **No Dividend is declared during the Financial Year 2020-21;**

11. Signing of audited financial statement as per the provisions of section 134 of the Act and report of directors is as per sub - sections (3), (4) and (5) thereof;

12. The Company has complied with the provision of the Companies Act, 2013 with regard to appointment & Cessation of Directors.

During the Financial year the Company has appointed Mr. Ajay Singh Chahal (DIN: 09073613), as a Director as per provision of Section 161 of the Companies Act, 2013,

Mr. Rajendra Kumar (DIN: 02677079) appointed as Chairman of the Company on 28/07/2020 as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Mr. Prakash Rao (DIN: 08713027) & Mr. Suryanarayanan Gopalakrishnan (DIN: 00387319) Cessation from office of Directorship of the Company as per provisions of Section 168 of the Companies Act, 2013;

Further remuneration paid to Key Managerial Personnel during the financial year;

13. Appointment of auditor as per the provisions of the Companies Act, 2013

14. No approvals was required to be taken from the Central Government, Tribunal, Regional Director, Registrar, Court or such other authorities under the various provisions of the Act;

15. The Company had not accepted /renewed / repayment of deposits during the Financial Year 2020-21 as per the provisions of the Companies Act, 2013

16. The Company has not taken the Borrowings from its directors, members, public financial institutions, banks and others during the financial year under review,

17. The Company has not made any Loans and investments or guarantees given or providing of securities to other bodies corporate or persons falling under the provisions of section 186 of the Act;

18. The Company has altered the Article of Association for change in the composition of Board of Directors by way of passing of Special Resolution dated 28th Day of July, 2020 during the financial year under review;

Place: New Delhi

for AGRAWAL MANISH KUMAR & CO
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
MANISH KUMAR AGRAWAL
(Proprietor)
C.P. NO. 7057
Membership No: F-9528

UDIN: F009528C002166342

National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

Addendum to the Directors Report for Financial Year 2020-21

Replies to the Observations of the Statutory Auditors Report from M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y. 2020-21

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
Basis for Qualified Opinion.	
1. The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017 till March 31, 2021without being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.	NICSI had taken up the matter with STQC Directorate in F.Y. 2020-21 to undertake the assignment towards ERP validation from Functional Audit/ Security Audit/ Performance Audit and to intimate the fee to be charged for the same. Some correspondence had also been exchanged between NICSI and the STQC Directorate, towards which NICSI had provided the SRS Manuals to the STQC Directorate. A Proforma received from the STQC Directorate was also filled-in and the discussions towards the same were to be held to know the actual jobs involved / to be performed in conducting the said Audits. However, due to COVID-19 epidemic, the meeting between NICSI and the STQC Directorate could not be held so far. The matter has again been taken up and it is likely that the ERP validation would be completed in the next around 6 months.
2. In our opinion, the internal controls existing in the Company with respect to physical verification of Property Plant & Equipment, and cut off procedures (Prior Period Items),reconciliation/ confirmation of vendor/user balancesand recovery of dues should be commensurate with the size and nature of its operations. (Refer to Annexure "A")	The existing internal control systems towards Property Plant & Equipment reconciliation / confirmation of vendor/user balances and recovery of dues have been strengthened during the year. However, due to COVID-19 epidemic, the progress has been relatively slow in following up these items with the concerned. All these activities would again be taken up vigorously, as soon as situation improves in the near future.
3. Balances relating to Trade Payables (Note19), Trade Receivables(Note10), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note21), Security deposits Payable (Note18) and Advances to Suppliers (Note 9 & 15)are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2021. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same. NICSI has automated its ERP system towards the same.

4. Reference is invited to Note No. 21 of the Ind AS financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,61,229.72 lakhs. Review of individual accounts reveal numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles. In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.	NICSI receives thousands of new Purchase Orders from the various Government Departments / Organisations / Public Sector Enterprises. After completion of the activities against those orders, NICSI prepares the Final Settlement of Accounts statement and send the same to the concerned user, to reimburse the amount against the excess expenditure or to intimate the Bank details for refund of the unspent balances therein. While some of the users provide the Bank details, in many cases these are not received and thus, the unspent amounts remain with NICSI. However, as per Audit Observation, NICSI is in the process of setting up a separate unit, exclusively to deal with the outstanding debtors & creditors and other such related matters. The unit would make efforts on priority to review such cases and to refund the unspent amounts to the users at the earliest. NICSI has also initiated process of sharing Accounts Statements on monthly basis and once that gets matured, would be rolled out for all the users.
5. With reference to the note no. 63 "Prior Period Items" of Income & Expenditure Account, the expenditure that is not recorded in the Ind-AS Financials of FY 2020-21 due to non-submission/late submission of the invoices by the vendors has resultant into non-compliance of cut off procedures. Such bills are recorded in the subsequent reporting periods after post-approval by the competent authority Impact, of such late recording of expenditures on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure on aid projects cannot be ascertained reliably due to non-availability of quantum of bills that were not submitted by vendors as on reporting date.	Fixing of a cut-off date to receive invoices from the vendors towards services rendered in previous year becomes necessary due to deposit of GST and filing of return there-against in time. However, NICSI has vigorously followed up with the vendors during Jan-April, 2021 to submit their bills immediately for the services rendered / executed upto 31.03.2021. In this regard, NICSI had also issued notices to the vendors and also, put on Notice Boards in NICSI i.e. dated 11.01.2021, 09.02.2021, 19.02.2021, 04.03.2021 & 18.03.2021. (copies enclosed).
6. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 with respect to erroneously recognising revenue on Sales of goods at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income, loss and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.	As per NICSI Policy, it has been recognising its revenue at the time of generation of Invoice towards Sale of Goods. The company has duly complied with all the provisions and requirements of applicable Ind AS, while preparing the financials for F.Y. 2020-21 and as per matching concept on Revenue recognition. NICSI has got it automated in its ERP system and as such, these activities are being immediately and properly implemented.

Emphasis of Matter	
1. We draw attention to the note No. 44 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at Bhikaji Cama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.	NICSI has been following up with NBCC to get the conveyance/ title deed registered in respect of Hall No's 2 & 3 at the 6th floor of NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi purchased by NICSI in the years 2003 & 2000 respectively. In this regard, MD, NICSI had referred the matter to CMD, NBCC, vide letter dated 17.07.2020 and thereafter, has issued reminders from time to time. Further, Additional Secretary, MeitY & Chairman, NICSI has also sent a D.O. to the CMD, NBCC on 19.07.2021 towards the same.
Qualified Opinion on Report towards Internal Financial Controls	
a. Reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material misstatement of the outstanding balances.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2021. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same.
b. Release of the Performance Bank Guarantees of the vendors as it could potentially result in non-recovery of damages from defaulting vendors;	The audit observation has been noted and more efforts would be made in future to pursue with the clients and the vendors towards recovery or settlement of such amounts.
c. Physical verification of Property Plant & Equipment which could materially impact the accounting, classification and disclosure of the aforesaid.	Asset details are being maintained in prescribed register with proper details towards their issue / disposal etc. Also, Physical Verification of all Assets is being carried out by a 3 member Committee each for NICSI HQ. (including SP & LNDC) and its State Units at the close of each financial year. It has accordingly been done in F.Y. 2020-21 also.
d. Company have not complied with cut off procedures and matching concept at the time of recording the income and expense bill.	Fixing of a cut-off date to receive invoices from the vendors towards services rendered in previous year becomes necessary due to deposit of GST and filing of return there-against in time.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place : New Delhi

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Balance Sheet as at March 31, 2021

₹ in lakhs

Particulars	Note No	As at 31-03-2021	As at 31-03-2020
ASSETS			
Non-current assets			
Property, Plant and Equipment	3	2,377.57	4,692.75
Right of use assets	4	17,227.19	18,924.70
Other Intangible assets	5	8,682.03	4,356.78
Financial assets:			
(a) Loans	6	108.34	107.08
(b) Others Financial Assets	7	534.64	494.59
Deferred Tax Assets (Net)	8	3,167.11	4,309.46
Other non-current assets	9	2,316.68	1,164.64
Current assets			
Financial assets:			
(a) Trade receivables	10	26,360.57	18,987.52
(b) Cash and cash equivalents	11	75,247.95	74,608.42
(c) Bank balances other than '(b)' above	12	1,04,355.89	76,137.47
(d) Others Financial Assets	13	3,678.34	4,060.72
Current Tax Assets (Net)	14	13,830.45	14,148.29
Other current assets	15	28,149.64	29,515.90
Total Assets		**2,86,036.40**	**2,51,508.32**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Equity Share capital	16	200.00	200.00
Other Equity	17	69,368.66	59,014.02

₹ in lakhs

Particulars	Note No	As at 31-03-2021	As at 31-03-2020
LIABILITIES			
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
(a) Other financial liabilities	18	15,781.21	16,669.42
Current liabilities			
Financial liabilities:			
(a) Trade payables	19		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		2,668.91	817.14
Total outstanding dues of Other Than Micro Enterprises and Small Enterprises		27,898.71	23,591.47
(b) Other financial liabilities	20	3,893.63	3,804.85
Other current liabilities	21	1,66,150.76	1,47,336.90
Provisions	22	74.52	74.52
Total Equity and Liabilities		**2,86,036.40**	**2,51,508.32**
Significant accounting policies	2		

The accompanying notes (1 - 67) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.542976

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2021

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Income and Expenditure Account for the year ended 31.03.2021

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2021	Year ended 31-03-2020
	INCOME			
I	Revenue From Operations	23	1,28,202.26	1,15,628.59
II	Other Income	24	7,458.93	10,302.89
III	**Total Income (I+II)**		**1,35,661.19**	**1,25,931.48**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	25	11,983.57	17,829.00
	Services Support Expenses		96,983.33	79,126.55
	Employee benefits expenses	26	867.72	856.31
	Finance Cost	27	953.23	1,037.41
	Depreciation and amortization expenses	28	6,561.78	8,605.14
	Other expenses	29	5,159.50	5,177.70
	Total Expenses (IV)		**1,22,509.13**	**1,12,632.11**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		13,152.06	13,299.37
VI	**Tax expense:**		**3,329.11**	**4,223.17**
	(1) Current tax		3,504.78	4,820.17
	(2) Deferred tax		1,142.35	(792.63)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		(1,318.02)	195.63
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**9,822.95**	**9,076.20**

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2021	Year ended 31-03-2020
VIII	**Other Comprehensive Income**		-	-
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**9,822.95**	**9,076.20**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic	30	4,911.47	4,538.10
	(2) Diluted	30	4,911.47	4,538.10

Significant Accounting Policies 2

The accompanying notes (1 - 67) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.542976

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2021

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2021

₹ in lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**13,683.75**	**13,299.37**
Adjustments for:		
Depreciation and amortization Expenses	6,561.79	8,605.14
Profit/(Loss) on sale of Property Plant & Equipment	(0.28)	(2.37)
Finance Cost	953.23	1,037.41
Interest income	(7,001.70)	(8,161.28)
Provision/(Recoverable) for Doubtful Debts	-	(1,454.25)
Provision/(Recoverable) against Advances	283.65	(451.32)
Provision against Sales Tax & TDS & WCT	-	0.41
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes	**14,480.44**	**12,873.11**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	(7,373.05)	(135.20)
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	247.15	(4,322.32)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	22,543.87	(8,405.61)
Cash Generated from Operations	**29,898.41**	**9.98**
Income tax Paid	(3,504.78)	(4,820.17)
Income tax for Previous Years	1,318.02	(195.63)
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)	**27,711.65**	**(5,005.82)**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(6,198.19)	(2,823.15)
Investment in FDR	(28,218.41)	11,212.70
Sale of fixed assets	0.44	2.63
Interest received	7,344.04	8,543.63
Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**(27,072.12)**	**16,935.82**

Cash Flow from Financing Activities		
Interest paid	-	-
Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	-	-
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**639.53**	**11,930.00**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**74,608.42**	**62,678.42**
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	**75,247.95**	**74,608.42**

Notes

1) The above statement of cash flow has been repared in the indirect method as said out int the Ind As -7," Satement of Cash Flows".
2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

₹ in lakhs

Particulars	**As at March 31, 2021**	**As at March 31, 2020**
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	29,226.99	32,287.27
Imprest Account	0.50	0.50
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	46,020.46	42,320.65
	75,247.95	**74,608.42**

3) The above Statement of Cash Fow includes Rs. 57.20 Lakhs (PY Rs. 40 Lakhs) towards CSR activities. Refer note no. 59.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.542976

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2021

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2021

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

₹ in lakhs

Particulars	Note	Amount
As at 1 April 2019	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2020	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2021	16	200.00

B. Other equity (Refer note 17)

₹ in lakhs

Particulars	Reserves and Surplus Retained earnings	Total other equity
As at March 31 2019	49,937.82	49,937.82
Surplus/(Deficiency) for the year	9,076.20	9,076.20
As at March 31 2020	**59,014.02**	**59,014.02**
Prior Period Income (Manpower)*	531.69	531.69
As at March 31 2020 (restated)	59,545.71	59,545.71
Surplus/(Deficiency) for the year	9,822.95	9,822.95
As at March 31 2021	**69,368.66**	**69,368.66**

* Refer Note no. 65

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.542976

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
FCS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2021

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2021

1. Corporate Information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Electronics And Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide Total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated July , 29, 2021.

2. Significant Accounting Policies

i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards (herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

- Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lakhs rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors has been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or

- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful live)

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(c) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of three years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

v. Financial instruments

a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass- through' arrangement And

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

- Disclosures for significant estimates and assumptions
- Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
- Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the yearend or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the Total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii Events after the Reporting Period

The Corporation, in each year, is in receipt of a few expenditure invoices pertaining to the reporting period, after the reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period but before the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors are considered as adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period to which they pertain. The corresponding income on such expenditure invoices is also accounted for in the same reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period & even after the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors, are considered as non-adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period in which they are received. The corresponding income is also accounted for in the reporting period in which the expenditure invoices are received & accounted for.

xiii. Leases

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate (i.e. average interest rate of government bond -7.75%).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments.

– Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

– Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and

– The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'other financial liabilities' in the Balance Sheet.

Short-term leases and leases of low-value assets

The company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for shortterm leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Minimum Alternate Tax

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre -tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A provision @5% is recognized towards Trade Receivables which are outstanding for more than three years at Balance Sheet date.

xvii Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors.

xviii Provisions and Contingencies

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

xix. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts are form an integral part of Company's cash management."

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Standard issued but not yet effective

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standard or amendments to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from April 01, 2021.

Recent Pronouncements

On March 24, 2021, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") through a notification, amended Schedule III of the Companies Act, 2013. The amendments revise Division I, II and III of Schedule III and are applicable from April 1, 2021. Key amendments relating to Division II which relate to companies whose financial statements are required to comply with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 are:

Balance Sheet:

- Lease liabilities should be separately disclosed under the head 'financial liabilities', duly distinguished as current or non-current.
- Certain additional disclosures in the statement of changes in equity such as changes in equity share capital due to prior period errors and restated balances at the beginning of the current reporting period.
- Specified format for disclosure of shareholding of promoters.
- Specified format for ageing schedule of trade receivables, trade payables, capital work-in-progress and intangible asset under development.
- If a company has not used funds for the specific purpose for which it was borrowed from banks and financial institutions, then disclosure of details of where it has been used.
- Specific disclosure under 'additional regulatory requirement' such as compliance with approved schemes of arrangements, compliance with number of layers of companies, title deeds of immovable property not held in name of company, loans and advances to promoters, directors, key managerial personnel (KMP) and related parties, details of benami property held etc.

Statement of Profit and Loss:

- Additional disclosures relating to Corporate Social Responsibility (CSR), undisclosed income and crypto or virtual currency. specified under the head 'additional information' in the notes forming part of Standalone Financial Statements.

The amendments are extensive and the Company will evaluate the same to give effect to them as required by law.

3. Property, plant and equipment

₹ in Lakhs

Particulars	Buildings	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost						
As at April 1, 2019	1,985.85	1,591.71	7.02	4,298.60	6,929.55	14,812.73
Additions	-	7.96	-	37.06	70.52	115.55
Disposals	-	-	-	0.46	4.91	5.37
As at March 31, 2020	**1,985.85**	**1,599.67**	**7.02**	**4,335.20**	**6,995.16**	**14,922.90**
Additions	-	3.82	10.61	45.87	293.63	353.93
Disposals	-	-	-	-	5.43	5.43
As at March 31, 2021	**1,985.85**	**1,603.49**	**17.63**	**4,381.07**	**7,283.36**	**15,271.40**
Depreciation						
As at April 1, 2019	**1,060.26**	**1,214.79**	**6.52**	**2,921.47**	**4,203.88**	**9,406.92**
Depreciation charge for the year	45.28	97.33	0.17	545.78	139.78	828.34
Impairment Loss	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	0.43	4.67	5.10
As at March 31, 2020	**1,105.55**	**1,312.12**	**6.68**	**3,466.82**	**4,338.98**	**10,230.15**
Depreciation charge for the year	43.06	72.63	1.75	324.11	370.65	812.20
Others adjustment (Refer ii below)	-	-	-	-	1,856.74	1,856.74
Disposals	-	-	-	-	5.26	5.26
As at March 31, 2021	**1,148.61**	**1,384.75**	**8.43**	**3,790.93**	**6,561.11**	**12,893.83**
Net book value :						
As at March 31, 2021	**837.24**	**218.74**	**9.20**	**590.14**	**722.25**	**2,377.57**
As at March 31, 2020	**880.31**	**287.55**	**0.33**	**868.38**	**2,656.18**	**4,692.75**

i. Refer the Note No. 37 for disclosure or Capital commitment for equation of Property Plant and Equipment.

ii. During the period from FY 2017-18 to FY 2019-20 depreciation on "Computers" to the tune of Rs. 1856.74 Lakhs was erroneously deducted from the head "Other Intangible Assets". The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2020-21 by way of "other adjustments". Since the depreciation on Computers was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/restatement has not resulted in any financial impact during the year.

4. Right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	Right of use assets	Total
As at March 31, 2019	21,285.61	21,285.61
Additions		-
Disposals	-	-
As at March 31, 2020	**21,285.61**	**21,285.61**
Additions	694.52	694.52
Modification of Right	18.18	18.18
Disposals	842.06	842.06
As at March 31, 2021	**21,119.89**	**21,119.89**
Amortisation		
As at March 31, 2019		
Amortisation charge for the year	2,360.92	2,360.92
As at March 31, 2020	**2,360.92**	**2,360.92**
Amortisation charge for the year	2,373.84	2,373.84
Impairment Loss	-	-
Disposals	842.06	842.06
As at March 31, 2021	**3,892.70**	**3,892.70**
Net book value :		
As at March 31, 2021	**17,227.19**	**17,227.19**
As at March 31, 2020	**18,924.70**	**18,924.70**

5 - Other Intangible Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2019	14,875.70	14,875.70
Additions	2,707.60	2,707.60
Disposals		-
As at March 31, 2020	**17,583.30**	**17,583.30**
Additions	5,844.26	5,844.26
Disposals	-	-
As at March 31, 2021	**23,427.56**	**23,427.56**
Amortisation		
As at April 1, 2019	**7,810.65**	**7,810.65**
Amortisation charge for the year	5,415.88	5,415.88
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-

Particulars	Software	Total
As at March 31, 2020	**13,226.53**	**13,226.53**
Amortisation charge for the year	3,375.74	3,375.74
Others adjustment (Refer ii below)	(1,856.74)	(1,856.74)
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2021	**14,745.53**	**14,745.53**
Net book value :		
As at March 31, 2021	**8,682.03**	**8,682.03**
As at March 31, 2020	**4,356.78**	**4,356.78**

i. Refer the Note No. 37 for disclosure or Capital commitment for equation of Other Intangible Assets

ii. During the period from FY 2017-18 to FY 2019-20 depreciation on "Computers" to the tune of Rs. 1856.74 Lakhs was erroneously deducted from the head "Other Intangible Assets". The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2020-21 by way of "other adjustments". Since the depreciation on Computers was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/ restatement has not resulted in any financial impact during the year.

Note No. - 6 - Loans

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
To parties other than related parties		
Unsecured, considered good		
Security Deposits	108.34	107.08
TOTAL	**108.34**	**107.08**

Note No. - 7 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Fixed Deposits		
Fixed Deposit having maturity more than 12 months*	291.60	291.60
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	243.04	202.99
TOTAL	**534.64**	**494.59**

* Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee.

8. Deferred Tax

The major components of income tax expense for the year.

A. Amount recognition in Income & Expenditure Account:

₹ in Lakhs

	Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
(i)	**Income or Loss Section**		
	Current income tax charge	3,504.78	4,820.17
	Adjustments in respect of current income tax of previous year	(1,318.02)	195.63
	Deferred tax:		
	Relating to origination and reversal of temporary differences	1,142.35	(792.63)
	Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	**3,329.11**	**4,223.17**
(ii)	**Other Comprehensive Income (OCI) Section**		
	Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
	TOTAL	**3,329.11**	**4,223.17**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2020 and 31 March 2021:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31 2021	As at March 31 2020
Accounting Income before tax from continuing operations	13,152.06	13,299.37
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	**13,152.06**	**13,299.37**
At India's statutory income tax rate of 25.17% (31 March 2020: 34.944%)	3,310.11	4,647.33
Adjustments in respect of current income tax of previous years	(1,318.02)	195.63
Government grants exempted from tax	-	-
Due to Change in income tax Rate	1,337.02	-
Other Assets	-	(646.70)
Non-deductible expenses for tax purposes	**-**	**26.90**
At the effective income tax rate of 25.31% (31 March 2020: 31.75%)	3,329.11	4,223.17
Income tax expense reported in income and expenditure account	3,329.11	4,223.17
Income tax attributable to a discontinued operation	**-**	**-**
Total	**3,329.11**	**4,223.17**

Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, provides an option to companies for paying income tax at reduced rates in accordance with the provisions/conditions defined in the said section and accordingly, the Company has decided to adopt the new tax rate and recognised provision for income tax on the basis of the rate prescribed in the said section and remeasured its deferred tax assets/liabilities accordingly for the year ended March 31, 2021

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following: **₹ in Lakhs**

Particulars	Balance sheet		Statement of Income & Expenditure	
	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
Accelerated depreciation for tax purposes	183.02	455.88	272.86	(475.98)
Provision for Doubtful Debts	2,387.43	3,387.86	1,000.43	67.56
Provision for Employee benefits	11.50		(11.50)	-
Right to use asstes net of Lease Liabilities	585.16	465.72	(119.44)	(465.72)
Present valuation of Security Deposits (assets)	-	-	-	81.51
Deferred tax expense/(income)			**1,142.35**	**(792.63)**
Net deferred tax assets/(liabilities)	**3,167.11**	**4,309.46**		

Reflected in the balance sheet as follows: **₹ in Lakhs**

Particulars	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
Deferred tax assets	3,167.11	4,309.46
Deferred tax liabilities		-
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**3,167.11**	**4,309.46**

Note No. - 9 - Other Non-Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Unsecured, considered good		
To parties other than related parties		
Advances to Suppliers	1,211.07	1,164.64
Capital Advance*	1,105.61	-
Total	**2,316.68**	**1,164.64**

* Advance for purchase of office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi

10 - Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
To parties other than related parties		
Unsecured, considered good	26,360.57	18,987.52
Unsecured, considered doubtful*	8,508.75	8,435.35
Less: Provision for doubtful debts	(8,508.75)	(8,435.35)
Total	**26,360.57**	**18,987.52**

* Provision for Doubtful Debts amounting to Rs. 8435.35 Lakhs of F Y 2019-20 has been reversed during FY 2020-21. Further, during FY 2020-21 provision for doubtful debts has been made for Rs.8508.75 Lakhs instead of @ 5% towards which are outstanding for more than 3 years at Balance Sheet date refer Note No. 56.

11 - Cash and Cash Equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Balances with banks		
Saving Account	29,226.99	32,287.27
Others		
Imprest Account	0.50	0.50
Fixed Deposit (original maturity less than 3 months)*	46,020.46	42,320.65
Total	**75,247.95**	**74,608.42**

* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

Note No. - 12 - Bank balances other than cash and cash equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Fixed Deposit	1,03,253.45	73,239.18
Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee	1,102.44	2,898.29
Total	**1,04,355.89**	**76,137.47**

Note No. - 13 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Interest Accrued on Fixed Deposits	3,678.34	4,060.72
Total	**3,678.34**	**4,060.72**

14 - Current Tax Assets (Net)

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Income tax paid (Net of provision Rs.6973.96 Lakhs (Previous Year Rs.7877.62 Lakhs)	15,666.33	15,951.21
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received)	(1,835.88)	(1,802.91)
(See Notes to Accounts No. 61)		
Total	**13,830.45**	**14,148.29**

15 - Other Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Other than Capital Advance		
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	24.31	33.12
Total (A)	**24.31**	**33.12**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	27,246.47	28,559.12
Prepaid expenses	1.52	2.41
Total(B)	**27,247.99**	**28,561.53**
Unsecured, considered Doubtful		
Sales Tax/DVAT & TDS on Work Contract Recoverable*	120.45	120.45
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	117.91	117.91
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	2.54	2.54
(See Notes to Accounts No. 61)		
Total (C)	-	-
Unsecured, considered good		
Advances to Suppliers	877.34	921.25
Unsecured, considered Doubtful		
Advances to Suppliers	977.22	1,260.88
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	977.22	1,260.88
(See Notes to Accounts No. 57)		
Total (D)	**877.34**	**921.25**
GRAND Total (A+B+C+D)	**28,149.64**	**29,515.90**

16 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
TOTAL	**200.00**	**200.00**

a. Information on shareholders* (Including Details of shareholders holding more than 5% shares)

Name of Shareholder	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
Smt. Rachna Srivastava	1	0.0005	-	-
Sh. Shyam Bihari Singh	-	-	1	0.0005
Sh. Nagesh Shastry	1	0.0005	1	0.0005
Sh, Deepak Chandra Misra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Vishnu Chandra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. R S Mani	1	0.0005	1	0.0005
Total	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

* The information of Shareholding has been given of all shareholders irrespective of holding more than 5% shares due to held on behalf of Government of India

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

₹ in Lakhs

Particluars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued/ (buy back) during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2021, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

17 - Other Equity

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	59,014.02	49,937.82
Prior Period Income (Manpower)*	531.69	-
Opening Balance Restated	**59,545.71**	**49,937.82**
Add: - Surplus/(Deficiency) for the year	9,822.95	9,076.20
TOTAL	**69,368.66**	**59,014.02**

* Refer Note no. 65

18 - Other Financial Liabilities (Non -Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Security Deposits Payable	39.46	39.46
Lease Liabilities (Refer Note No. 35)	15,741.75	16,629.96
Total	**15,781.21**	**16,669.42**

19 - Trade Payables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Trade Payables		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises*	2,668.91	817.14
Total outstanding dues of Other Than Micro Enterprises and Small Enterprises	27,898.71	23,591.47
Total	**30,567.62**	**24,408.60**

* Refer Note No. 46

20 - Other Financial Liabilities (Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Earnest Money Deposit Payable	983.27	1,193.26
Employee Benefits Payable	208.80	207.87
Expenses Payable	139.36	0.00
Lease Liabilities (Refer Note No. 35)	2,319.17	2,161.34
Retention Money (Performance Bank Guarantee)*	243.03	242.38
Total	**3,893.63**	**3,804.85**

* Retention from vendor against performance bank guarantee.

21 - Other Current Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Statutory Dues and Taxes	4,106.17	8,587.10
Advances received from customers	1,41,188.48	1,24,647.66
Grants-in-Aid received from customers	20,856.11	14,102.14
Total	**1,66,150.76**	**1,47,336.90**

22 - Provisions

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Provision for Stamp Duty (Refer Note No. 44)	74.52	74.52
Total	**74.52**	**74.52**

23 Revenue From Operations

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Revenue from operations		
Sale of Traded Goods	12,383.61	18,908.56
Service Income	1,15,125.37	96,192.85
Total (A)	**1,27,508.98**	**1,15,101.41**
Administrative Charges	693.28	527.19
Total (B)	**693.28**	**527.19**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**1,28,202.26**	**1,15,628.59**

24 Other Income

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Interest Income*	7,220.98	8,530.90
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	190.30	397.49
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	28.97	27.87
Other non-operating income	173.57	291.78
Doubtful Debts (Refer Note No. 56)	-	1,454.25
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 57)	283.65	451.32
	7,458.93	**10,302.89**

* Includes Rs.226.02 Lakhs (PY- NIL) towards interest on refund of Income Tax

25 Purchases

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Purchases: -		
Hardware	9,043.86	16,476.12
Software	2,939.71	1,326.09
Augmentation of District Infrastructure	-	26.79
Total	**11,983.57**	**17,829.00**

26 Employee Benefits Expense

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Salaries and incentives	842.98	824.43
Staff Welfare	24.74	31.87
Total	**867.72**	**856.31**

27 Finance Cost

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Interest Expenses on Unbinding of Lease Liability	953.23	1,037.41
Total	**953.23**	**1,037.41**

28 Depreciation and amortization Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Property, plant and equipment (Refer Note No. 3)	812.20	828.34
Right of use assets (Refer Note No. 4)	2,373.84	2,360.92
Other Intangible assets (Refer Note No. 5)	3,375.74	5,415.88
Total	**6,561.78**	**8,605.14**

29 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Audit Fees (Reference Note No. 39)	9.98	9.97
Bank Charges	1.74	12.00
Board Meeting Expenses	-	0.43
Books & Periodicals	12.95	2.67
Business Promotion	3.86	8.15
GST (Non-Cenvatable)	29.56	18.95
Conference Seminar W/Shop Expenses	67.46	41.28
Consumable Stores	37.92	48.29
Conveyance Expenses	4.83	3.94
Corporate Social Responsibilities Expenses	57.20	40.00
Diesel for D.G. Set	1.69	1.17
Provision for Doubtful Debts (Refer Note No. 56)	73.40	-
Electricity & Water Charges	821.18	706.78
Hire Charges	7.24	3.08
House Keeping & Cleaning Charges	352.88	377.24
House Lease Charges	4.66	4.40
Membership & Subscription Charges	0.92	1.03
Miscelleneous Expenses	8.70	9.70
Office Expenses	2,570.99	2,569.28
Office Rent	0.57	30.21
Printing & Stationery	4.32	5.71
Professional & Consultancy Charges	349.61	234.33
Rent Rates & Taxes	10.18	9.94
Repairs & Maintenance	352.56	363.73
Taxi Hire Charges	276.69	308.27
Telephone Expenses	42.51	38.70
Travelling Expenses	54.56	326.46
Vehicle - Petrol	1.34	1.59
Provision Sales Tax/ VAT	-	0.21
Provision TDS on WCT	-	0.20
Total	**5,159.50**	**5,177.70**

30 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders	9,822.95	9,076.20
Weighted average number of equity shares	2,00,000	2,00,000
Basic earning per share	**4,911.47**	**4,538.10**
Diluted earning per share	**4,911.47**	**4,538.10**
Face value per share	100.00	100.00

31. Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2021		As at 31 March 2020	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets				
Trade receivables	-	26,360.57	-	18,987.52
Cash and cash equivalents	-	75,247.95	-	74,608.42
Bank balances other than above	-	1,04,355.89	-	76,137.47
Interest Accrued (current)	-	3,678.34	-	4,060.72
Security deposits	-	108.34	-	107.08
Fixed deposits	-	291.60	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	-	243.04	-	202.99
Total financial assets	**-**	**2,10,285.73**	**-**	**1,74,395.80**
Financial liabilities				
Trade payables	-	30,567.62	-	24,408.60
Other financial liabilities (current)	-	3,893.63	-	3,804.85
Other financial liabilities (non-current)	-	15,781.21	-	16,669.42
Total financial liabilities	**-**	**50,242.46**	**-**	**44,882.87**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The above table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables and other financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

32. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by cash and cash equivalents, trade receivables and financial assets measured at amortised cost. The Company continuously monitors defaults of customers and other counterparties and incorporates this information into its credit risk controls.

Credit risk management

The Company provides for expected credit loss based on the following:

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables, and other financial assets	Life time expected credit loss or 12 month expected credit

Based on business environment in which the Company operates, a default on a financial asset is considered when the counter party fails to make.

₹ in Lakhs

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit other bank balances and other financial assets	1,83,816.82	155301.20
Moderate credit risk	Trade receivables and Loan	26,468.91	19,094.60

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company provides for 12 month expected credit losses for following financial assets –

₹ in Lakhs

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Carring amount net of expected
As at 31 March 2021			
Trade Receivables	34,869.32	(8,508.75)	26,360.57
As at 31 March 2020			
Trade Receivables	27,422.87	(8,435.35)	18,987.52

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

₹ in Lakhs

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2019	**9,889.60**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	(1,454.25)
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2020	**8,435.35**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	73.40
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2021	**8,508.75**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended As at March 31, 2021						
Trade payables	30,567.62	-	-	-	-	30,567.62
Other financial liabilities	1,574.46	709.87	1,609.30	3,720.80	12,060.41	19,674.84
Total	**32,142.08**	**709.87**	**1,609.30**	**3,720.80**	**12,060.41**	**50,242.46**
Year ended As at March 31, 2020						
Trade payables	24,408.60	-	-	-	-	24,408.60
Other financial liabilities	1,643.51	540.33	1,621.00	6,479.55	10,189.87	20,474.27
Total	**26,052.11**	**540.33**	**1,621.00**	**6,479.55**	**10,189.87**	**44,882.88**

33 . Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2021.

₹ in Lakhs

Particulars	**As at 31 March 2021**	**As at 31 March 2020**
Borrowings		
Trade payables	30,567.62	24,408.60
Other payables	1,85,900.12	1,67,885.69
Less: Cash & cash equivalents	(75,247.95)	(74,608.42)
Net Debt	**1,41,219.79**	**1,17,685.88**
Total equity	**69,568.66**	**59,214.02**
Capital and Net debt	**2,10,788.45**	**1,76,899.89**
Gearing ratio (%)	**67.00%**	**66.53%**

34. Change in Accounting Policy

Except as specified below, the company has consistently applied the accounting policies to all periods presented in this financial statement. The company has applied Ind AS 116 with the date of initial application of 1st April, 2019. As a result, the company has changed its accounting policy for lease contracts as detailed below.

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach, under which the cumulative effect of initial application is recognized in retained earnings at 1st April, 2019.

₹ in Lakhs

Lease commitments as at 31 March 2019	28,674.62
Add/(less): contracts reassessed as lease contracts	-
Add/(less): adjustments on account of extension/termination	874.32
Lease liabilities as on 1 April 2019	29,548.94
Current lease liability	2,296.97
Non current lease liabilities	27,251.97

Right of use assets of Rs. 21,285.61 and lease liabilities of Rs. 20,050.86 have been recognised as on 1 April 2019.

The impact of change in accounting policy on account on adoption of Ind AS 116 is as follows :

Decrease in Property Plant and equipment by	-
Increase in lease liability by	18,791.30
Increase in rights of use by	18,924.70
Increase/Decrease in Deferred tax assets by	465.72
Increase/Decrease in finance cost by	1,037.41
Increase/Decrease in depreciation by	2,360.92

35 Leases

As Lessee

(A) Additions to right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2021**	**As at March 31, 2020**
Right-of-use assets, except for investment property	694.52	18,924.69

(B) Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class **₹ in Lakhs**

Particulars	Class 1	Class 2	Total
Balance at 1 April 2019		21,285.61	21,285.61
Depreciation charge for the year		2,360.92	2,360.92
Balance at 1 April 2020		18,924.69	18,924.69
Additions		694.52	694.52
Modification of Rights		18.18	18.18
Depreciation charge for the year		2,373.84	2,373.84
Balance at 31 March 2021		17,227.19	17,227.19

(C) Maturity analysis of lease liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Opeing Balance	18,791.30	20,050.85
Additions	694.52	-
Interest	953.23	1,037.41
Modification of Rights	(18.18)	-
Payment of Liabilities	(2,359.96)	(2,296.97)
Closing Balance	18,060.91	18,791.30

₹ in Lakhs

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Less than one year	2,319.17	2,161.34
One to five years	10,367.95	9,552.17
More than five years	12,060.42	15,021.93
Total undiscounted lease liabilities	**24,747.54**	**26,735.44**

₹ in Lakhs

Lease liabilities included in Balance Sheet	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Current	2,319.17	2,161.34
Non-Current	15,741.75	16,629.96
Total	**18,060.92**	**18,791.30**

(D) Amounts recognised in profit or loss

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Interest on lease liabilities	953.23	1,037.41
Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities	-	-
Income from sub-leasing right-of-use assets	-	-
Expenses relating to short-term leases	0.57	30.21
Expenses relating to leases of low-value assets, excluding short-term leases of low value assets	-	-

-

(E) Amounts recognised in the statement of cash flows **₹ in Lakhs**

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Total cash outflow for leases	2,359.96	2,296.97

36. Contingent Liabilities

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of offsite warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: -

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
Claim against the Company not acknowledged as debts.	99.66	104.58
Guarantees	691.10	1864.94
Income Tax Demand (Assessment Year 2012-13)	-	14.89
Income Tax Demand (Assessment Year 2014-15)	206.29	-
Income Tax Demand (Assessment Year 2015-16)	350.60	350.60
Income Tax Demand (Assessment Year 2018-19)*	2434.58	-
Total	**3782.23**	**2335.01**

* The above demand is net off after the adjustment of refund claimed in ITR of Rs. 5139.45 Lakhs.

No provision against the above has been made as management believes that there would not be any actual payable/demand in future also.

37. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.509.70 Lakhs (PY Rs.116.68 Lakhs) as at March 31, 2021. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
1.	National Data Centre, Bhubaneswar	22501.31	3594.88
2.	Enhancement of NIC Cloud Services	1874.07	3779.52
3.	District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative	1380.21	1380.21
4.	2nd Floor in Block-1, Shastri Park,Delhi on Lease Rent from DMRC - CPWD (Interior Furnishing for Data Centre- 1305.68 / Development Sheets- 875.00)	2280.68	NIL
5.	Purchase of Office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi (Unit No. A-300) (Total Cost 13043.31 less 1105.61 paid in 2020-21, both excluding taxes)	11937.70	NIL
	Total	**39973.97**	**8754.61**

38. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

39. Auditor Remuneration*

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Auditor Fee including Tax Audit Fee	6.36	6.36
Income Tax Audit	0.85	0.85
GST Audit	0.85	0.85
For Reimbursement of expenses	1.91	1.91
Total	**9.97**	**9.97**

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 1.80 Lakhs (PY Rs.1.91 Lakhs) excluding GST are provided for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

40. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

41. Related Party disclosures

List of related parties

Name of the Party	Relationship
Shri Manoj Kumar Mishra (Managing Director)	Key Managerial Personnel (Upto 14.02.2020)
Sh. Prashant Kumar Mittal (Managing Director)	Key Managerial Personnel from 17.02.2020 onward to till date
Sh. Girish Kumar (Company Secretary)	Key Managerial Personnel (Upto 04.08.2019)
Sh. Sunny Jain (Company Secretary)	Key Managerial Personnel from 16.12.2019 onward to till date

Transactions with Related Parties: -

₹ in Lakhs

Name of Party	Nature of Transaction	Year Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2020
Sh. Manoj Kumar Mishra	Managerial Remuneration	-	36.81
Sh. Prashant Kumar Mittal	Managerial Remuneration	36.88	4.10
Sh. Girish Kumar	Managerial Remuneration	-	3.48
Sh. Sunny Jain	Managerial Remuneration	10.36	2.87
	Total	**47.24**	**47.26**

Balance payable as on March 31, 2021 to Related Parties: Rs. 3.39 Lakhs (PY Rs.2.19 Lakhs)

42. Disclosure pursuant to Ind AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements

43. Balance Confirmation

The balance confirmation letters have been issued under various heads. The response there against is awaited.

44. Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50 lakhs (PY 931.50 lakhs) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. Hence, the initial provision of Rs 74.51 lakhs (PY Rs 74.51 lakhs) towards amount of Stamp Duty has been kept in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in the year the same is got registered. In this regard NICSI has taken up the matter with NBCC from time to time on different occasions.

45. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

46. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier.	2668.91	817.14
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

47. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets', the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2020-21 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon.

48. Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 (surrendered by NICSI on 31.03.2017 and accepted by DoT) and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon.

NICSI had surrendered the DoT License on 31.03.2017 and accepted by DoT. As per the mandate given by DoT, NICSI has since paid entire amount towards License Fee / Spectrum Charges till 31.03.2017 on the revenue related to this activity only. Also, the

amounts from MHA/NDRF are received. However, the O/o the Pr. CCA Office, DoT had levied interest / penalty on NICSI by taking revenue of entire company, for which MeitY had taken up the matter with DoT.

O/o the Pr. CCA DoT, vide letter dated 17.07.2020, had withdrawn all Demand Notices against NICSI towards License Fee and Spectrum Usage Charges (based on Hon'ble Supreme Court of India Judgement dated 11.06.2020 and DoT OM No. 12-25/2019-LFP dated 17.07.2020. The P&T Audit Office had accordingly, been informed by NICSI, vide letter no. NICSI / Fin/ Insp. P&T Adt./2018-19/289 dated 20.07.2020 & accordingly, that office had admitted / closed the para, vide letter no. AMG-II/ NICSI/F-2516/2019-20/323 dated 23.09.2020 from the Inspection Report.

However, NICSI had deposited 4 Bank Guarantees (BG's) to DoT towards the above totaling to Rs. 92 lakh which had been renewed from time to time. NICSI had taken up the matter with DoT to return all these BG's, vide its letter dated 10.08.2020, with reminder dated 09.11.2020. In response there-to, O/o Pr.CCA, DoT, vide letter no. 50-4/2018-Clarification & Rulings / Pr.CCA /Delhi /1413 dated 05.02.2021, had requested DoT (LFP Divison) to issue the guidelines for re-assessment of LF / SUC in respect to Non-Telecom PSU's, as the demand raised by the DoT had been withdrawn, vide its order no. 12-25 / 2019-LFP dated 13.07.2020. NICSI has further issued reminders to DoT, vide letters dated 11.03.2021, 27.05.2021& 22.06.2021 but no progress so far and the BG's are still with DoT.

49. Income/Expenditure on National Data Centre Project, Shastri Park, Delhi

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakhs per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure head-wise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakhs on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centers
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centers shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure at both these Data Centers.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs.800 Lakhs per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes thereon as per Board approval from F.Y.2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2020-21 at National Data Centre – Shastri Park & Bhubaneswar.

NICSI Board of Directors, in its 114th meeting held on 29.07.2020, had requested a Director from NIC to look into and advise on the item related to meeting of deficit between expenditure & income (excluding on Cloud) towards NDC-SP & Bhubaneswar. The matter is still under consideration.

50. LTC to NICSI employees on deputation from NIC

The company had reimbursed an amount of Rs. 189 Lakhs towards LTC, based on the Service Rules of NICSI to the NICSI employees deputed from NIC during the Financial Years 2010-11 to 2013-14. This amount had been reimbursed by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 and amended in 69th meeting held on 24.09.2010, which were not in line with DPE/ DOPT guidelines & CCS LTC Rules. These Service Rules had thereafter, been sent by NICSI to NIC/MeitY on 11.11.2014 for ratification. As per Board approval that the recovery be made in installments, NICSI had recovered the amount from the salary of employees in May, 2015. Against the same, the employees had filed a Writ Petition in the Hon'ble Delhi High Court against the recovery and the Court, vide "Order" dated 09.06.2015, had granted the "Stay" on the recovery of amount from the employees, pending the final decision by the Court in the matter. Finally, the Hon'ble Delhi High Court, in its judgment dated 18.03.2016, had decided that "Service conditions which induce the present appellants to apply for NICSI for deputation and continue their held out a liberalized LTC option. That option was availed of continuously. The LTC regulations were amended further-it is not in dispute that the original regulations of NICSI and the amendments continue in force. In these circumstances, the recovery sought to be made without altering the conditions of service could not have been upheld. Accordingly, the respondents are permitted to recover only amounts paid in excess of the deputation terms either pre-2010 as existing with some of the employees joined the organization or those which are contrary to the 2010 amendments. The Appeal is allowed to that extent".

MeitY, vide letter dated 14.07.2016, had directed NICSI to continue recovery of over-payment to the employees who had irregularly drawn LTC. NICSI, vide letter dated 29.07.2016, informed MeitY that in view of the current directives, NICSI has re-started the process of recovery of over-payment made to the employees on account of LTC and an Office Memorandum was also issued towards the same on 29.07.2016 itself, informing that the recovery would start from the salary for the month of August, 2016. The matter was simultaneously submitted by NICSI to MeitY on 16.08.2016.

The affected employees had then gone to Hon'ble Delhi High Court by filing a contempt petition against the re-started process of recovery as per the said NICSI O.M. dated 29.07.2016, in which NICSI and MeitY were both made Respondents. MeitY had re-considered the matter and advised NICSI, vide note dated 17.03.2017, to adhere to the said decision dated 18.03.2016 from Hon'ble Delhi High Court in the matter. Based on MeitY directive, NICSI issued O.M. dated 21.03.2017 mentioning "not to effect recovery of LTC claims by NIC/ NICSI employees and further, the recovery of amounts already made to be paid back to concerned officers in due course. The Respondents accordingly, informed the decision to Hon'ble Delhi High Court in its hearing on 23.03.2017 by handing over a photocopy of the O.M. dated 21.03.2017. The contempt petition was thus treated as disposed off as satisfied and the respondents were directed to forthwith give effect to the O.M. dated 21.03.2017. NICSI had accordingly taken action and refunded the recovered amount to each individual.

In the meantime, the matter was included by the C&AG Office in its "Report for the year ended March, 2014 – Union Government (Communications & IT Sector) – No. 55 of 2015" presented to Parliament. It is currently with Public Accounts Committee (PAC) of Parliament.

MeitY had informed the C&AG Office as per above, including the said Hon'ble Delhi High Court decision. The C&AG Office had thereafter, desired the copy of the Hon'ble Court decision and also, the Government approval towards ratification of NICSI Service Rules. While the copy of Hon'ble Court decision was provided to the C&AG Office, it was informed that the matter towards ratification of NICSI Service Rules was still under consideration of the Government. The para is thus, still under consideration of the PAC for want of ratification of NICSI Service Rules from the Government. The status in the matter is same as in previous year. However, the C&AG Organization (Finance & Communication Audit Office) vide letter no. AMG-II/NICSI/F-3126 /2008 dated 10.01.2020 had dropped the para from the Inspection Report.

51. Project Incentive to NICSI employees on deputation from NIC

Based on an Audit Observation from the P&T Audit office, NICSI had sent its "Project Incentive Guidelines" in November, 2014 to NIC / MeitY for ratification. As the approval thereon was not received, NICSI has not been paying Project Incentive to its employees after F.Y.2013-14. Hence, no provision has been made related thereto in its Accounts for F.Y.2020-21. However, the C&AG Organization (Finance & Communication Audit Office) vide letter no. AMG-II/NICSI/F-3126 /2008 dated 10.01.2020 had dropped the para from the Inspection Report.

52. Transport Allowance and House Rent Allowance to NICSI employees on deputation from NIC

The Company has paid an excess amount of Rs. 49 Lakhs towards Transport Allowance and Rs. 17 Lakhs towards House Rent Allowance to the NICSI employees deputed from NIC during the period from 01.07.2007 to 31.03.2014. This amount has been paid by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 which is not in line with GOI Rules. These Service Rules have been sent by NICSI to NIC/ MeitY on 11.11.2014 for ratification. Further feedback in the matter is awaited. However, as per approval by the Board of Directors, NICSI has followed Government Rules towards these allowances in F.Y.2018-19 and onward. The status in the matter is same as in previous year. However, the C&AG Organization (Finance & Communication Audit Office) vide letter no. AMG-II/NICSI/F-3126 /2008 dated 10.01.2020 had dropped the para from the Inspection Report.

53. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects.

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2020-21 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2020-21 as per below:

₹ in Lakhs

Period	NKN Project	Other GIA Projects	Total
For F.Y.2019-20	27.87	397.49	425.36
For F.Y.2020-21	28.97	190.30	219.27

54. Draft Audit Para from P&T Audit Office on Refund of Interest in GIA Projects.

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis.

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and also, in F.Y.2018-19 and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 and for F.Y.2018-19, as per below:

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 Totalling to Rs.4766.01 Lakh (i.e. Rs.1414.74 Lakh in NKN Project and Rs.3351.27 Lakh in other GIA Projects and also refunded to the concerned grantor department or adjusted in future grant.

P&T Audit Office, vide letter no. AMG-II / Rep PSU / DAP / 9993 /NICSI / D-2024 dated 14.01.2020, has provided a Draft Audit Para (DAP) to NICSI on "Loss of Rs.26.36 crore and understatement of liability by Rs.78.38 crore due to non-compliance of terms & conditions governing grants in aid projects". The Audit observation is that NICSI has deducted the Corporate Tax paid on its GIA

Interest Income during past years and while refunding the differential interest, it has deducted the Corporate Tax already paid and thus, it should take-up the matter with CBDT / Income Tax Department regarding refund of Corporate Tax paid previously. NICSI, vide reply dated 09.12.2019 to their Audit Memo No. 12 dated 04.12.2019 and also, vide letter dated 12.06.2020 has informed the P&T Audit office that since the Corporate Tax is paid to the Government of India i.e. Income Tax Department continuously since F.Y.2012-13, it has not taken up the matter with the Income Tax Department, since even after refund of the Corporate Tax to NICSI, it would have to refund again to the Government of India (i.e. Grantor Departments). Status in the matter is still same.

55. Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, result in Trade Receivables, disclosed in note no. 10 of the financial statements, amount of trade receivables of Rs. 34869.32 Lakhs (PY Rs. 27,422.87 Lakhs) as at March 31, 2021, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

56. Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

As per Accounting Policy of the Company, a provision @ 5% is recognized towards trade receivables which are outstanding for more than 3 years at balance sheet date. P&T Audit has observed that the adopted policy for provision for doubtful debts of the company is deficient.

Considering the above observation of P&T Audit and assurance given by NICSI to that office on F.Y. 2017-18 accounts, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2018-19 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

The Committee had recommended a policy to make "Provision" towards doubtful debts as (i) 100% towards outstanding for more than 10 years, (ii) 50% for outstanding between 5 to 10 years and (iii) 25% for outstanding between 3 to 5 years. It was approved in NICSI and accordingly, NICSI had made "Provision" in its accounts for F.Y. 2018-19 and 2019-20.

The "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2020-21 also towards doubtful amounts on similar basis while reversing the previous year provision of Rs. 8435.35 lakh and creating new provision of Rs. 8508.75 lakh in F.Y. 2020-21 as per below: -

₹ in Lakhs

Duration	**Outstanding amount**	**Provision in %age**	**Provision in F.Y.2020-21**	**Provision in F.Y.2019-20**
More than 10 years	6300.00	100	6300.00	5,410.02
5 to 10 years	4057.00	50	2028.50	2,194.98
3 to 5 years	721.00	25	180.25	8,30.35
Upto 3 years	23791.32	NIL	NIL	NIL
Total	**34869.32**		**8508.75**	**8435.35**

57. Provision for Advances to Suppliers.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakhs are more than 3 years old. Non-provision has resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled. The Committee had recommended to make "Provision" of amount outstanding for settlement for more than 3 years. NICSI had approved the same. Accordingly, NICSI had made provision in F.Y. 2018-19 and 2019-20.

The provision towards Advances to Suppliers amounting to Rs.977.22 Lakhs has been made in Accounts for F. Y. 2020-21 for amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2021 and un-likely to be settled (as against Rs.1260.88 lakh in FY 2019-20 reversed), except for NKN Project.

58. Classification of Assets and Liabilities into current and non-current

The company provides the bifurcations of Assets & Liabilities into 'Current' and 'Non-Current' in the financial statements on the basis of estimation of recoverability/payment within operating cycle.

59. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

₹ in Lakhs

Particulates	Amounts spent	Amounts yet to be paid	Total amounts
Year ended March 31, 2021			
(i) Construction/ acquisition of any Assets	-	-	-
(ii) On purposes others than (i) above	57.20	-	57.20
Year ended March 31, 2020			
(i) Construction/ acquisition of any Assets	-	-	-
(ii) On purposes others than (i) above	40.00	-	40.00

Balances as at March 31, 2020		Amounts Required to be spent during for the year ended March 31, 2021	Amounts spent during the year		Balances as at March 31, 2021	
With Company accounts	In Separate CSR Accounts		With Company accounts	In Separate CSR Accounts	With Company accounts	In Separate CSR Accounts
-	-	57.20*	57.20*	-	-	-

* NICSI has made contribution of Rs. 57.20 Lakh in the Accounts for F.Y.2020-21 (PY 40.00 Lakhs) towards expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR) as ratified by NICSI Board of Directors in its 118th meeting held on 28.06.2021, based on CSR Committee Recommendations, in its 6th meeting held on 31.03.2021.

60. District 2.0 – Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative

The Board of Directors, in its 100th meeting held on March 28, 2017, had considered the project and approve at a Total outlay of Rs.9,900 Lakhs for Phase-I to be met entirely by NICSI out of its "Cash Reserves". However, there would be no "Revenue" income in the project, as it involves augmentation only of ICT Infrastructure at NIC's some District Centers. Since, no income is there in the project, NICSI has directly routed the entire expenditure of Rs. Nil in F.Y. 2020-21 (PY 2019-20 Rs.26.79 Lakhs) towards it during the year to Income & Expenditure Account as an expense.

61. Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakhs on account of TDS/ Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract

un-likely to be recovered. The Committee had recommended that provision may be made of tax amounts refundable for more than 3 years. NICSI has approved the same and accordingly, the provision was made in accounts for F.Y. 2018-19 and 2019-20.

Based on above, the provision of Rs. 1956.33 lakh has been made in NICSI accounts for FY 2020-21 by reversing the provision of Rs. 1923.36 lakh made in P.Y. 2019-20, as per below: -

₹ in Lakhs

Particulars	**Year Ended March 31, 2021**	**Year Ended March 31, 2020**
Income Tax	1835.88	1802.91
Sales Tax/VAT/DVAT	117.91	117.91
TDS on Works Contract	2.54	2.54
Total	**1956.33**	**1923.36**

NICSI is still following up with the concerned Income Tax Authorities regarding recovery of income tax and the matter is still under discussion of the higher level with their respective authorities and accordingly, the recovery of the said amount is still awaited.

62. Obsolete Items

While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the P&T Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee had recommended that the Depreciated Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account was required to be made in the Accounts for that year. This was approved by the NICSI management and hence, no provision was made towards the same in accounts for F.Y. 2018-19. Similarly, based on the physical verification of assets, the value of obsolete asset items as on 31.03.2020 was kept as per depreciated value and no provision was made in accounts for F.Y. 2019-20. Accordingly, the depreciated value of Rs. 2.06 Lakhs as on 31.03.2021 (PY 2019-20 Rs. 3.13 Lakhs) has been taken as the estimated sale value and therefore no Provision has been made in the accounts for F.Y. 2020-21.

63. Prior Period Items

NICSI has a cut-off date approved by Management upto which the invoices of the vendors are submitted for the services rendered upto 31st March and accounted for accordingly as expenditure in previous year. Income realized till that date for the period upto 31st March is also accounted for in same financial year. Accordingly, matching concept has been ensured in F.Y.2020-21.

The company has treated errors & omissions as prior period. In current year Note 65 refer towards prior period income.

64. Appeal before GST authorities

In November, 2017 the GST of Rs. 4,73,37,107/- was deposited in excess by NICSI on the assumption that many invoices of vendors would be booked in that year but owing to receipt of less invoices, it resulted in non-settlement of GST to that extent. The claim was rejected by the Assessing officer on 25.09.2020 being time-barred. NICSI has filed an Appeal before the Commissioner (Appeals-II), CGST, Delhi on 18.12.2020 for refund of excess tax deposited. Date of hearing on the Appeal is awaited.

65. Reinstatement of Prior period revenue

The revenue of Rs 531.69 lakhs related to FY 2019-20, against which the corresponding expenses of Rs. 496.91 lakhs were recorded in the previous financial year (i.e. 2019-20). The same revenue amount has been reinstated as prior period income under "Other Equity –Note no. 17" in current FY 2020-21.

66. COVID-19 Impact

The Company has assessed the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of Receivables, Fixed Deposits and other assets / liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information. As on current date, the Company has concluded that the impact of COVID – 19 is not material based on these estimates. Due to the nature of the pandemic, the Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties in future periods, if any.

67. Previous year figure reclassification

The company has re-classified previous year figures to confirm current year classification.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.542976

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2021

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of National Informatics Centre Services INC. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2021 and its excess of income over expenditure, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Balances relating to Trade Payables (Note 19), Trade Receivables (Note 10), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note 21), Security deposits Payable (Note 18) and Advances to Suppliers (Note 9 & 15) are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable.

2. Reference is invited to Note No. 21 of the financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,62,044.59 lakhs. Review of individual accounts reveal numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.

   In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advances and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.

3. Reference may be made to note no. 63 with respect to "Prior Period Items" of the Income & Expenditure Account, wherein non-submission/ late submission of invoices by the vendors with respect to materials/ services rendered up to the year end has resulted in the corresponding expenditure not being recorded in the financial statements for FY 2020-21 with a corresponding impact on the reported income over expenditure for the year.

   Impact of the late recording of such invoices/ expenditure on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure on aid projects cannot be ascertained reliably due to the non-availability of the quantum of such bills that were not submitted by the vendors as on the reporting date.

4. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 in view of revenue on Sales of goods being erroneously recognised at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.

   The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (4) on the assets/liabilities and/or income/expenditure and excess of income over expenditure for the year is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

1. We draw attention to the note No. 44 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at Bhikaji Cama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in paragraphs above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the Company's Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

    b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

c) Except for the effects of the matters described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e) The matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

i) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements (Refer Note no. 36 to the financial statements);

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure B.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.: 542976
UDIN:- 21542976AAAABO9591

Place: New Delhi
Date: 29 July 2021

Annexure 'A' to the independent auditor's report on the Ind as financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2021

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013,Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2021 in respect of the following matters wherein the existing internal controls needs to be strengthened:

a. System relating to reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material misstatement of the outstanding balances. (Refer to para 1 under Basis for Qualified Opinion of our Independent Auditors Report of even date)"

b. Controls relating to non-recording of vendor invoices alongwith the corresponding expenditure which has resulted in prior period items being recorded during the current financial year. (Refer to para 3 under Basis for Qualified Opinion of our Independent Auditors Report)

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2021 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

Other Matters

a. The Company needs to strengthen the existing controls relating to mapping of individual items of Property, Plant & Equipment on their physical verification by introducing controls whereby all the individual items physically verified are mapped through their specific identification numbers with the corresponding PPE records.

b. Although the Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017, certain control weaknesses relating to mapping of individual party balances and carry forward of opening balances need to be strengthened and identified based on the existing controls being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.: 542976
UDIN:- 21542976AAAABO9591

Place: New Delhi
Date: 29 July 2021

Annexure 'B' to the independent auditor's report on the Ind as financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2021

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

   The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented and is still in operation without being validated by a Systems Audit being carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Furthermore, Fixed Assets accounting with respect to addition/ deletion/ depreciation is currently being done manually and thereafter has been uploaded into the ERP system as no automation module is available in the ERP. It is advisable that the said process is also automated at the earliest to avoid possible errors on account of manual intervention.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loans/ interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have any outstanding loan during the year 2020-21. Accordingly, there was no case of waiver/write off of debts/ loans/ interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   During the year 2020-21 no funds were either received or were receivable by the company from any Central/ State agencies. Hence the question of their proper accounting and utilisation does not arise.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Bharat Bansal
Partner
Membership No.: 542976
UDIN:- 21542976AAAABO9591

Place: New Delhi
Date: 29 July 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

The preparation of financial statements of National Informatics Centre Services Inc.(NICSI) for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act,2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are /is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29.07.2021

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICSI for the year ended 31 March 2021 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personal and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comment on Accounting Policies

Company has not specifically laid down and disclosed accounting policy as regards accounting of revenue and corresponding expenditure of the projects undertaken by it, with respect to the invoices raised/received after 31st March of the particular year, but pertaining to the previous financial year.

Income and Expenditure Account

Income

Other Income (Note No 24)- Rs. 7458.93 Lakh

NICSI has not formulated a proper mechanism to segregate interest earned on NICSI's own funds and funds received from Government of India and other Government agencies to carry out various projects. Hence correctness of interest income (from projects other than National Knowledge Network Project) cannot be ascertained accurately.

Date: 22.10.2021
Place: New Delhi

Sd/-
(Manish Kumar)
Director General of Audit
(Finance & Communication)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE
SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

Design & Printed by: VIBA PRESS PVT. LTD.